वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report

2002-03

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

विषय सूची
CONTENTS

1. सिंहावलोकन 1
Overview

2. नीति और आयोजना 3
Policy Strategies and Planning

3. मानक 3
Standards

4. प्रमाणन 11
Certification

5. प्रयोगशाला सेवाएँ 16
Laboratory Services

6. सतर्कता संबंधी गतिविधियाँ 18
Vigilance Activities

7. सूचना सेवाएँ 20
Information Services

8. प्रशिक्षण सेवाएँ 23
Training Services

9. उपभोक्ता संबंधी गतिविधियाँ 24
Consumer Related Activities

10. अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ 27
International Activities

12. मानव संसाधन विकास 28
Human Resource Development

13. कंप्यूटरीकरण एवं कार्यालय स्वचल 29
Computerization and Office Automation

14. वित्त, लेखा एवं लेखा-परीक्षा 30
Finance, Accounts and Audit

सिंहावलोकन
OVERVIEW

भारतीय मानक ब्यूरो ने इस समग्र मांगपूर्ण परिदृश्य में वर्ष 2002–03 के दौरान सभी दिशाओं में प्रगति दर्शाते हुए प्रतिबल और गतिशीलता बनाए रखी है। पिछले वर्ष की आय से 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के साथ यह लगभग 10190 लाख रु. की आय दर्ज़ की गई है। लगातार चौदहवें वर्ष भा मा ब्यूरो ने अपने आवर्ती तथा गैर–आवर्ती व्यय अपने स्वयं के संसाधनों से पूरे किए हैं।

वर्ष 2002–03 के दौरान कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार रही हैं:

- विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए 488 राष्ट्रीय मानकों को तैयार करना। जनता की रुचि के कुछ महत्वपूर्ण मानक हैं – गुणवत्ता प्रबंधन, प्रणाली आवश्यकताएँ (द्विभाषी संस्करण), एनालॉग सेट टॉप बॉक्स, अंकीय सेट टॉप बॉक्स, प्लेटिनम तथा प्लेटिनम मिश्रित धातु के आभूषण/आर्टीफेक्ट्स – बारीकी और मुहरांकन, डीज़ल जनरेटिंग सेटों के लिए ईंधन तेल, वाहनों के लिए एक संपीड़ित ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए प्राकृतिक गैस की गुणवत्ता को अभिहित करना, सुरक्षा बेल्ट एंकरेज और सुरक्षा बेल्ट असेम्बली।
- 2 506 उत्पाद प्रमाणीकरण लाइसेंस देना।
- कार्बन डाय ऑक्साइड, सामान्य अभियांत्रिकी उद्देश्य के लिए कार्बन स्टील कास्टिंग, सीमेंट पिलाई के लिए रबर होज़, अनुसंधान सूक्ष्मदर्शी, लाने–ले जाने योग्य अग्निशामक पानी के प्रकार वाला (भण्डारित दाब), श्वास सुरक्षा युक्ति खुले परिपथ वाला सांस लेने का उपकरण, श्वसन उपकरण, शुद्ध हवा का होज़ और संपीड़ित वायु दिशा श्वसन उपकरण, एडिसन स्क्रू लैम्प होल्डर, सामान्य उद्देश्य प्लग वाल्व, बैग सिलाई मशीन, टेपर रोलर बियरिंग, लौह सम्पुष्ट सामान्य नमक, तापरोधी एल्युमिनियम पेंट, सौर कुकर, जंग परिवर्तक, पराबैंगनी विसंक्रमण सहित जल शुद्धिकारक, यू पी वी सी पाइप – दूरसंचार भूमिगत केबल डालने के लिए, केबल और ट्रेकिंग प्रणाली, पॉलिएस्टर और पॉलीमाइड मच्छरों की जाली और 50 किलो चीनी पैक करने के लिए जूट के थैले जैसे मदों युक्त वर्ष दौरान 25 नए उत्पादों का प्रमाणीकरण।

In overall demanding scenario, Bureau of Indian Standards maintained the thrust and dynamism and exhibited an all round progress during the year 2002-03. It recorded a total income of around Rs 1 019 million, a growth of over 30 percent over the income in the previous year. For the fourteenth consecutive year, BIS met its recurring and non-plan expenditure from its own resources.

The highlights of achievements during 2002-03 are:

- Formulation of 488 national standards covering wide range of subjects. Some important standards of public interest are on Quality Management Systems Requirements (bilingual version), Analog set top box, Digital set top box, Platinum and platinum alloys jewellery/ artifacts–fineness and marking, Fuel oil for diesel generating sets, Designation of the quality of natural gas for use as a compressed fuel for vehicles, Safety belt anchorages, and Safety belt assembly.
- Grant of 2 506 Product Certification licences.
- Certification of 25 new products during the year comprising items such as Carbon Dioxide, Carbon Steel Castings for general engineering purpose, Rubber hose for cement grouting, Research microscope, Portable fire extinguisher water type (stored pressure), Respiratory protective device open circuit breathing apparatus, Breathing apparatus, Fresh air hose and compressed air line breathing apparatus, Edison Screw Lamp Holders (ETD), General purpose plug valves, Bag stitching machines, Taper roller bearing, Common salt iron fortified, Aluminium paint heat resistant, Solar cooker, Rust converter, Water purifiers with ultra-violet disinfection, UPVC pipes (Ducts) for fittings for underground telecommunications cable installation, Cable and trunking system, Polyster and polymied mosquito net and jute bags for packaging 50 kg sugar, etc.

- वर्ष 2002–04 की अवधि के लिए आई एस ओ परिषद के लिए एक सदस्य के रूप में भा मा ब्यूरो द्वारा दायित्वों की पूर्ति।

- विद्युत तारों, केबलों, उपकरणों, सुरक्षा युक्तियों और सहायिकाएँ (गुणवत्ता आदेश 2003) सीमेंट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2003 नामक दो गुणवत्ता नियंत्रण आदेश औद्योगिक नीति और प्रवर्तन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे, जिनमें भा मा ब्यूरो अधिनियम द्वारा अनिवार्य प्रमाणीकरण के अंतर्गत सभी प्रकार के सीमेंट और 24 विद्युत उत्पादों को लाया गया। आदेश जारी किए गए, चूंकि पहले वाले गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जो इन उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के माध्यम से अनिवार्य बनाते थे, उन्हें रद्द कर दिया गया था।

- विकासशील देशों के लिए मानकी करण और गुणवत्ता प्रणालियों पर पैंतीसवां अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

- भा मा ब्यूरो नागरिक चार्टर का प्रकाशन।

- 27 नवम्बर को भा मा ब्यूरो गतिविधियों की एकीकृत कम्प्यूटरीकरण गतिविधि की शुरूआत।

- नई पद्धति प्रमावन गतिविधि अर्थात् आई.एस. 18001:2000 के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबन्ध पद्धति (ओ.एच.एस.एम.एस.) लागू की गई।

- अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना का स्मरण उत्सव मनाने के लिए अक्टूबर 2002 में विश्व मानक दिवस का आयोजन।

- सितम्बर 2002 में हिंदी पखवाड़े का आयोजन, जिसमें हिंदी टंकण, आशुलेखन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर लेख एवं हिंदी पर प्रदर्शनी आदि आयोजित किए गए।

- मार्च 2003 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन।

- अक्टूबर–नवंबर 2002 के दौरान 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' का आयोजन।

(महानिदेशक)

- Fulfillment of obligations by BIS as a member of ISO Council for the 2002-04 term. ISO Council is the highest governing body of ISO.

- Two Quality Control Orders, namely, the Electrical Wires, Cables, Appliances, Protection devices and accessories (Quality Control) Order 2003 and the Cement (Quality Control) Order 2003 were issued by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, bringing 24 electrical products and all types of Cement under mandatory certification of BIS through the BIS Act. The orders were issued as the earlier Quality Control Orders making these products mandatory through the Essential Commodities Act had been rescinded.

- Holding of the thirty-fifth International Training Programme on Standardization and Quality Systems for developing countries.

- Publication of BIS Citizen Charter.

- Launching of Project on Integrated Computerization of BIS Activities on 27 November 2002.

- Launching of a new system certification activity, namely, Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS) as per IS 18001 : 2000.

- Celebration of World Standards Day in October 2002 to commemorate the establishment of the International Organization for Standardization (ISO).

- Celebration of Hindi Pakhwara in September 2002 where various competitions in Hindi typing, shorthand and write-ups on Science and Technology and an exhibition on Hindi, were organized.

- Celebration of the World Consumer Rights Day in March 2003.

- Observance of the 'Vigilance Awareness Week' during October -November 2002.

(Director General)

नीतिगत कार्यप्रणालियाँ और आयोजना

भारतीय मानक ब्यूरो भारत देश के राष्ट्रीय मानक विकास के रूप में देश में वर्ष 1947 से मानकीकरण अभियान का प्रवर्तन और पोषण करने के लिए सफलतापूर्वक कार्य करता रहा है। भा मा ब्यूरो ने अपनी प्रचालन और उन्नत बनाने की सेवाओं की दक्षता बढ़ाने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं।

नई नीतियों/निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन में भा मा ब्यूरो को सलाह देने के लिए वर्ष के दौरान कार्यकारिणी समिति की पाँच बैठकें हुईं। भा मा ब्यूरो की गतिविधियों की समीक्षा करने तथा इसकी बेहतर कार्यशीलता के लिए नई नीतियाँ अपनाने की सलाह देने के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहलें की गईं :

1. शाखा कार्यालयों को अधिकारों का विकेंद्रीकरण।
2. शाखा कार्यालयों को मुनाफे के केंद्रों के रूप में विकसित करना।
3. मानक सूत्रण में लिए जाने वाले समय में कमी लाना।
4. बिक्री की गतिविधियों की आउट सोर्सिंग।
5. क्षेत्र स्तर पर सेवा में सुधार।
6. आई एस आई मुहर का ब्राण्ड प्रवर्तन।
7. लाइसेंस देने में लगने वाले समय में कमी लाना।

POLICY STRATEGIES AND PLANNING

The Bureau of Indian Standards (BIS) as the National Standards Body of India has been successfully promoting and nurturing the standardization movement in the country since 1947. BIS has initiated several steps towards enhancing the efficiency of its operations and upgrading of services.

The Executive Committee had five meetings during the year to advise BIS in implementation of new policy/directives. Bureau meeting was also held during the year. Also Secretary (Consumer Affairs) had meetings to review the activities of BIS and to advise BIS in adopting new policies for its better functioning. The important initiatives taken in the following areas during the year :

1. Decentralization of powers to Branch Offices.
2. Developing Branch Offices as profit centres.
3. Reduction in time taken in standards formulation.
4. Outsourcing of Sales Activity.
5. Brand promotion for ISI Mark.
6. Improving service at field level.
7. Reduction in time of grant of licence.

मानक

मानक निर्धारण

वर्ष के दौरान मानक निर्धारण गतिविधियों का जायज़ा लेने के लिए मूलभूत और उत्पादन अभियांत्रिकी, सिविल अभियांत्रिकी, विद्युत तकनीकी, खाद्य एवं कृषि, प्रबंधन एवं प्रणाली तथा परिवहन अभियांत्रिकी की प्रभाग परिषद की बैठक हुई। बड़ी संख्या में उप-समितियों और कार्यशील समूहों के अतिरिक्त 172 अनुभागीय समितियों की बैठक भी वर्ष के दौरान हुई, जिनमें मानक के मसौदे और संबंधित तकनीकी दस्तावेजों पर विस्तार से विचार किया गया।

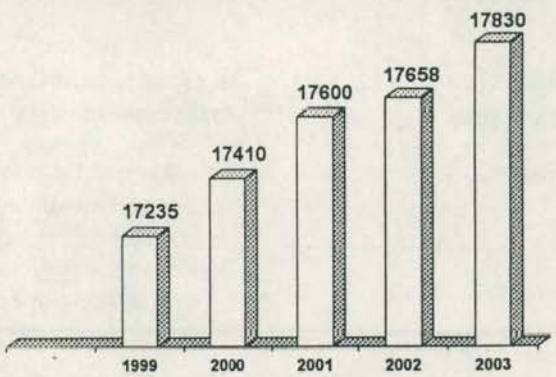

आकृति 1 प्रभावी मानक (31 मार्च के अनुसार)
Fig. 1 - Standards in Force (As on 31 March)

वर्ष 2002-03 के दौरान आया ब्यूरो ने 488 मानकों (नए और पुनरीक्षित) का निर्धारण किया। इस तरह 31 मार्च 2003 को लागू मानकों की कुल संख्या 17830 हो गई (देखें आकृति)।

STANDARDS

STANDARDS FORMULATION

To take stock of standards formulation activity, Division Councils of Basic and Production Engineering, Civil Engineering, Electrotechnical, Food and Agriculture, Management and Systems, and Transport Engineering met during the year. The meetings of 172 Sectional Committees, in addition to large number of subcommittees and working groups, were also held to consider drafts of standards and related technical documents in detail.

During 2002-03, BIS formulated 488(new and revised) standards, bringing the total number of standards in force to 17830 as on 31 March 2003 (*see* Fig. 1).

प्रमुख मानक

कुछ प्रमुख विषय जिन पर वर्ष के दौरान नए अथवा संशोधित मानक तैयार किए गए नीचे दिए जा रहे हैं:

आई एस/आई एस ओ 9001 : 2000 गुणवत्ता/प्रबंधन प्रणाली अपेक्षाएँ–द्विभाषी रूप

अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आई एस ओ) द्वारा तैयार किए गए तथा भारत सहित 110 देशों द्वारा अपनाए गए आई एस ओ 9000 मानक गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए निर्माण तथा सेवा क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी हैं। भारत में लगभग 7000 संगठन आई एस ओ 9001 : 2000 के लिए प्रमाणीकृत किए गए हैं। तथापि, अंग्रेजी में होने के कारण बहुत से भारतीय संगठन इस मानक को लागू नहीं कर सके। आई एस / आई एस ओ 9001 : 2000 का अग्रवाहक आधार पर हिंदी अनुवाद तैयार किया गया और इस द्विभाषी रूप में अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया।

Important Standards

Some of the important subjects on which new or revised standards were formulated during the year are listed below :

IS/ISO 9001 : 2000 Quality Management Systems Requirements—Bilingual Version

ISO 9000 standards prepared by International Organization for Standardization (ISO) and adopted by more than 110 countries including India are very useful to the manufacturing as well as service sector for continual improvement in quality. Around 7000 organizations in India have been certified for ISO 9001 : 2000. However, many Indian organizations could not implement this standard as it is in English. Keeping this in view, Hindi translation of IS/ISO 9001 : 2000 was done on priority and printed in bilingual, namely, Hindi and English.

आई एस 15244 : 2002 एनालाग सेट टॉप बाक्स–विशिष्टि
आई एस 15245 : 2003 डिजिटल सेट टॉप बाक्स–विशिष्ट

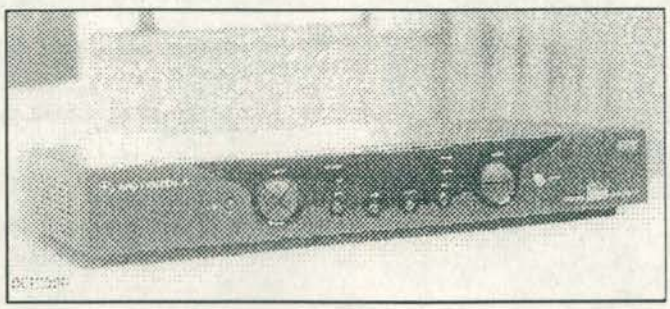

केबल टी वी नेटवर्क विनियमन अधिनियम (संशोधन 2002) को कार्यान्वित किए जाने के बाद इन मानकों द्वारा विनिर्दिष्ट सैट टॉप बाक्स (एस टी बी) का पे चैनलों के लिए सभी केबल टी वी दर्शकों को इस्तेमाल करना होगा। एस टी बी के इस्तेमाल से ग्राहकों को केवल चुने हुए चैनलों के लिए ही भुगतान करना होगा।

IS 15244 : 2002 Analog Set Top Box–Specification
IS 15245 : 2003 Digital Set Top Box - Specification

The Set Top Box (STB) specified by these standards would be required to be used by all the cable TV viewers for accessing pay channels after the implementation of Cable TV Network Regulations Act (Amendment 2002). The use of STB will enable the subscriber to pay only for the opted channels.

आई एस 15329 : 2002 प्लेटिनम तथा प्लेटिनम मिश्रित स्वर्ण आभूषण/कृत्रिम सुविधाएँ उत्कृष्टता का चिन्ह – विशिष्टि

यह मानक मुख्यतः प्लेटिनम की मात्रा के अनुसार प्लेटिनम के विभिन्न ग्रेडों के वर्गीकरण और प्लेटिनम के आभूषणों/कृत्रिम वस्तुओं की शुद्धता तथा अन्य विवरणों के मुद्रराकंन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए है। इस मानक में बताए गए ग्रेडों का भारत में बहुत इस्तेमाल होता है।

IS 15329 : 2002 Platinum and Platinum Alloys Jewellery/ Artifacts–Fineness and Marking– Specification

This standard is primarily meant to classify the various grades of platinum according to the platinum content and to provide guidelines for marking the purity and other details on the platinum jewellery/artifacts. The specified grades as mentioned in this standard are widely used in India.

आई एस 15217 : 2002 डीजल जनित्र सैटों के लिए ईंधन तेल–विशिष्टि

यह भारतीय मानक बिजली जनित सैटों में इस्तेमाल के लिए ईंधन तेल का नमूना लेने तथा उसके परीक्षण की अपेक्षाओं तथा विधियों का निर्धारण करता है। यह मानक बिजली के जनित्र सैटों के डिजाइनरों, पूर्तिकर्ताओं तथा क्रेताओं के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान करता है।

IS 15217 : 2002 Fuel Oil for Diesel Generating Sets– Specification

This Indian Standard prescribes the requirements and methods of sampling and test for fuel oil for use in power generating sets. This standard also provides guidance for power generating set designers, suppliers and purchasers.

आई एस 15320 : 2003/आई एस ओ 15403 : 2000 प्राकृतिक गैस वाहनों के लिए सम्पीडित ईंधन के रूप में इस्तेमाल के लिए प्राकृतिक गैस की गुणता का निर्देशन

इस भारतीय मानक का लक्ष्य निर्माताओं, वाहन चालकों, ईंधन भरने वाले स्टेशनों के प्रचालकों तथा सम्पीडित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) वाहन उद्योग से जुड़े अन्य व्यक्तियों के लिए ईंधन की गुणता के बारे में अपेक्षित सूचना प्रदान करना है। इससे उपयुक्त वाहन उपस्कर के विकास में मदद मिलने की आशा है।

IS 15320:2003/ ISO 15403:2000 Natural Gas–Designation of the Quality Of Natural Gas for use as a Compressed Fuel for Vehicles

This Indian Standard aims at providing manufacturers, vehicle operators, fuelling station operators and others involved in the compressed-natural-gas (CNG) vehicle industry with requisite information on the fuel quality. This is expected to help develop suitable vehicle equipment.

आई एस 15139 : 2002 ऑटोमोटिव वाहन–सुरक्षा पेटी स्थिरण–विशिष्टि

आई एस 15140 : 2002 ऑटोमोटिव वाहन–सुरक्षा पेटी समुच्चय–विशिष्टि

उक्त दो भारतीय मानक राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सुरक्षा पेटियों तथा सुरक्षा पेटी स्थिरण के साथ अचानक गति के कम होने तथा दुर्घटनाओं की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियम [1989 नियम 138(3)] तथा हाल ही मे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग (नवम्बर 2001) के तहत मोटर वाहन के चालक तथा आगे की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए ड्राइवरों और मोटर वाहनों के आगे की सीट में बैठने वाले व्यक्तियों के लिए दिनांक 15 जनवरी 2002 को गजट अधिसूचना सं. 31(ई) के अनुसार पूरे भारत में सुरक्षा पेटी का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। 1 अक्तूबर 2002 से पिछले सीटों पर भी सुरक्षा पेटियों का इस्तेमाल अनिवार्य हो गया है।

IS 15139 : 2002 Automotive Vehicles–Safety Belt Anchorages–Specification

IS 15140:2002 Automotive Vehicles–Safety Belt Assembly–Specification

These two Indian Standards are of significance at national level as safety belts along with safety belt anchorages provide safety to the passengers in case of sudden deceleration and accidents. Under Central Motor Vehicles Rules 1989. [Rule 138(3)] and also as per the recent Supreme Court Ruling (Nov. 2001), wearing of Safety Belts all over India became mandatory according to gazette notification number 31(E) dated 15 Jan 2002 for driver as well as the person sitting in front seat of Motor Vehicles. Fitment of Safety Belts for rear seats has also become mandatory w.e.f. 1 October 2002.

आई एस 15071 : 2002 रासायनिक सुरक्षा–विशिष्टि

रासायनिक सुरक्षा आवरण जैसे निजी सुरक्षा उपस्कर का उपयोग रसायनों के मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम रखने के लिए अंतिम बचाव है। यह मानक वांछनीय गुणवत्ता पैरामीटर निर्धारित करता है और जो जोखिम के अनुसार वस्त्रों और निर्माण सामग्री के चयन के दिशा निर्देश प्रदान करता है।

IS 15071 : 2002 Chemical Protective Clothing–Specification

Use of personnel protective equipment like chemical protective clothing provides last line of defence to minimize effect of chemical exposure to human body. This standard prescribes the desirable quality parameters and also provides guidance for proper selection of garments and material of construction depending on hazardous to which one is likely to be exposed.

आई एस 15201 : 2002 हाइड्रोजन–सुरक्षा कोड

पुराने ईंधन के स्थान पर हाइड्रोजन को विश्व भर में एक स्वच्छता ईंधन समझा जाता है, जिसका पर्यावरण पर कोई खराब असर नहीं पड़ता। भारत भी विशेषकर बिजली तथा परिवहन क्षेत्रों में हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास की तैयारी कर रहा है। परंतु ज्वलनशील होने के कारण हाइड्रोजन का इस्तेमाल सीमित है। यह मानक हाइड्रोजन के भण्डारण, परिवहन तथा इसे इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षा कोड प्रदान करता है।

IS 15201:2002 Hydrogen–Code of Safety

Hydrogen is being considered worldwide as cleanest fuel replacing the fossil fuel without having any adverse impact to the environment. India is also in the process of formulating road maps for development of hydrogen technology particularly in power and transportation sectors. But use of hydrogen is restricted for its highly flammable nature. This standard provides code of safety in storage, transportation and handling of hydrogen.

मानकों की समीक्षा तथा अद्यतनीकरण

जब भी जरूरी हो मानकों की समीक्षा की जाती है परंतु यह समीक्षा पॉच वर्षों मे कम से एक बार अवश्य की जाती है। वर्ष के दौरान 4 158 मानकों की समीक्षा की गई, 3 936 मानकों की पुष्टि की गई, 572 का संशोधन शुरू किया गया और 43 मानकों को वापिस किया गया। दूसरे अतिरिक्त मानकों में 221 संशोधन अनुमोदित किए गए।

मानक संवर्धन

भारतीय मानकों का शैक्षिक उपयोग

मानकीकरण के विषयों तथा गुणवत्ता प्रणालियों में तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों तथा प्राध्यापक वर्ग को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे कि वे सामानों में गुणवत्ता लाने में सक्षम हो सकें और अच्छे स्तर की सेवाएँ दे सकें। इस बात को समझते हुए मानकीकरण के संदेश के प्रचार और विभिन्न क्षेत्रों में अद्यतन भारतीय मानकों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के विशिष्ट उद्देश्य से मानकों के शैक्षिक उपयोग पर भा मा ब्यूरो नियमित रूप से कार्यक्रम चलाता रहा है। वर्ष के दौरान क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज हमीरपुर; सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट; उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद; श्रीनिधि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद; काकातिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, वारांगल; वस्त्र प्रौद्योगिकी विद्यालय, सेरमपोर; क्षेत्रीय इंजीनियरी विद्यालय, सूरथकाल; क्षेत्रीय इंजीनियरी विद्यालय, सिलचर; इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान, आई पी विश्वविद्यालय, दिल्ली तथा अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, आदि क्षेत्रीय इंजीनियरी विद्यालयों के लिए मानकों के शैक्षिक उपयोग के 10 कार्यक्रम चलाए गए।

उद्योग जागरूकता कार्यक्रम

जागरूकता कार्यक्रम का मूल उद्देश्य संक्षेप में मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रणाली की अवधारणा का प्रचार करना है। जहाँ कार्यक्रमों में भाग लेने व्यक्ति मानकीकरण, गुणवत्ता प्रणालियों, उत्पाद प्रमाणीकरण तथा भा मा ब्यूरो के अन्य कार्यक्रमों के प्रति जागरूक हैं, उनके लिए भा मा ब्यूरो द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रमों में व्याख्यान विचार विमर्श तथा वीडियो फिल्में शामिल हैं। भा मा ब्यूरो द्वारा उक्त कार्यक्रम स्थानीय उद्योग संघों तथा लघु उद्योग सेवा संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान इंदौर, गोधरा, नागपुर, जबलपुर तथा कोहिमा में ऐसे पाँच कार्यक्रम आयोजित किए गए।

Review and Updating of Standards

Standards are reviewed as considered necessary, but at least once in five years. During the year, 4 158 standards were reviewed, 3 936 standards were reaffirmed, 572 were taken up for revision and 43 were withdrawn. In addition, 221 amendments to standards were approved.

STANDARDS PROMOTION

Educational Utilization of Indian Standards (EUS)

The students and faculty of technical institutions need to be trained in the subjects of standardization and quality systems, so that they are well equipped to introduce quality in goods and services delivered by them. Recognizing this, BIS has been regularly conducting programmes on Educational Utilizations of Standards with the specific aim to propagate the message of standardization and to create awareness about the latest Indian Standards in various fields.

During the year, 10 EUS programmes were organized for : Regional Engineering College, Hamirpur; Saurashtra University, Rajkot; Osmania University, Hyderabad; Sreenidhi Institute of Science & Technology, Hyderabad; Kakatiya Institute of Technology & Science, Warangal; College of Textile Technology, Serampore; Regional Engineering College, Surathkal; Regional Engineering College, Silchar; Indira Gandhi Instt. of Technology, I.P. University, Delhi and Annamalai University, Annamalainagar.

Industry Awareness Programmes

The basic aim of the Awareness Programme is to propagate the concept of standardization and quality systems among small scale industries. Such programmes organized by BIS consist of lectures, discussions and video film shows, where the participants are exposed to the concept of standardization, quality systems, product certification and other BIS activities. These programmes are organized by BIS in association with local Industry associations and Small Industries Service Institutes.

During the year, five such programmes were organized at Indore, Godhara, Nagpur, Jabalpur and Kohima.

राज्य स्तरीय समितियाँ

मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा देश भर में मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रणाली का संदेश प्रचारित करने के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी तंत्र स्थापित करने के लिए मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रणालियों के लिए लगभग सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राज्य स्तरीय समितियाँ स्थापित की गई हैं। वर्ष के दौरान अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की राज्य स्तरीय समितियों की बैठकें की गईं। इन बैठकों में राज्य सरकारों द्वारा भा मा ब्यूरो प्रमाणित सामानों की खरीद, कार्मिकों के प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के प्रवर्त्तन, उपभोक्ता शिक्षा तथा राज्य सरकारों द्वारा उन इकाइयों को अधिक प्रोत्साहन दिए जाने पर जोर दिया गया, जिनके पास गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणीकरण लाइसेंस तथा उत्पाद हैं।

विश्व मानक दिवस

भा मा ब्यूरो द्वारा अपने मुख्यालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय व शाखा कार्यालयों में विश्व मानक दिवस मनाया गया। "मानक तथा अनुरूपता का मूल्यांकन" विषय पर मुख्य समारोह तथा तकनीकी सम्मेलन 10 अक्तूबर 2002 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें उद्योग, वाणिज्य, उपभोक्ताओं से जुड़े लोगों ने तथा प्रौद्योगिकीविदों, सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थाओं आदि ने भाग लिया।

State Level Committees (SLCs)

In order to have a permanent mechanism at the state level to ensure effective implementation of standards and to propagate the message of standardization and quality systems all over the country, State Level Committees for Standardization and Quality Systems (SLCs) have been set up in almost all States/Union Territories. During the year meetings of SLCs of Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Chhatisgarh, and Jharkhand were held. During these meetings, emphasis was laid on the purchase of BIS certified material by the State Governments, training of personnel, enforcement of quality control orders, consumer education and granting more incentives by State Governments to units holding products as well as quality system certification certification licences.

World Standards Day

The World Standards Day was celebrated by BIS at its headquarter at New Delhi and also at Regional and Branch Offices. The main function and technical seminar on the theme 'Standards and Conformity Assessment' was organized at New Delhi on 10 October 2002, which was attended by a number of delegates representing various organizations from industry, commerce, consumers, technologist, Government departments, educational institutions, etc.

राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार

सर्वश्रेष्ठ उद्योगों को विशेष मान्यता देने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो ने 1991 में राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार शुरू किया था। इस पुरस्कार का इरादा गुणता कार्यक्रमों के प्रति उद्योगों में रुचि उत्पन्न करना और उनका सहयोग प्राप्त करना, भारतीय उत्पादों की गुणता के स्तरों में सुधार करना और स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय संगठनों को अधिक सक्षम बनाना है। यह एक वार्षिक पुरस्कार है। यह अमेरिका के माल्कोम बालड्रिज गुणता पुरस्कार, जापान के डेमिंग पुरस्कार तथा यूरोपीय गुणता पुरस्कार के आधार पर तैयार किया गया है। इन पुरस्कारों के मूल्यांकन का मानदण्ड सम्पूर्ण गुणता प्रबंधन पर आधारित है और विदेशों के इसी प्रकार के अन्य पुरस्कारों के मानदण्ड के समरूप है।

Rajiv Gandhi National Quality Award (RGNQA)

Rajiv Gandhi National Quality Award was instituted by the Bureau of Indian Standards in 1991 with a view to give special recognition to the best industries. This award is intended to generate interest and involvement of Indian Industry in quality programmes, drive Indian products to higher levels of quality and better equip Indian organizations to meet the challenges of domestic and International markets. This award is an annual feature. It has been designed in line with similar awards in other developed countries like Malcolm Baldrige Quality Award of USA, Deming Prize of Japan and European Quality award. The assessment criteria for these awards is based on TQM and is at par with the criteria for other similar overseas awards.

वर्ष 2000 तथा 2001 के लिए पुरस्कार क्रमशः 24 अप्रैल 2002 तथा 17 दिसम्बर 2002 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुए समारोह में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री एवं अध्यक्ष, भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रदान किए गए थे।

The Awards for the year 2000 and 2001 were presented by Hon'ble Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and President of BIS in ceremonies held at Vigyan Bhavan, New Delhi on 24 April 2002 and 17 December 2002 respectively.

सूचना तथा लघु उद्योग सरलीकरण प्रकोष्ठ

भारतीय मानक ब्यूरो में वर्ष 1997 से कार्यरत सूचना तथा लघु उद्योग सरलीकरण प्रकोष्ठ लघु तथा मध्यवर्ती उद्यमियों की विभिन्न पूछताछों का समाधान करता रहा है। सरलीकरण प्रकोष्ठ भारतीय मानक ब्यूरो के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय के निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेषकर लघु केन्द्रों को अद्यतन सूचना/सहायता प्रदान करता रहा।

- मानक (राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय)
- उत्पाद प्रमाणन चिन्ह स्कीम
- गुणता प्रणाली प्रमाणन योजना (आई एस ओ 9000)
- पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजना (आई एस ओ 14000)
- जोखिम विश्लेषण तथा नियंत्रण बिंदु (एच ए सी सी पी)
- ईको चिन्ह प्रमाण योजना
- स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉल मार्किंग योजना
- विदेशी निर्माताओं तथा आयात उत्पादों के लिए प्रमाणन योजना
- पुस्तकालय सेवाएँ
- जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम
- प्रयोगशाला तथा व्यास मापन सेवाएँ
- विविध सूचना

भा मा ब्यूरो सेवाओं के अतिरिक्त सरलीकरण प्रकोष्ठ ने आई ई सी क्यू तथा आई ई सी ई-सी बी योजना, एफ पी ओ /एगमार्क, डी सी एस एस आई, सिडबी, नमूना मार (बांट), तथा माप रजिस्ट्रार एस ई आई आदि लघु उद्यमियों द्वारा अपेक्षित सूचना भी प्रदान की।

प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष के दौरान 846 आगंतुकों की पूछताछों का समाधान किया गया। 19 पत्रों का निपटान किया गया और दूरभाष पर की गई 194 पूछताछों के संबंध में कार्यवाही की गई।

Information and SSI Facilitation Cell

Information and SSI Facilitation Cell operating at BIS Headquarters since 1997 continued to serve small and medium scale entrepreneurs for their various queries. This Facilitation Cell, as a single window provided variety of updated information/ assistance particularly to small scale sectors in the following areas of BIS activities - national as well as international :

- Standards (National & International)
- Product Certification Marks Scheme
- Quality System Certification Scheme (ISO 9000)
- Environmental Management System Certification Scheme (ISO 14000)
- Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
- ECO Mark Certification Scheme
- Hallmarking Scheme for Gold Jewellery
- Certification Scheme for Foreign manufacturers and for imported products
- Library Services
- Awareness and Training Programme
- Laboratory and Calibration Services
- Miscellaneous Information

In addition to BIS Services, Facilitation Cell also provided other information required by SSI entrepreneurs, like IECQ & IECEE-CB scheme, FPO/Agmark, DCSSI, SIDBI, Registrar of Patent, Weights & Measures, SEI, etc.

During the year, 846 visitors, 19 letters and 194 telephonic queries were attended by the Cell.

प्रचार

लोगों में ब्यूरो के कार्यकलापों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने और गुणवत्ता के प्रति रूचि उत्पन्न करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने दृश्य-श्रव्य प्रिंट तथा मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्रचार कार्यकलाप किए और भारतीय मानक ब्यूरो से जुड़े विषयों पर वार्ताओं और साक्षात्कारों में भाग लिया, जो दूरदर्शन तथा लोक प्रिय केबल नेटवर्क पर प्रसारित किए गए। प्रमुख विकास तथा घटनाएँ इलैक्ट्रानिक मीडिया तथा समाचार पत्रों द्वारा कवर की गई।

भारतीय मानक ब्यूरो ने लोक प्रिय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लिया, जैसे कि 20–29 दिसम्बर 2002 तक 24 परगना, पश्चिमी बंगाल में सुंदर बन कृषि मेला नई दिल्ली में 11–12 मार्च 2003 को उपभोक्ता प्रदर्शनी और 29 सितम्बर से 10 अक्तूबर 2002 के दौरान कोलकाता में एग्रो टेक भारत और ग्रामीण शिल्प मेला 2002।

अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में अग्रणी समाचार पत्रों में भारतीय मानक ब्यूरों के उत्पाद प्रमाणन, स्वर्ण आभूषणों की हॉल मार्किंग के विज्ञापन प्रकाशित किए गए। देश में प्रमुख केंद्रों में बेचे जा रहे स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की जाँच के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किए गए सर्वेक्षण प्रिंट तथा दृश्य-श्रव्य मीडिया द्वारा कवर में कीट नाशक अवशेषों पर प्रेस सम्मेलन भी किया गया जो हिंदी/अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के अग्रणी समाचार मीडिया ने भी सूचना को कवर किया। मुम्बई में बस पैनलों के माध्यम से तथा बस स्टैंडों पर भी प्रचार किया गया।

तीन माह के लिए इलैक्ट्रॉनिक डिस्प्ले एनिमेशन प्रणाली के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो का विज्ञापन शुरू किया गया। उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र में नौ महीनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो तथा इसके कार्यकलापों से संबोधित सिनेमा स्लाइड भी दिखाई गई। चंडीगढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर एक साइन बोर्ड लगाया गया। प्लास्टिक के कैरी बेग तथा क्लोज़्ड सर्किट टी वी के माध्यम से भी चैन्नई रेलवे स्टेशन पर विज्ञापन किया गगा।

वर्ष के दौरान दूरदर्शन तथा केबल नेटवर्क पर 18 कार्यक्रम प्रसारित किए गए, 8 कार्यक्रम रेडियो पर प्रसारित किए गए, 24 प्रेस नोट जारी किए गए और विभिन्न पत्रिकाओं के प्रकाशन में 35 विज्ञापन जारी किए गए।

Publicity

To spread awareness of the activities of the Bureau among the masses and create a strong consciousness for quality, BIS undertook various publicity activities through audio-visual, print and outdoor media. BIS officials had participated in talks and interviews on BIS related subjects which were telecast over Doordarshan and other popular cable networks. Significant developments and events were covered by the electronics media and newspapers.

BIS participated in popular fairs and exhibitions like Sundarban Krishi Mela at 24 Parganas, West Bengal from 20-29 December 2002, Consumer Exhibition at New Delhi from 11-12 March 2003, and Agro Tech India – Cramin Shilpa Mela – 2002 at Kolkata during 29 September to 10 October 2002.

BIS advertisements on product certification, hallmarking of gold jewellery were published in leading English, Hindi and Regional language newspapers. The surveys conducted by BIS to check the purity of gold jewellery being sold at important centers in the country were widely covered by Print and Audio-visual media. Press conference on pesticides residue in drinking/mineral water was also arranged, which was widely covered by leading news papers in Hindi/English and regional languages. The audio-visual media also covered the information. Publicity was also carried through bus panels and on bus shelters in Mumbai.

BIS advertisement through Electronic Display animation systems was started for a period of three months. Cinema slides relating BIS and its activities were screened for six to nine months period in Northern and Southern Region. One glow sign board was also displayed at Chandigarh Roadways bus stand. Advertisement in sales outlet plastic carry bags and through closed circuit TVs was also made at Chennai Railway Station.

During the year, 18 programmes were telecast over Doordarshan and Cable network, 8 programmes were broadcast on radio, 24 press notes were issued and 35 advertisements were released in various journals or publications.

हिंदी संबंधी गतिविधियां

सितम्बर 2002 में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति ने ब्यूरो में हिंदी में हो रहे कार्य का निरीक्षण किया और ब्यूरो द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

वर्ष के दौरान 8 मानकों का अनुवाद किया गया तथा 4 मानकों की जांच की गई। हिंदी अनुवाद समीक्षा समिति ने 4 मानकों का अनुमोदन किया और 8 मानकों को द्विभाषी में प्रकाशन किया गया । उपभोक्ता उन्मुखी त्रैमासिक हिंदी पत्रिका 'मानवदूत' का नियमित प्रकाशन जारी रहा।

मानक इंजीनियर संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स) (एस. ई. आई.)

मानक इंजीनियर संस्थान एक व्यावसायिक निकाय है जिसके 6 000 से अधिक सदस्य हैं। एस. ई. आई. के कार्यकलापों का लक्ष्य मानकीकरण की अवधारणा तथा राष्ट्रीय मानकों के प्रयोग को बढ़ावा देना है। एस. ई. आई. के संविधान के अनुसार इसका राष्ट्रीय महासचिव भारतीय मानक ब्यूरो महानिदेशक द्वारा अपने अधिकारियों में से नामित किया जाता है। देश में मानकीकरण तथा गुणवत्ता जागरूकता के लिये भारतीय मानक ब्यूरो, एस. ई. आई. के केन्द्रीय निकाय तथा इसके विभिन्न विभागों को सचिवालयीन सुविधाएँ प्रदान करता रहा। एस. सी. आई. के अनुभागों ने स्वतंत्र रूप से अथवा भारतीय मानक ब्यूरो तथा व्यावसायिक निकायों के सहयोग से कई गोष्ठियों, सम्मेलनों, व्याख्यानों, बैठकों, कार्यशालाओं का आयोजन किया। मानक इंजनियर्स संस्थान एस. ई. आई. मानकीकरण, गुणवत्ता प्रणालियों तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में परामर्श सेवा भी उपलब्ध कर रही है।

मानकों तथा अन्य प्रकाशनों का विक्रय

ब्यूरो, मुख्यालय, क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों में 17 विक्रय केन्द्रों के माध्यम से भारतीय मानकों तथा विशिष्ट प्रकाशनों का विक्रय कर रहा है। पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं, जिनकी संख्या 120 है, के माध्यम से भी बिक्री की जाती है। 2002–03 के दौरान देश में 339.0 लाख रूपये के प्रकाशन बेचे गये। विदेशी मानकों की बिक्री पर 44.5 लाख रूपये कमीशन के रूप में प्राप्त हुये।

सी.डी.–रोम पर भी भारतीय मानकों के पूरे सैट अथवा विषय पर सैट लीज़ पर दिये गये भारतीय मानकों से 53.0 लाख मिलियन रूपये की राशि प्राप्त हुई।

Hindi Activities

Hindi Pakhwara was celebrated in September 2002, wherein various competitions were organized. The second sub-committee of Committee of Parliament on Official Language inspected Hindi work of the Bureau and appreciated the efforts.

During the year, translation of 8 standards and vetting of 4 standards were done. Four standards were approved by the Hindi Translation Scrutiny Committee, and 8 bilingual standards were published. Regular publication of consumer oriented quarterly Hindi Magazine 'Manakdoot' continued.

Institute of Standards Engineers (SEI)

The Institute of Standards Engineers (SEI) is a professional body of practicing standards engineers with a membership of over 6 000. The activities of SEI are aimed at promoting the concept of standardization and application of national standards. The national Secretary General of SEI is being nominated by DG, BIS from amongst its officers as per the constitution of SEI. BIS continued to provide secretariat facilities to the Central Body of SEI and its various sections. SEI sections, independently or in collaboration with BIS and other professional bodies, organized several seminars, conferences, lectures, meetings, workshops, etc, to promote standardization and quality consciousness in the country. SEI is also providing consultancy in standardization, Quality Systems and related areas.

Sale of Standards and Other Publications

The Bureau is selling Indian Standards and special publications through 17 sales outlets at Headquarter, Regional and Branch Offices. Sales are also done through registered booksellers numbering 120. The all-India sales during 2002-03 was Rs 33.9 million. The commission earned on sale of overseas standards was Rs 4.45 million.

The Indian Standards are also available on CD-ROM, as a complete set or subject-wise sets, for leasing. The royalty received on leasing of Indian Standards on CD-ROM was Rs 5.3 million.

गुणता नियन्त्रण आदेश

दो गुणता नियन्त्रण आदेश अर्थात बिजली के तार, केबल, उपकरण, सुरक्षा प्रणालियां तथा उपस्कर (गुणता नियंत्रण) आदेश 2003 तथा सीमेंट (गुणता नियंत्रण) आदेश 2003 औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किये गये, जिनके तहत 24 बिजली उत्पाद तथा सभी प्रकार की सीमेंट के लिये भा मा ब्यूरो अधिनियम के तहत भा मा ब्यूरो के प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया गया। आदेश इसलिये जारी किये गये कि पिछले गुणता नियन्त्रण आदेश, जिनके तहत अनिवार्य वस्तु अधिनियम के माध्यम से इन उत्पादों का प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया था, निरस्त किये जा चुके थे। आदेश 17 फरवरी 2003 से लागू किये गए। तथापि बिजली के तार, केबल, उपकरण सुरक्षा प्रणालियों तथा उपस्कर (गुणता नियंत्रण) आदेश 2003 में शामिल किये गये 17 नये उत्पादों के लिये आदेश 17 अगस्त 2003 से लागू होंगे।

भारतीय मानक ब्यूरो की ब्रांड छवि में वृद्धि करने और उद्योग को दक्ष सेवा प्रदान करने के लिये विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई जिससे शाखा कार्यालयों को अधिकतम शक्तियाँ दी जा सकें और वे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकें। वर्ष के दौरान शाखा कार्यालयों के प्रमुखों को बहुत सी प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया है कि शाखा कार्यालयों के प्रमुखों को कुछ प्रमाणीकरण शक्तियाँ दी जायें और यह प्रक्रिया अगले वित्त वर्ष में पूरी हो जाने की संभावना है।

प्रवर्तन गतिविधियाँ

भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमाणन मुहर योजना की लोक प्रियता बढ़ने के कारण उपभोक्ता तथा संगठित क्रेता भा.मा. ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों की मांग करते हैं, जिससे मानक मार्क में दुरूपयोग के मामले भी घटित हो रहे हैं। भारतीय मानक ब्यूरो मानक मार्क के दुरूपयोग को रोकने अथवा किसी व्यक्ति/कम्पनी द्वारा जिसके पास भारतीय मानक ब्यूरो का लाइसेंस नहीं है उसकी नकल को रोकने के लिए वचन बद्ध है। भारतीय मानक ब्यूरो के मानक मुहर का दुरूपयोग करने वालों से आम उपभोक्ता की सुरक्षा करने के लिये वर्ष के दौरान प्रवर्तक कार्य को तेज किया गया।

वर्ष के दौरान, आरम्भिक जाँच पड़ताल के बाद 34 शिकायतें पंजीकृत की गई। मानक मुहर के दुरूपयोग के बारे में साक्ष्य एकत्र करने के लिये उत्पादों की 12 तलाशियाँ तथा बरामदियाँ की गई यथा एल. पी. जी. गैस स्टोव, एल. पी. जी. ट्यूबिंग, सीमेंट, पैक किया हुआ पीने का पानी, प्लास्टिक पाइप तथा पी. वी. सी. केबल। भारतीय मानक ब्यूरो ने 16 फर्मों/पार्टियों के विरूद्ध *भा मा ब्यूरो अधिनियम* 1986 के तहत मानक मार्क के उल्लंघन के लिये अभि योजना कार्रवाई शुरू की । वर्ष के दौरान पांच मामलों में निर्णय हो चुका है और न्यायालय ने अभियुक्तों दोषी करार दिया है और उन पर जुर्माना किया है। कारावास भेजा गया है अथवा दोनों दण्ड दिये हैं।

Quality Control Orders

Two Quality Control Orders, namely, the Electrical Wires, Cables, Appliances, Protection Devices and Accessories (Quality Control) Order 2003 and the Cement (Quality Control) Order 2003 were issued by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, bringing 24 electrical products and all types of Cement under mandatory certification of BIS through the BIS Act. The orders were issued as the earlier Quality Control Orders making these products mandatory through the Essential Commodities Act had been rescinded. The Orders came into effect from 17 Feb. 2003. However, for the 17 new products covered under the Electrical Wires, Cables, Appliances, Protection Devices and Accessories (Quality Control) Order 2003, their implementation would be effective from 17 Aug. 2003.

In order to increase the brand image of BIS and to provide efficient service to the industry, the process of decentralization was started with the intent to give most powers to Branch Offices to enable them to work as independent. Many administrative and financial powers were delegated to the Heads of Branch Offices during the year. It has also been decided to delegate certain certification powers to the Heads of Branch Offices and the process may be completed during the next financial year.

Enforcement Activities

With the growth and popularity of the BIS Certification Marks Scheme resulting in consumers and organized purchasers insisting on BIS certified products, instances of misuse of Standard Mark are also taking place. BIS is committed to prevent the misuse of Standard Mark or its colourable imitation by any person/company who is not a BIS licensee. In order to protect the common consumer from being deceived by those misusing BIS Standard Mark, impetus to enforcement activity was provided during the year.

During the year, after carrying out preliminary discrete investigations, 34 complaints were registered. In order to collect evidences regarding misuse of Standard Mark 12 search and seizures were carried out on products, namely, LPG gas stoves, LPG tubing, Cement, Packaged drinking water, Plastic pipes, and PVC cables. BIS launched prosecution proceedings against 16 firms/parties for violation of Standard Mark under *BIS Act*, 1986. During the year, 5 cases have been decided in which the courts have convicted the accused with fine/imprisonment or both.

व्यापारियों, उपभोक्ताओं को उनके घरों पर चलाये गए जानकारी प्रदान करने के लिये प्रवर्तन अभियान तथा बाजार सर्वेक्षण किये।

Enforcement drives and market surveys were organized to educate the traders and consumers at their doorsteps.

गुणता पद्धति प्रमाणन

भा मा ब्यूरो गुणता पद्धति प्रमाणन योजना सितम्बर 1991 में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत शुरू की गई थी। योजना आई. एस. ओ./आई. ई. सी. गाइड 62 के अनुसार चलाई जा रही है – गुणता पद्धतियों के मूल्यांकन तथा प्रमाणन करने वाले निकायों के लिये सामान्य अपेक्षाएँ हैं। आरम्भ से ही इसमें भारी प्रगति हो रही है।

QUALITY SYSTEMS CERTIFICATION

BIS Quality System Certification Scheme was launched in Sept 1991 under the provision of the *Bureau of Indian Standards Act*, 1986. The Scheme is being operated in accordance with ISO/IEC Guide 62 – General requirements for bodies operating assessment and certification/ registration of quality systems. Ever since its inception, there has been a tremendous progress of the scheme.

2002–03 के दौरान 324 गुणता पद्धति प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किये गए हैं। इनमें से 28 आई. एस./आई. एस. ओ. 9002 : 1994 तथा 296 आई. एस./आई. एस. ओ. 9001 : 2000 के अनुसार थे जिनमें रसायन, वस्त्र, सीमेंट, बिजली, फार्मेसी, बैंकिंग सैक्टर, वाहनों के भाग, छपाई, दूर संचार, स्वास्थ्य क्षेत्र, विनिर्माण, शिक्षा, परीक्षण प्रयोगशालाएँ, रेल वर्कशाप, डेयरी संयंत्र, इंजीनियरी उत्पाद, रक्षा लेखे आदि औद्योगिक क्षेत्र शामिल किये गए हैं। अवधि के दौरान केनरा बैंक की 187 शाखाओं/कार्यालयों तथा आन्ध्र बैंक की 41 शाखाओं/कार्यालयों को आई. एस./आई. एस. ओ. 9001 : 2000 के अनुसार गुणता पद्धति लाइसेंस प्रदान किये गये हैं। वर्ष के दौरान पहली बार एक कृत्रिम अंग निर्माण यूनिट, भारत सरकार की टकसाल और सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम के सतर्कता विभाग को ब्यूरो द्वारा गुणता पद्धति लाइसेंस प्रदान किये गये हैं। अवधि के दौरान 130 गुणता पद्धति प्रमाणन लाइसेंसों का नवीकरण भी किया गया है।

During 2002-03, 324 quality systems certification licences have been granted. Of these 28 were as per IS/ISO 9002 : 1994, and 296 as per IS/ISO 9001 : 2000 covering industrial sectors, such as chemicals, textiles, cement, electricals, pharmaceuticals, banking sector, automobile parts, printing, telecommunications, health sector, construction, education, testing laboratories, railway workshops, dairy plants, engineering products, defence accounts, etc. During the period, 187 branches/ offices of Canara Bank and 41 branches/offices of Andhra Bank have been granted quality systems licences as per IS/ISO 9001 : 2000. During the year, for the first time an Artificial Limbs manufacturing unit, Govt. of India Mint, and vigilance department of a public sector undertaking have been granted Quality Systems licences by the Bureau. 130 quality systems certification licences were also renewed during the period.

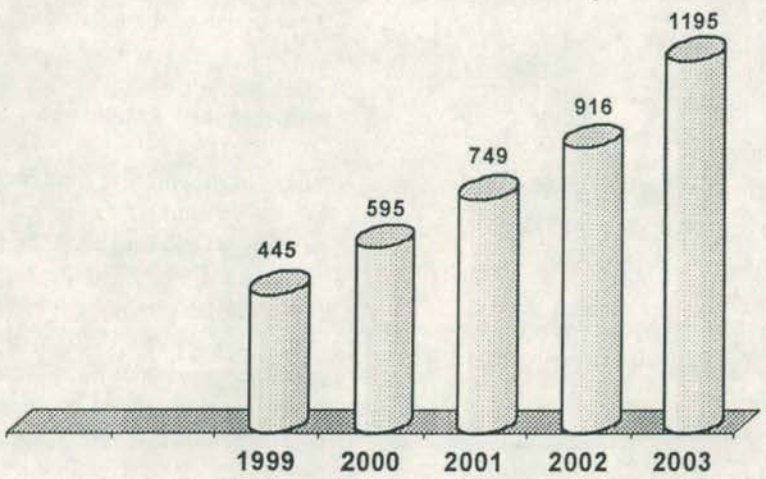

आकृती 4 गुणता पद्धति प्रमाणन लाइसेंसों की संख्या (31 मार्च को प्रचालन में)

Fig. 4 Number of Quality System Certification Licences (Operative as on 31 March)

भा मा ब्यूरो की क्यू.एस.सी.एस. का प्रत्यायन

भा मा ब्यूरो गुणता पद्धति प्रमाणन योजना का राड वूर एक्रीडिटेटी, नीदरलैंड द्वारा 23 प्रमुख आर्थिक कार्यकलापों के लिये प्रत्यायन किया गया है। निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन की पुष्टि करने के लिये योजना की नियमित लेखा की जाती है। इस अवधि के दौरान आर. वी.ए. ने 14 अक्तूबर 2005 तक मान्य प्रत्यायन के लिये निगरानी लेखा जाँच की है।

Accreditation of BIS QSCS

BIS Quality Systems Certification Scheme has been accredited by Raad voor Accreditatie (RvA), Netherlands for 23 major economic activities. The scheme is regularly audited by RvA to confirm compliance to the laid down requirements. During the period, RvA has carried out surveillance audit for the accreditation valid up to 14 Oct 2005.

खाद्यजनित हानि विश्लेषण और क्रान्त्रिक नियन्त्रण बिन्दु

खाद्यजनित हानि विश्लेषण और क्रान्त्रिक जोखिम विश्लेषण तथा नियन्त्रण बिन्दु एच.ए.सी.सी.पी. खाद्यान्न उत्पादन में सूक्ष्मजीवी तथा अन्य जोखिमों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिये तैयार की गई एक प्रक्रिया नियन्त्रण प्रणाली है। एच.ए.सी.सी.पी. का उपयोग पूरी खाद्यान्न श्रृखला– उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक किया जा सकता है और यह योजना आई. एस. 15000 : 1998 खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान एच. ए.सी.सी.पी. प्रणालियां तथा दिशा निर्देशों पर आधारित है जो तकनीकी रूप से कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टेडर्ड एलीनार्म. 97 खाद्यजनित हानि विश्लेषण और क्रान्त्रिक 13 ए के समकक्ष है। अभी तक एच.ए.सी.सी.पी. एकीकृत गुणता पद्धति प्रमाणन योजना के तहत 48 कम्पनियों का प्रमाणीकरण किया गया है। प्रमाणीकरण के लिये अपनाई गई प्रक्रिया गुणता पद्धति प्रमाणन योजना की प्रक्रिया जैसी है। यह योजना निर्यातकों को खाद्य तथा खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में विशेष कर अमेरिका तथा यूरोप जैसे देशों को निर्यात के मामलों में मदद करेगी।

Hazard Analysis and Critical Control Point

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) is a process control system designed to identify and prevent microbial and other hazards in food production. HACCP can be applied throughout the food chain from primary producer to final consumer and the scheme is based on IS 15000:1998-'Food Hygiene-HACCP Systems and Guidelines' which is technically equivalent to the Codex Alimentarious Standard ALINORM-97/13A. Under the HACCP Integrated Quality Systems Certification Scheme, 48 companies have been certified so far. The process followed for certification is akin to the process of Quality Systems Certification Scheme. This scheme will help the exporters in the field of food and food products specially export to the countries like USA and Europe.

पर्यावरणीय प्रबंध पद्धति प्रमाणन

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आई. एस./आई. एस. ओ. 14001 : 1996 के अनुसार शुरू की गई पर्यावरणीय प्रबंध पद्धति की लोकप्रियता जारी है। वर्ष के दौरान 17 ई. एम. एस. लाइसेंस प्रदान किये गये, जिससे 31 मार्च 2003 को प्रचालित लाइसेंसों की संख्या बढ़ कर 78 हो गई। इन लाइसेंसों में एकीकृत इस्पात संयत्र, थर्मल पावर, संयंत्र, ऐरोनाटिक उद्योग, परमाणु ऊर्जा स्टेशन, वस्त्र, सीमेंट, बिजली तथा दूर–संचार केबल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, कीट नाशक तथा औद्योगिक रसायन जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल हैं। ई. एम. एस. प्रमाणीकरण में रेल वैगन कार्यशाला, बैंक नोट प्रेस, लुबे ब्लैडिंग संयंत्र तथा कारपोरेट आफिस जैसे नए प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल हैं।

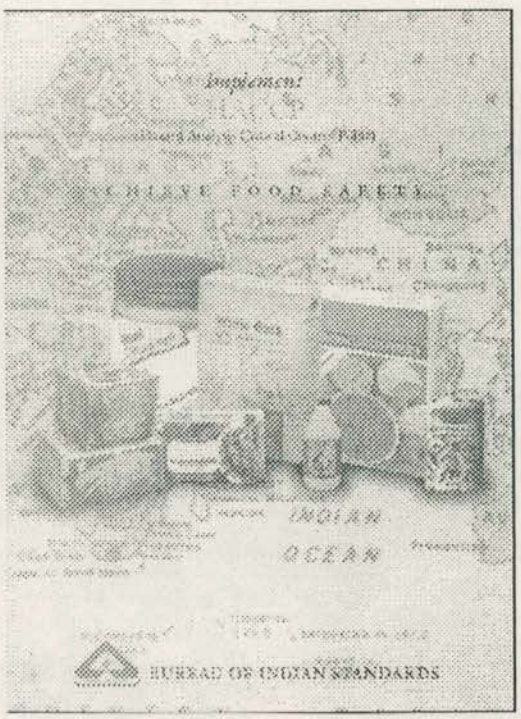

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

Environment Management System (EMS) Certification Scheme launched by BIS as per IS/ISO 14001:1996, continues to be popular. During the year, 17 EMS licences have been granted, making a total of operative licences to 78 as on 31 March 2003. These licences cover technology areas like integrated steel plants, thermal power plants, aeronautical industries, atomic power stations, textiles, cement, electrical and telecommunication cables, petroleum refinery, insecticides and industrial chemicals. New technology areas like Railway Wagon Workshops, Bank Note Press, Lube Blending Plants and Corporate Office have been covered under EMS Certification .

व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबन्ध पद्धति प्रमाणन

भा मा ब्यूरो ने जनवरी 2003 में आई एस. 18001 : 2000 के अनुसार ओ.एच.एस.एम.एस. प्रमाणन शुरू किया जिससे एक संगठन कानूनी आवश्यकताओं और खतरों और जोखिमों के बारे में सूचना को ध्यान रखते हुये जिन्हें संगठन नियन्त्रित कर सकता है और अपने कर्मचारियों तथा अन्य लोगों, जिनका स्वास्थ्य तथा सुरक्षा इसके कार्यकलापों से प्रभावित है, के लिये नीति तथा लक्ष्य निर्धारित कर सकता है और प्रबन्धन कर सकता है। इस कार्यकलाप के अन्तर्गत ओ.एच.एस. एम. एस. प्रमाणन के लिये दो आवेदन पंजीकृत किये गये हैं।

Occupational Health and Safety Management System Certification (OHSMS)

BIS launched OHSMS certification as per IS 18001:2000 in January 2003, which essentially enables an organization to define, plan and manage a policy and objectives, taking into account legislative requirements and information about significant hazards and risks, which the organization can control and over which it can be expected to have an influence, to protect its employees and others, whose health and safety may be affected by the activities of the organization. Under this activity, two applications for grant of OHSMS certification have been registered.

प्रयोगशाला सेवाएँ

देश भर में फैला हुआ आठ भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं का जाल भा मा ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों का अनुरूपता परीक्षण तत्संबंधी भारतीय मानकों के प्रति करने के लिए परीक्षण सेवाएं और परीक्षण संबंधी क्रियाकलाप उपलब्ध कराता रहा। वर्ष के दौरान, भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं ने विविध प्रकार के उत्पादों के लिए 31 183 परीक्षण रिपोर्टें जारी की और इस प्रकार जनशक्ति की कमी के बावजूद 30 000 नमूनों का समग्र लक्ष्य पार कर लिया। उच्च मूल्य के उत्पादों का परीक्षण भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं के भीतर करके दक्षता बढ़ाने के सतत प्रयासों के फलस्वरूप परीक्षित उत्पादों का परीक्षण मूल्य बढ़ कर 426.7 लाख रूपए हो गया, पिछले वर्ष की तुलना में 10 लाख रूपए की वृद्धि के तुलनात्मक आंकड़े आकृति 5 में दिए गए हैं।

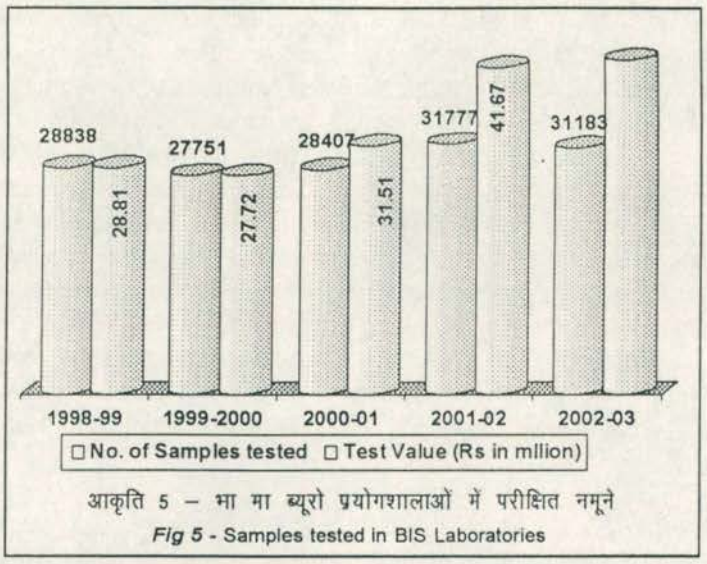

आकृति 5 – भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं में परीक्षित नमूने

Fig 5 - Samples tested in BIS Laboratories

गुणता आश्वासन गतिविधियां

उत्तम प्रयोगशाला व्यवहारों के संचालन और प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए गुणता प्रणाली प्रलेखन (गुणता मेनुअल, प्रक्रियाएँ, कार्य अनुदेश, फॉर्म और सूचियाँ) संशोधित तथा कार्यान्वित कर लिए गए हैं ताकि आई एस ओ/ आई ई सी 17025 की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके और 'परीक्षण तथा अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड' (एन.ए.बी.एल) की कसौटियों को केंद्रीय प्रयोगशालाओं में भी कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यान्वित की गई गुणवत्ता प्रणाली का लेखा परीक्षण नियमित अंतरालों पर योग्यता प्राप्त एवं प्रशिक्षित उन लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है जिन्होंने या तो एन ए बी एल प्रयोगशाला मूल्यांककों का पाठ्यक्रम या आई एस ओ 9000/ आई एस ओ 14000 प्रमुख मूल्यांककों का पाठ्यक्रम कर रखा है और जिन्हें प्रयोगशाला का अनुभव है।

प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली

भा मा ब्यूरो केंद्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद को उसके जैविक, रासायनिक, वैद्युत तथा यांत्रिक परीक्षण अनुभागों के लिए और वैद्युत तथा यांत्रिक अंशांकन अनुभागों के लिए भी एनएबीएल मान्यता प्राप्त हो चुकी है। मुंबई (डब्ल्यू आर ओ प्रयोगशाला), कोलकाता (ईआरओ प्रयोगशाला), चेन्नई (एसआरओ प्रयोगशाला) और मोहाली (एन आर ओ प्रयोगशाला) स्थित चारों क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को ओर बेंगलूर की शाखा कार्यालय प्रयोगशाला (बीएनबीओ प्रयोगशाला) को उनके यांत्रिक, रासायनिक तथा वैद्युत अनुभागों के लिए एनएबीएल द्वारा मान्यता दे दी गई है। आईएसओ/आई ई सी 17025 के कार्यान्वयन की जाँच एन.ए.बी.एल. द्वारा की जा रही है।

LABORATORY SERVICES

The network of eight BIS laboratories spread throughout the country, continued to provide testing services and test related activities to undertake conformity testing of BIS certified products against relevant Indian Standards. During the year, BIS laboratories covering a wide range of products issued 31 183 test reports, thus surpassing the overall target of 30 000 samples despite depleting manpower. Following concerted efforts to increase efficiency by testing high value products within BIS laboratories, the test value of products tested rose to Rs 42.67 million, an increase of Rs 1.00 million over the previous year. Comparative figures are as given in Fig. 5.

Quality Assurance Activities

Quality Systems documentation (Quality Manual, Procedures, Work Instructions, Form and Lists) covering all aspects of management and operation of good laboratory practices have been revised and implemented to meet the requirements of ISO/IEC 17025 and National Accreditation Board for Testing and Calibration (NABL) Criteria are under implementation in the Central Laboratory as well as all regional laboratories. The quality system as implemented is audited at regular intervals by qualified and trained auditors who have either undergone NABL laboratory assessors course or ISO 9000/ISO 14000 lead assessors course with laboratory experience.

National Accreditation System for Laboratories

BIS Central Laboratory, Sahibabad has already obtained NABL accreditation for its biological, chemical, electrical and mechanical testing sections as well as for electrical and mechanical calibration sections. The four regional laboratories situated at Mumbai (WRO Lab), Kolkata (ERO Lab), Chennai (SRO Lab), Mohali (NRO Lab) and branch office laboratory at Bangaiore (BNBO Lab) have been accredited by NABL for their mechanical, chemical and electrical sections. NABL is verifying the implementation of the ISO/IEC 17025.

भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाएँ भी एन ए बी एल मान्यता प्रणाली के संचालन के लिए संसाधन उपलब्ध करा रही हैं। उनके अनेक अधिकारी एनएबीएल द्वारा संचालित प्रयोगशाला मूल्यांककों का पाठ्यक्रम कर चुके हैं और आवश्यकता पड़ने पर मूल्यांकको के रूप में एनएबीएल की सहायता करते हैं।

BIS laboratories are also providing resources for operation of the NABL accreditation system in the country with a number of officers having undergone the Laboratory Assessor's Course conducted by NABL for assisting NABL as assessors, whenever required.

परीक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन

भा मा ब्यूरो अपने उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए अपनी परीक्षण प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए सतत प्रयास करता है। एसआरओ प्रयोगशाला, चेन्नई में एच टी लाइन को ऊर्जित कर दिया गया है और 125 के वी ए का एक जनरेटर सेट स्थापित किया गया है। केंद्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद में विद्युत आपूर्ति कंपनी द्वारा आपूर्ति की एक समर्पित लाइन मुकम्मल कर दी गई है। वर्ष के दौरान भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं में जिन उत्पादों के लिए परीक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं वे है :

सिंचाई उपस्कर–घूर्णी स्प्रिंक्लर, उत्सर्जक, छन्ना प्रकार के फ़िल्टर, प्रीकास्ट फेरोसीमेंट जल टंकियाँ, घुर्णी संचित पोलीइथाइनील जल भंडारण टंकियाँ, पॉलि प्रॉपिलीन रज्जु और, कृषि उद्देश्यों के लिए डीजल इन्जन का परीक्षण केंद्रीय प्रयोगशाला में फिर शुरू कर दिया गया है। अग्निशामक, मोटर, सीलिंग रोज, खाद्य मिश्रण आदि की परीक्षण सुविधाओं का उन्नयन किया गया है।

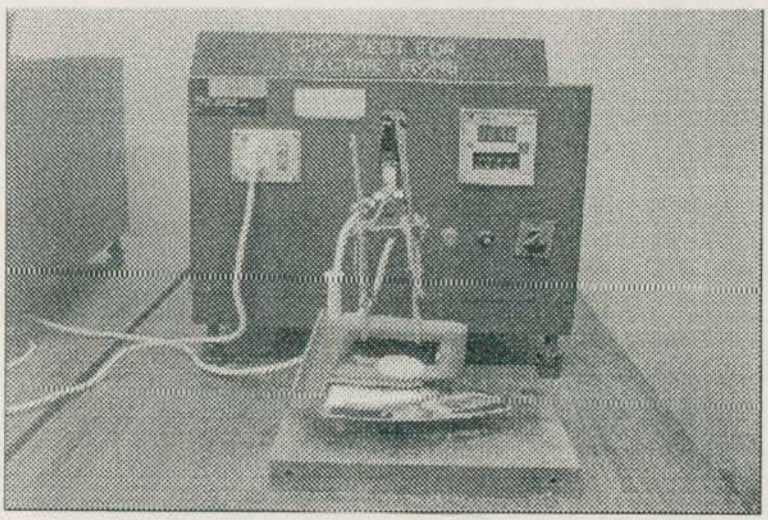

दक्षता परीक्षण

भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं ने एनएबीएल कार्यक्रमों के अंतर्गत आयोजित विभिन्न मदों के दक्षता परीक्षण में भाग लिया और प्रशंसनीय परिणाम प्राप्त किए। जिन उत्पादों के लिए भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं ने भाग लिया वे हैं : मृदु स्टील की प्लेटों का तनन परीक्षण, स्टील का कठोरता परीक्षण, निम्न मिश्र धातु स्टील का रासायनिक परीक्षण, क्लोरोपाइरीफॉस ई सी और कीटनाशकों में अम्लता। विद्युत आयन का निपुणता परीक्षण सी एल द्वारा आयोजित किया गया है।

अंशशोधन सुविधाएँ

आंतरिक उपकरणों के अंशोधन के लिए भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं के पास लबाई, द्रव्यमान, दाब, धारा और प्रतिरोध आदि के क्षेत्र में अंशांकन सेवाएं उपलब्ध है।

Modernization and Upgradation of Test Facilities

BIS is constantly working to modernize and upgrade its testing laboratories to maintain its high standards. HT line at SRO lab, Chennai has been energized and a diesel generator set of 125 kVA has been installed. A dedicated line of supply by Electric supply company has been completed at the Central Laboratory, Sahibabad. The products for which testing facilities were created in BIS laboratories during the year include irrigation equipment-rotating sprinkler, emitters, strainer type filters, pre-cast ferro-cement water tanks, rotational moulded polyethylene water storage tanks, polypropylene ropes. Further, testing of diesel engine for agricultural purposes has been revived at Central Laboratory. The testing facilities of fire extinguisher, motors, ceiling rose, food mixture, etc have been upgraded.

Proficiency Testing

BIS laboratories participated in proficiency testing of various items organized under NABL programmes and obtained commendable results. The products for which BIS lab participated are tensile testing of mild steel plates, hardness testing of steel, impact testing of steel, shore hardness of vulcanized rubber, chemical testing of low alloy steel, chloropyriophos EC and acidity in pesticides. Proficiency testing of electric iron has been organized by CL.

Calibration Facilities

For the calibration of in-house instruments, BIS laboratories are having calibration services in the area of length, mass, pressure, current and resistance, etc.

भा मा ब्यूरो प्रयोगशाला मान्यता योजना

भा मा ब्यूरो प्रयोगशाला मान्यता योजना को अंतरराष्ट्रीय मानक आई एस ओ/आई ई सी 17025 'अंशशोधन और परीक्षण प्रयोगशालाओं की सक्षमता के लिए सामान्य अपेक्षाओं' के अनुरूप बनाने के लिए उसका पुनरीक्षण किया गया है। भा मा ब्यूरो ने वर्ष के दौरान बाहर की 16 प्रयोगशालाओं को मान्यता दी है, जिनकी सेवाओं का उपयोग मुख्यत: भा मा ब्यूरो प्रमाणन चिह्न योजना से बनने वाले नमूनों के परीक्षण के लिए किया जा सकता है। अब तक बाहर की कुल 120 प्रयोगशालाओं को मान्यता दी जा चुकी है। मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची भा मा ब्यूरो की वेबसाइट में डाल दी गई है।

एनटीएच के साथ सहयोग

राष्ट्रीय संसाधनों को बांटने की सरकारी नीति के अनुसार और नेशनल टेस्ट हाउस (एन.टी.एच.) की प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए भा मा ब्यूरो से एनटीएच की प्रयोगशलाओं को भेजे जाने वाले नमूनों की संख्या बढ़ा दी गई। एन.टी.एच. की प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या 1 606 थी। भा मा ब्यूरो और एन.टी.एच. ने सिद्धांत रूप से उस सामान्य क्षेत्र की पहचान करने का निर्णय लिया है जिसका उपयोग भा मा ब्यूरो प्रमाणन के अंतर्गत नमूनों के परीक्षण, मापन उपस्कर के अंशांकन और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है।

सतर्कता गतिविधियाँ

भा मा ब्यूरो के सतर्कता विभाग का अध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी है और उसकी सहायता के लिए दो सतर्कता अधिकारी हैं। यह विभाग अन्य अभिकरणों के साथ निकट समन्वय में काम करता है यथा 'केंद्रीय सतर्कता आयोग', 'उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' और 'कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग'। सतर्कता विभाग की गातिविधियाँ वार्षिक कार्य योजना के अनुसार चलाई जाती है। इस विभाग के मूल कार्य सतर्कता के निवारक, संसूचक और दंडात्मक पहलुओ के गिर्द घूमते हैं। सतर्कता विभाग द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित कार्य हैं:

क) ब्यूरो के कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणियों और चल तथा अचल संपत्तियों में अंतिम लेन-देन की संवीक्षा/जाँच करना, जब वे दाखिल करें।

ख) पदोन्नति पर विचार करने और बाहर के पदों के लिए भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों के आवेदन भेजने के लिए सतर्कता की अनुमति देना, जैसा विभाग/कर्मचारी द्वारा अनुरोध किया जाए।

ग) सतर्कता विभाग में आई शिकायतों की जाँच और पूरा अन्वेषण करना और यदि आवश्यक हो तो अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करना।

BIS Laboratory Recognition Scheme

BIS Laboratory Recognition Scheme has been revised to align with international standard ISO/IEC 17025 General requirements for competence of calibration and testing laboratories. BIS recognized 16 outside laboratories during the year for utilization of their services mainly to test samples generated from BIS Certification Marks Scheme. A total number of 120 outside laboratories have been recognized so far. A list of the recognized laboratories has also been put up on the BIS web site.

Cooperation with NTH

In line with Government policy for sharing of national resources and to increase cooperation with National Test House (NTH) laboratories, diversion of samples from BIS to NTH laboratories was stepped up. The number of samples tested in NTH laboratories was 1 606. BIS and NTH have decided in principle to identify common area which could be utilized for testing samples under BIS certification, calibration of measuring equipment and training of personnel.

VIGILANCE ACTIVITIES

Vigilance Department of BIS is headed by Chief Vigilance Officer and assisted by two Vigilance Officers. This department functions in close coordination with other agencies such as the 'Central Vigilance Commission', the 'Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution', and the 'Department of Personnel & Training'. The activities of Vigilance Department are organized in accordance with an Annual Action Plan. The key functions of this Department revolve around the preventive, the detective and the punitive aspects of vigilance. The work undertaken by Vigilance Department is as follows:

a) Scrutinize/examine the Annual Property Returns and final transactions in movable and immovable properties, as and when filed by the employees of the Bureau.

b) Grant vigilance clearances for considering promotions and forwarding applications of BIS employees for outside posts as requested by department/employee.

c) Examine complaints received in Vigilance Department and conduct thorough investigations and in case, it is called for, initiate disciplinary proceedings.

घ) भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों को आचार नियमावली, सी सी एस (सी सी ए) नियमावली और लागू होने वाले अन्य विभिन्न संबंधित नियमों/विनियमों तथा मेनुअलों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में अवगत करना; और सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित सतर्कता कार्यशालाओं तथा संबंधित विषयों पर कार्यक्रमों के माध्यम से भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों में सतर्कता कार्य के महत्त्व के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना।

d) Apprise BIS employees about various provisions of the Conduct Rules, CCS (CCA) Rules and various other related Rules/Regulations and Manuals in operation; and create greater awareness about the importance of vigilance activity among the BIS employees through vigilance workshops and programmes on related subjects organized by the Vigilance Department.

ङ) भा मा ब्यूरो मुख्यालय और क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में भा मा ब्यूरो कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

e) Training programmes are also organized at BIS HQ and ROs/BOs on vigilance matters for imparting training to BIS officials.

च) केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशानुसार, हर वर्ष 31 अक्तूबर से 6 नवंबर तक भा मा ब्यूरो के मुख्यालय और क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों में 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' भी मनाया जाता है। इस अवधि के दौरान पोस्टर, बैनर तथा नारे प्रदर्शित किए जाते हैं और भ्रष्टाचार निरोध पर मौके पर नारा लिखने की प्रतियोगिताओं सहित कई गोष्ठियों/वाद-विवादों/निबंध लेखन प्रतियोगिताओं/नाटकों का आयोजन किया जाता है।

f) As per the directives of Central Vigilance Commission (CVC), 'Vigilance Awareness Week' is also observed from 31 October to 6 November every year at BIS Headquarters and Regional and Branch Offices. During this period, posters, banners and slogans are displayed and several seminars/debates/essay writing, competitions/plays on anti-corruption including on-the-spot slogan writing competitions are organized.

छ) भा मा ब्यूरो के लाइसेंसधारियों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं ताकि उन्हें ब्यूरो के कामकाज में पारदर्शिता में और अधिक सुधार लाने हेतु सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ओर भा मा ब्यूरो के किसी कर्मचारी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार/कदाचार की किसी घटना के बारे में सीधे प्रति-सूचना प्राप्त की जा सके। वर्ष 2002-03 के दौरान सतर्कता विभाग ने भा मा ब्यूरो लाइसेंसधारियों के साथ जालंधर, जयपुर, बेहराड और भिवाड़ी में बैठकें की थीं।

g) Meetings with BIS licensees are also organized in order to encourage them to give suggestions for further improving transparency in working of the Bureau and for receiving direct feedbacks for any instance of corruption/misconduct by an employee of BIS. During 2002-03, meetings with BIS licensees were organized by Vigilance Department at Jullundar, Jaipur, Behrod and Bhiwadi.

ज) 'सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं में पारदर्शिता' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी 12 जून 2003 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। संगोष्ठी का उद्घाटन श्री पी. शंकर, मुख्य सतर्कता आयुक्त ने किया था और अध्यक्षता श्री वजाहत हबीबुल्ला, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने की थी। संगोष्ठी में भारत की प्रमुख सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के मुख्य सतर्कता अधिकारियों ने भाग लिया था। इस अवसर पर 'परिवाद संभालने पर भारतीय मानक-संस्थाओं के लिए दिशानिर्देश' का मोचन भी किया गया था।

h) A National Seminar on 'Transparency in Service Providing Organizations' was organized on 12 June 2003 at New Delhi. The seminar was inaugurated by Shri P. Shankar, Chief Vigilance Commissioner; and presided over by Shri Wajahat Habibullah, Secretary, Department of Consumer Affairs. The seminar was attended by Chief Vigilance Officers of leading services providing organizations in India. On the occasion, Indian Standard on Complaint Handling–Guidelines for Organizations was also released.

सूचना सेवाएँ

तकनीकी सूचना सेवा केंद्र

तकनीकी सूचना सेवाएँ उद्योग, आयातकों, निर्यातकों, व्यक्तियों तथा सरकारी अभिकरणों को उनकी जिज्ञासाओं के उत्तर में उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लागू होने वाले मानकों, तकनीकी विनियमों तथा प्रमाणन प्रणालियों के बारे में नवीनतम जानकारी से अवगत रखने के लिए बुलेटिन भी प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रयास में वर्ष 2002–2003 के दौरान 2 172 से अधिक जिज्ञासाओं का उत्तर दिया गया था।

डब्ल्यूटीओ / टीबीटी पूछताछ बिंदु

भा मा ब्यूरो भारत में डब्ल्यूटीओ / टीबीटी का निर्धारित राष्ट्रीय पूछताछ बिंदु है, अतः डब्ल्यूटीओ सचिवालय और डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों के साथ मानकों, तकनीकी विनियमों तथा अनुरूपता आंकलन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी के आदान–प्रदान का समन्वय किया जाता है। वर्ष के दौरान भा मा ब्यूरो को अन्य सदस्य देशों से 527 अधिसूचनाएँ प्राप्त हुई। जिन्हें सर्व संबंधित की जानकारी के लिए 'स्टैण्र्डड मंथली एडशिन्स' और 'ई सी नार्म स्कैन' नामक बुलेटिनों में प्रकाशित कर दिया गया।

विश्व विनिर्माता अभिनिर्धारक (डब्ल्यू.एम.आई.–आई.एस.ओ. 3780) जारी करना

सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इन्जीनियर्स (एस ए ई), यू एस ए के साथ समन्वय में भा मा ब्यूरो भारत में ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं को आई एस ओ 3780 के अनुसार डब्ल्यू एम आई कोड जारी करने की जिम्मेदारी निभाता है। वर्ष के दौरान डब्ल्यू एम आई कोड के आवंटन के लिए चार आवेदनों पर कार्रवाई की गई थी।

वित्तीय संस्थाओं / बैंकों को पहचान संख्याओं का समर्थन

i) जारीकर्ता पहचान संख्या (आईआईएन–आईएसओ / आईईसी : 7812–1)

आई एसओ / आईईईसी 7812 था यह भाग अंतर्राष्ट्रीय विनियम में प्रयुक्त पहचान कार्डों के जारीकर्ताओं की पहचान के लिए एक संख्यांकन प्रणाली विनिर्दिष्ट करता है। यह संख्या प्रमुख उद्योग तथा कार्ड जारीकर्ता की पहचान करती है और पहचान संख्या का पहला भाग होती है। अमेरिकन बैंक एसोसिएशन –(ए.बी.ए.) के लिए बैंकों / वित्तीय संगठनों के आवेदनों को प्रायोजित करके भा.मा. ब्यूरों ने आई.एस.ओ. 7812–1 : 1993 (ई) के अनुसार आई.आई.एन. निर्गम को सरल बनाया। वर्ष के दौरान छह आईआईएन संख्याएँ जारी की गई हैं।

ii) संस्था पहचान कोड (आई आई सी–आई एस ओ 8583 : 1993 (ई))

आई आई सी एक अनन्य संख्या है जो अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन (एबीए) द्वारा आई एस ओ के प्राधिकार के अंतर्गत आई एस ओ

INFORMATION SERVICES

Technical Information Service Centre

Technical Information Services are provided to industry, importers, exporters, individuals and government agencies in response to their enquiries. Bulletins are also published to keep them updated about the latest information on standards, technical regulations and certification systems applicable in international trade. In this endeavor, more, than 2 172 enquiries were responded during the year 2002-2003.

WTO/TBT Enquiry Point

BIS being the designated WTO/TBT National Enquiry Point in India, information exchange on standards, technical regulations and conformity assessment procedures with WTO Secretariat and other WTO members is coordinated. BIS received 527 notifications of other member countries during the year, which were printed in the bulletins 'Standards Monthly Additions' and 'EC Norm Scan' for information of all concerned.

Issue of World Manufacturer Identifier (WMI-ISO 3780)

In coordination with Society of Automotive Engineers (SAE), USA, BIS fulfils the responsibility of issuing the WMI Codes as per ISO 3780 to the automobile manufacturers in India. Four applications have been processed for the allotment of WMI Code during the year.

Sponsorship of Identification Numbers to Financial Institutions/Banks

i) Issuer Identification Number (IIN-ISO/IEC : 7812-1)

This part of ISO/IEC 7812 specifies a numbering system for the identification of issuers of identification cards used in International exchange. This is a number that identifies the major industry and the card issuer and forms the first part of the identification number. BIS facilitates the is of IIN as per ISO 7812-1 : 1993 (E) by sponsoring applications of Banks/Financial Organizations to the American Bankers Association (ABA). Six IIN numbers have been issued during the year.

ii) Institution Identification Codes [IIC-ISO 8583 : 1993 (E)]

IIC is a unique number assigned by American Bankers Association (ABA) under the authorization of ISO in

8583 : 1993 (ई) के अनुसार निर्धारित की जाती है। यह उस वित्तीय संस्था को दी जाती है जो वित्तीय–लेन–देन–कार्ड से प्रोद्मूत संदेशों में भाग लेती है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक एक सांझा अंतः पृष्ठ विनिर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा वित्तीय लेन–देन–कार्ड से प्रोद्मूत संदेशों का कार्ड के प्राप्तकर्ताओं और जारीकर्ताओं के बीच आदान–प्रदान हो सके। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक 'बिट मैप' नामक एक अवधारणा का प्रयोग करता है जिसके द्वारा आंकड़ों के हर तत्व के लिए किसी नियंत्रण क्षेत्र में एक स्थिति सूचक निर्धारित हो जाता है।

iii) पंजीयित आवेदन प्रावधानकर्ता पहचानकर्ता (आरआईडी–आई एसओ/आईईसी 7816–5)

आरआईडी एक हार्डवेयर इन्डेक्स कोड है जिसका प्रयोग पहचान कार्डों – संपर्कों वाले समेकित परिपथ कार्डों–में किया जाता है। इसमें आवेदन, फाइल की ओर पथ तथा अन्य संबंधित आंकड़े होते हैं, जिसकी तुलना स्वविवेकी आंकडे और आवेदन टेम्पलेट के निष्पादन की तुलना की जा सके और यह आई एस ओ के प्राधिकार के अंतर्गत पंजीयन प्राधिकरण, कोपनहैगन, डेन्मार्क द्वारा आई एस ओ/आई ई सी 7816–5 : 1944 के अनुसार आवंटित किया जाता है। वर्ष के दौरान, एक आई टी कंपनी को दो आर आई डी आवंटित किए गए थे।

सूचना बुलेटिन

उपयोग–कर्त्ताओं को मानकीकरण और गुणता प्रणालियों पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी से अवगत रखने के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित बुलेटिन प्रकाशित किए गए थे :

(i) स्टैण्डर्ड्स वर्ल्डओवर मंथली एडीशन (मासिक)

(ii) मानकीकरण पर वर्तमान प्रकाशित जानकारी (मासिक)

(iii) ई सी नार्म स्कैन (ई सी के मानकीकरण समाचार) (त्रैमासिक)

डाटा बेस सेवाएँ

भा मा ब्यूरो ने उद्योग, आयातकों, तथा मानकों के निरूपण में लगे हुए सभी व्यक्तियों के लिए क्रेताओं की पथप्रदर्शिका, मानकों की ग्रंथ –सूची पर डाटाबेस उपलब्ध कराना जारी रखा।

i) *बायर्स गाइड*– यह भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना में शामिल उत्पादों का डाटाबेस है जिसमें लाइसेंस– धारी का नाम, पता, आई एस संख्या, लाइसेंस संख्या तथा उसकी वैधता, फर्म की स्थिति आदि दर्ज होती है। उपभोक्ता संस्थाओं, संबंधित उद्योग और व्यक्तियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें जानकारी उपलब्ध कराई

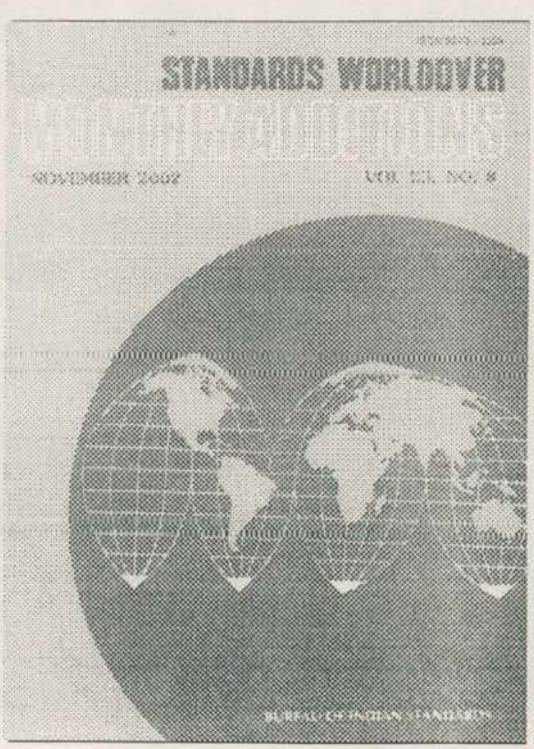

accordance with ISO 8583 : 1993 (E). It is assigned to a financial transaction card originated messages. This international standard specifies a common interface by which financial transaction card originated messages may be interchanged between acquirers and card issuers. This international standard uses a concept called bit map, whereby each data element is assigned a position indicator in a control field.

iii) Registered application provider identifier (RID-ISO/ IEC 7816-5)

RID is a hardware index code used in identification cards-integrated circuit(s) cards with contacts. It consists of the application, the path to a file and other related data compared to perform discretionary data and the application template and it is allotted in accordance with ISO/IEC 7816-5:1994 by the Registration Authority, Copenhagen, Denmark under the authorization of ISO. During the year, two RID were allotted to an IT company.

Information Bulletins

To keep the users abreast of the latest information available on standardization and quality systems, following bulletins were brought out during the year :

i) Standards Worldover Monthly Additions (Monthly)

ii) Current Published Information on Standardization (Monthly)

iii) EC Norm Scan (Standardiaztion News of EC) (Quarterly)

Database services

BIS continued to provide database on Buyers' Guide, Bibliography of standards to the industry, exporters and to those engaged in standards formulation.

i) Buyer's Guide - It is a database of products covered under BIS Certification Marks Scheme which includes name, address of the licensee, IS number, licence number with its validity, status of the firm, etc. The information was provided to the consumer organizations, concerned industry and individuals

जाती हैं। अब यह जानकारी भा मा ब्यूरो की बेबसाइट पर उपलब्ध है।

ii) *ग्रंथ सूची डाटाबेस* – भा मा ब्यूरो मांगे जाने पर अपने डाटाबेस के माध्यम से, जिसमें 217 600 से अधिक रिकार्ड हैं, विशिष्ट विषयों पर विश्व भर में मानकों की ग्रंथ–सूचियां उपलब्ध कराता रहा है।

डीजीएफटी अधिसूचना सं. 44 (आरई–2000) पर तकनीकी स्पष्टीकरण

डीजीएफटी ने अधिसूचना सं. 44 (आर ई–2000)/1997–2002 दिनांक 24 नवम्बर 2000 जारी करके 133 उत्पादों के भारतीय बाज़ार में प्रवेश करने से पहले भा मा ब्यूरो प्रमाणन अनिवार्य कर दिया और नीति परिपत्र सं. 4 (आर ई–2001)/1997–2002 दिनांक 19 जून 2001 उल्लिखित किया गया है कि यह स्पष्टीकरण केवल भा मा ब्यूरो द्वारा जारी किया जाएगा कि कोई उत्पाद अधिसूचना 44, जो अब तक भा मा ब्यूरो मानकों पर लागू हैं, की परिधि में आता है या नहीं। भा मा ब्यूरो ने विभिन्न उत्पादों के 248 ऐसे मामलों पर स्पष्टीकरण जारी किए।

पुस्तकालय सेवाएँ

वर्ष के दौरान पुस्तकालय सेवा केंद्र (एलएससी) ने मुख्यालय में और मुंबई,कोलकाता, चंडीगढ़ तथा चेन्नई के अपने चार क्षेत्रीय कार्यालयों में भी अपने संग्रह में 4 300 पुस्तकों, विदेशी मानक निकायों द्वारा जारी मानक प्रकार के प्रलेखों और विभिन्न जानकार संस्थाओं तथा मानकीकरण के काम में लगी विदेशी संस्थाओं द्वारा जारी प्रकाशनों व मानकों की भी वृद्धि की है।

कंप्यूटर केंद्र द्वारा रखे गए 'मानक संदर्भिका' नामक विश्व मानकों के यंत्रीकृत डाटाबेस को अद्यतन करने के लिए पुस्तकालय आधारभूत जानकारी देता रहा। यहाँ प्राप्त सभी मानकों को डाटाबेस में डालने के लिए संहिताबद्ध कर दिया गया है जिसमें अब 328 000 से अधिक रिकार्ड हैं।

अपनी वर्तमान जागरूकता सेवाओं के अंग के रूप में एलएससी पुस्तकालय में प्राप्त सभी पुस्तकों की सूची मासिक आधार पर 'पुस्तकालय में वृद्धि–पुस्तकें तथा पैम्फलेट' नाम से प्रकाशित करता है। यह बुलेटिन आंतरिक प्रयोक्ताओं तथा पुस्तकालय के सदस्यों को वितरण के लिए है और यूनीवर्सल डैसीमल क्लासीफिकेशन (यू डी सी) से चुने गए विषयों के 120 स्थूल समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत रूप में जानकारी प्रस्तुत करता है।

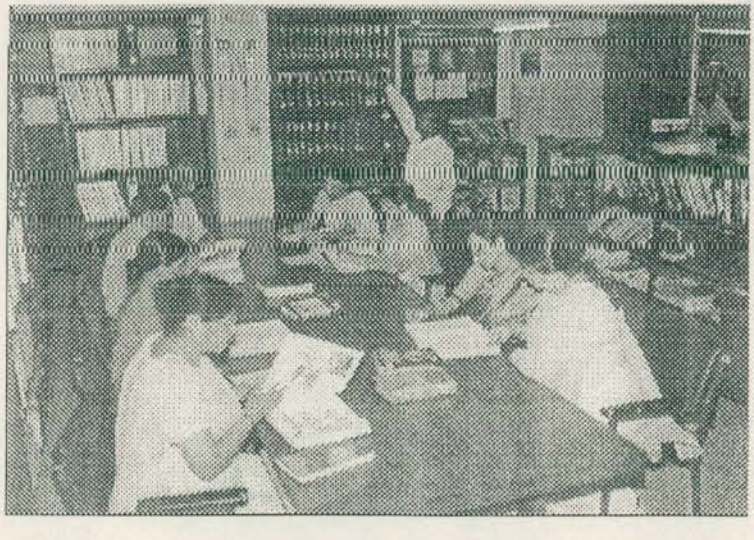

on demand. This information is now available on BIS website.

ii) Bilbliographic Database - BIS has been providing on demand bibliographies of standards worldover on specific subjects through its database containing more than 217 600 records.

Technical Clarification on DGFT Notification No. 44 (RE-2000)

DGFT issued a Notification No. 44 (RE-2000)/1997-2002 dated 24 November 2000 which made BIS certification mandatory for 133 products before they can enter into Indian market and a policy circular No. 4 (RE-2001)/1997-2002 dated 19 June 2001 stating that clarification, whether a product is covered with in the ambit of notification 44 or not, so far applicable to BIS standards. would only be issued clarification on 248 such cases on the different products.

Library Services

During the year, Library Services Centre (LSC), at the Headquarters and also at its four Regional Offices at Mumbai, Kolkata, Chandigarh and Chennai added to its collection 4 300 books, standards type documents issued by overseas standard bodies as well as publications and standards issued by various learned societies and foreign associations engaged in the work of standardization.

The Library continued to supply basic information for the updation of mechanized database of World Standards called 'Manak Sandarbhika' maintained by Computer Centre. All the standards received here were codified for inputting in the database which now comprises above 3 28 000 records.

As part of its current awareness services, LSC publishes on monthly basis list of all the books receied in the library, under the title 'Addition to the Library- Books and Pamphlots'. Thio bullotin is for circulation to in-house users and library members and presents information in classified form under 120 broad subjects groups selected from Universal Decimal Classification (UDC).

पुस्तकालय के विभिन्न कोटियों के वर्तमान सदस्यों में 1 400 व्यक्ति और संस्थाएं शामिल हैं। इनमें से 439 सदस्य इसी वर्ष शामिल हुए हैं। व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों ने और ब्यूरो के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने लगभग 21 534 प्रकाशनों/मानकों को देखा या जारी करवाया।

3 996 आगंतुकों के लिए संदर्भ सेवाओं की व्यवस्था की गई – विभिन्न विषयों की 12 व्यापक ग्रंथ–सूचियां बनाकर और उन्हें अपनी पसंद की संदर्भ सामग्री उपलब्ध करा के। संदर्भ इकाई ने ग्रंथ–सूचियाँ उपलब्ध करा के मानक निरूपण विभागों की पूरी मदद की। उसने दूर और पास से आई 2 535 जिज्ञासाओं का उत्तर देकर भारतीय व्यापार तथा उद्योग की सहायता की। एलएससी ने आईएसओ द्वारा प्रस्तुत 'मानकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण' (आईसीएस) के अनुसार प्रारूप भारतीय मानकों को संहिताबद्ध करने के लिए भी अपनी सेवाएँ दीं। वर्ष के दौरान 296 प्रारूपों को संहिताबद्ध किया गया।

अधिकारियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवीनतम जानकारी से अवगत रखने के लिए इस समय पुस्तकालय में 430 (लगभग) पत्रिकाएँ आती हैं। पुस्तकालय के सदस्य भी उनका प्रयोग करते हैं।

एलएससी ने क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के पुस्तकालयों को पत्रिकाएँ और अन्य तकनीकी पुस्तकें उपलब्ध कराई। तकनीकी विभागों के अनुरोध पर एलएससी ने विदेशी मानकों के अनुवाद की भी व्यवस्था की।

प्रशिक्षण सेवाएँ

प्रशिक्षण संस्थान

उद्योग, सरकार तथा सेवा क्षेत्र की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने वर्ष 1995 में 'मानकीकरण और गुणता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान' (एनआईटीएसक्यूएम) की स्थापना की थी। संस्थान ने वर्ष 2002–03 में 113 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनसे 2 416 सहभागियों ने लाभ उठाया। इन प्रशिक्षण कायक्रमों में शामिल विषय थे : एम आर कुशलताओं को बढ़ाना (आई एस ओ 9001 : 2000 रुपांतर), आईएसओ 9001 आंतरिक गुणता परीक्षक पाठ्यक्रम, हस्पताल तथा स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं के लिए आई एस ओ 9000, आईएसओ 9000 के पार टी क्यू एम, आईएसओ 9000 जागरूकता, आई एस ओ 14000 जागरूकता, आई एस ओ 9000 प्रमुख परीक्षण पाठ्यक्रम, आई एस ओ 14000 प्रमुख परीक्षण पाठ्यक्रम, आई एस ओ 14001 आतरिक परीक्षण पाठ्यक्रम, आई एस 18001/ ओ एच एस एम एस 18001 ओ एच एण्ड एस एम एस आदि।

विदेशियों के लिए प्रशिक्षण

हर वर्ष की भांति, एनआईटीएसक्यूएम ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप तथा लेटिन अमेरिका के विकासशील देशों के लिए 20 जनवरी से 14 मार्च

The library had 1 400 individuals and oganizations as current members of the library in various categories. Out of this 439 members have joined during this year. About 21 354 publication/standards were consulted or issued to the representatives of trade and industry as well as officers and staff of the Bureau.

Reference services were provided to 3 996 visitors by way of preparing 12 exhaustive subject bibliographies and making available the reference materials of their choice. The reference unit fully supported the standard formulation departments by providing the bibliographies. It assisted the Indian trade and industry by answering 2 535 long and short range queries received from them. LSC also provided its service for codifying draft Indian Standards as per International Classification for Standards (ICS) propounded by ISO. During the year, 296 drafts were codified.

At present library received 430 (approx) periodicals, to keep the officers abreast of the latest developments in science and technology. Members of the library are also using them.

LSC supplied journals and other technical boods to the Regional and Branch Offices Libraries. LSC also arranged translation of Foreing Standards on the request of Technical Departments.

TRAINING SERVICES

TRAINING INSTITUTE

Bureau of Indian Standards had set up National Institute of Training for Standardization and Quality Management (NITSQM) in the year 1995 to meet the training needs of Industry, Government and Service Sector. The Institute organized 113 training programmes and 2 416 participants benefited from these programmes during the year 2002-03. The topics covered by these training programmes were: Enhancing MR skills (ISO 9001: 2000 version), ISO 9001 Internal Quality Auditors Course , ISO 9000 for Hospital & Health Care Services, TQM Beyond ISO 9000, ISO 9000 Awareness, ISO 14000 Awareness, ISO 9000 Lead Auditor Course, ISO 14000 Lead Auditor Course, ISO14001 Internal Auditors Course, IS 18001/OHSMS 18001 OH&SMS,etc.

Training to Overseas Participants

Like every year, NITSQM organized the 35th International Training Programme on Standardization and Quality

2003 तक मानकीकरण और गुणता प्रणालियों पर 35 वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। 16 देशों से 29 लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम 1968 से हर वर्ष आयोजित किया जाता रहा है। अब तक ऐसे 35 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और 73 विकासशील देशों से 753 लोग इस कार्यक्रम का लाभ उठा चुके हैं।

Systems from 20 January to 14 March 2003 for the developing countries of Asia, Africa, Europe and Latin America. 29 participants representing 16 countries attended the programme. The programme has been organized every year since 1968. So far 35 such programmes have been organized and 753 nominees from 73 developing countries have taken advantage of this programme.

भा मा ब्यूरो लाइसेंसधारियों/आवेदकों के लिए उत्पाद परीक्षण में प्रशिक्षण कार्यक्रम

भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाएँ हर वर्ष उद्योग की, विशेषतः अपने लाइसेंसधारियों तथा आवेदकों की, सेवा के रूप में उनके परीक्षण कर्मचारियों को विभिन्न उत्पादों के परीक्षण में प्रशिक्षण देने के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं। वर्ष 2002–03 के दौरान एक–समान परीक्षण व्यवहार अपनाने के लिए विनिर्माताओं को विभिन्न मदों के लिए परीक्षण व्यवहारों पर 12 प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए गए थे ताकि भा मा ब्यूरो की प्रमाणन मुहर योजना को प्रभावी ढंग से चलाया जा सके।

Training Programme in Product Testing for BIS Licensees/ Applicants

Every year BIS laboratories, as a service to the industry, especially its licensees and applicants, organize short term training programmes to impart training in testing of various products to their testing personnel. During year 2002-03, 12 training programmes on testing practices for various items were provided to the manufacturers to adopt uniform testing practices so as to operate the BIS Certification Marks Scheme effectively.

उपभोक्ता संबंधित गतिविधियाँ

भा मा ब्यूरो अपने क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके और उपभोक्ता संगठनों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों की गतिविधियों के बारे में भाग लेकर भा मा ब्यूरो की गतिविधियों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाता है। इन कार्यक्रमों के दौरान, भाग लेने वालों को विभिन्न गुणता नियंत्रण आदेशों, भा मा ब्यूरो मानक मुहर के दुरूपयोग के लिए दंडों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र आदि के बारे में जानकारी दी गई। वर्ष के दौरान ब्यूरो के मुख्यालय, क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों द्वारा कुल 109 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

CONSUMER RELATED ACTIVITIES

BIS promotes consumer awareness regarding BIS activities by conducting consumer awareness programmes and by participation in seminars/workshops/conferences and exhibitions organized by consumer organizations through its network of regional and branch offices. During these programmes, participants were informed about various quality control orders, penalities for misuse of BIS Standard Mark, consumer protection act, consumer grievances redressal mechanism, etc. During the year, a total of 109 programmes were organized by Headquarters, Regional and Branch Offices of the Bureau.

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

भा मा ब्यूरो द्वारा क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के अपने नेटवर्क के माध्यम से मार्च 2003 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था। इस अवसर पर ब्यूरो के मुख्यालय और क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, पेनल चर्चाओं और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था। उन कार्यक्रमों में उपभोक्ताओं, उपभोक्ता संगठनों व शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और भा मा ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था।

World Consumer Rights Day

The World Consumer Rights Day was celebrated by BIS through its network of ROs/BOs in March 2003. On the occasion, consumer awareness programmes, seminars, panel discussions, and exhibitions were organized at headquarters and Regional and Branch Offices of the Bureau. The programmes were attended by consumers, delegates consumer organizations, educational institutions and senior BIS officials.

उपभोक्ताओं के लाभ के लिए प्रकाशित विवरणिकाएँ

भा मा ब्यूरो द्वारा उपभोक्ता हित के विषयों पर चौदह विवरणिकाएँ प्रकाशित की गई हैं। इनमें से कुछ का अनुवाद तथा मुद्रण विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में किया गया है जैसे असमिया, तमिल, गुजराती, मराठी, तेलुगु तथा मलयालम।

Brochures published for the Benefit of the Consumer

Fourteen brochures have been brought out by BIS on the subjects of consumer interest. Some of these have been translated and printed in regional languages like Assamese, Tamil, Gujarati, Marathi, Telugu and Malayalam.

जनता की शिकायतें

भा मा ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों के बारे में प्राप्त शिकायतों की हर माह समीक्षा व निगरानी की जाती है ताकि शिकायतकर्ताओं का समाधान जल्दी किया जा सके। इस अवधि के दौरान 76 शिकायतें रजिस्टर की गई और कुल 84 शिकायतों को निबटाया गया और 31 मार्च 2003 को बकाया शिकायतों की संख्या 36 थी।

Public Grievances

Complaints regarding BIS certified products received from consumers are being reviewed and monitored every month to provide speedy redressal to the complainants. During the period, 76 complaints were registered and overall 84 complaints were closed, bringing down the pending complaints to 36 as on 31 March 2003.

सुझाव योजना

सतत सुधार के लिए भा मा ब्यूरो की सुझाव योजना को जनवरी 2002 में फिर शुरू कर दिया गया ताकि ब्यूरो के कामकाज में और सुधार लाया जा सके। वर्ष के दौरान कुल 30 सुझाव प्राप्त हुए थे।

Suggestion Scheme

For continual improvement, suggestion scheme of BIS was revived in January 2002 for further improvement in working of the Bureau. During the year, a total of 30 suggestions were received.

उपभोक्ता नीति सलाहकार समिति

उपभोक्ता नीति सलाहकार समिति की चौथी बैठक 25 फरवरी 2003 को हुई थी। बैठक के दौरान उपभोक्ताओं के हित के लिए भा मा ब्यूरो की गतिविधियों पर चर्चा की गई थी। समिति ने निर्णय लिया कि भा मा ब्यूरो की तकनीकी समितियों में उपभोक्ता संगठनों/उपभोक्ताओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए।

नागरिक चार्टर

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी ओ पी टी), प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित भा मा ब्यूरो का नागरिक चार्टर छप गया है। भा मा ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों के लिए चार्टर में विनिर्दिष्ट समय मानकों को मुख्यालय में एक बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया गया है। क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों को भी कहा गया है कि चार्टर में विनिर्दिष्ट समय मानकों को प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित कर दिया जाए।

Consumer Policy Advisory Committee

4th Meeting of Consumer Policy Advisory committee was held on 25 February 2003. During the meeting, activities of BIS for the benefit of consumers were discussed. The Committee decided for giving more representation to consumer organizations/ consumers on the Technical Committees of BIS.

Citizen Charter

BIS Citizen Charter approved by Department of Personnel & Training (DOPT), Ministry of Adminstrative Reforms & Public Grievances has been printed. Time Norms specified for various activities of BIS in the Charter has been displayed on a board at HQs. ROs and BOs have also been advised for display of time norms specified in the Charter at prominent place.

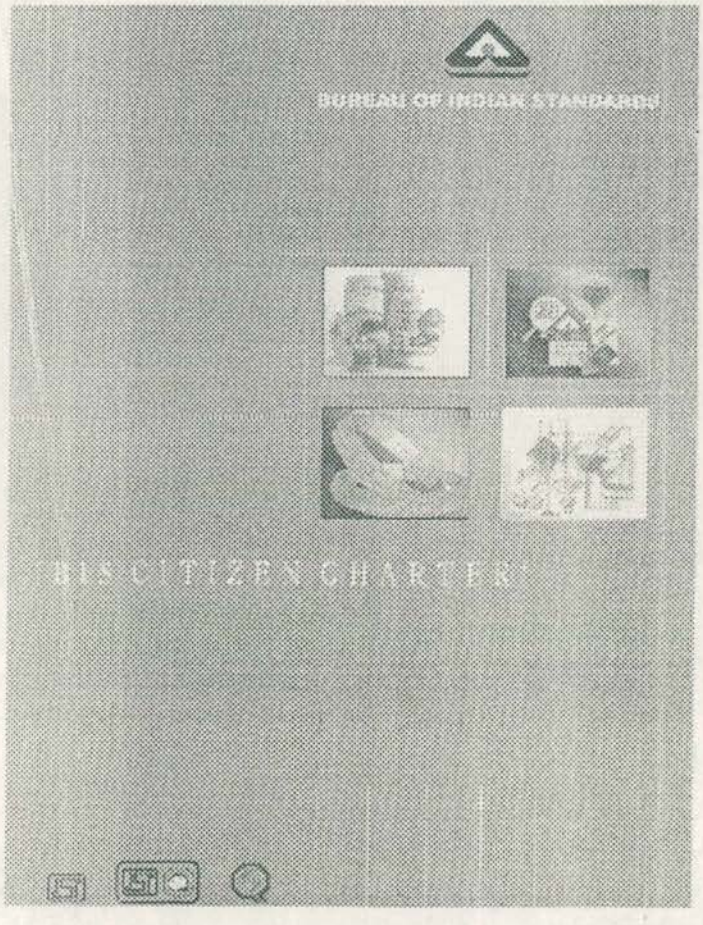

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ) और अंतर्राष्ट्रीय वैद्युत–तकनीकी आयोग (आई ई सी) के नीति–निर्धारक निकायों और तकनीकी समितियों की गतिविधियों में भाग लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण परिदृश्य में अपना प्रयास जारी रखा। ब्यूरो ने 2002–03 की अवधि के लिए आईएसओ परिषद् के सदस्य के रूप में अपने दायित्व पूरे किए और भारत द्वारा संभाली जा रही आईएसओ समितियों के सचिवालयों के उत्तरदायित्वों को निभाना भी जारी रखा। अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मज़बूत करने की दिशा में भी ब्यूरो ने अपनी कोशिशें जारी रखीं।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण गतिविधियों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

भा मा ब्यूरो के विदेशी शिष्ट मंडल

भा मा ब्यूरो ने आई एस ओ /आई ई सी की विभिन्न तकनीकी समितियों तथा उप–समितियों में प्रतिनिधित्व करना जारी रखा। भा मा ब्यूरो के अधिकारियों ने सचिवालय के उत्तरदायित्वों को निभाया और विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया यथा आई एस ओ/टी सी 113 "जलमितीय निर्धारण" तथा उसकी उप–समितियों की बैठकें, आई एस ओ/टी सी 207 "पर्यावरणी प्रबंधन", टी बी टी–संबंधित तकनीकी सहयोग के बारे में विशेष कार्यशाला और डब्ल्यू टी ओ द्वारा आयोजित टी बी टी समिति की बैठक, और लारेंस बर्कले नेशनल लेबोरटरी (एनबीएनएल), वाशिंगटन डी सी द्वारा आयोजित मानकों तथा लेबलिंग पर एक अध्ययन यात्रा। नेपाल ब्यूरो ऑफ स्टॅण्डर्डस एंड मेट्रोलोजी (एन बी एस एम) के लिए आई एस ओ 9000 हेतु प्रमुख परीक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया जिसके लिए भा मा ब्यूरो अधिकारियों ने संकाय का काम किया।

विदेशों में प्रमाणन

भा मा ब्यूरो के अधिकारी उन आवेदक इकाइयों के कारखाना परिसरों के प्रारंभिक आंकलन के लिए दक्षिण कोरिया और नेपाल गए जिन्होंने भा मा ब्यूरो मानक मुहर के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।

भा मा ब्यूरो के अधिकारी भा मा ब्यूरो तथा एन बी एस एम के बीच एक पारस्परिक मान्यता समझौते का अनुसरण में नेपाल ब्यूरो ऑफ स्टॅण्डर्डस एंड मेट्रोलोजी (एन बी एस एम) में भी गए।

INTERNATIONAL ACTIVITIES

The Bureau continued its endeavour in the international standardization scenario by participating in the activities of the policy making bodies and the technical committees of the International Organization for Standardization (ISO) and International Electrotechnical Commission (IEC). The Bureau fulfilled its obligations as member of ISO Council for 2002-03 term and also continued to handle the responsibilities of the secretariats of ISO committees being handled by India. The Bureau also continued its efforts towards strengthening bilateral relations with other countries.

Details of important activities in the area of International Cooperation follows :

OVERSEAS BIS DELEGATIONS

BIS continued to represent in various ISO/IEC Technical Committees and Sub committees. BIS Officers handled the Secretariat responsibilities and attended the meetings of ISO/TC 113 "Hydrometric Determinations", and its Subcommittees, ISO/TC 207 "Environmental Management", Special workshop pertaining to TBT related technical cooperation and TBT Committee meeting organized by WTO, and a Study tour on standards and labelling organized by Lawrence Berkeley National Laboratory (NBNL). Washington DC. Lead Auditors training course for ISO 9000 was organized for Nepal Bureau of Standards and Metrology (NBSM) for which BIS Officer was faculty.

OVERSEAS CERTIFICATION

BIS officers visited South Korea and Nepal for preliminary assessment of factory premises of applicant units who had applied for grant of licence for BIS Standard Mark.

BIS officers also visited Nepal Bureau of Standards and Metrology (NBSM) in pursuance of a mutual recognition agreement between BIS and NBSM.

क्षेत्रीय कार्यक्रम

प्रादेशिक सहयोग कार्यक्रम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संस्था (सार्क)

विदेश मंत्रालय (एम ई ए) की ओर से भा मा ब्यूरो द्वारा 4–6 फरवरी 2002 को नई दिल्ली में आयोजित 'मानकों, गुणता नियंत्रण और मापन पर सार्क के स्थायी समूह' की दूसरी बैठक के बाद सहयोग के लिए क्षेत्रों के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी जैसे मानकों में संगति बिठाना, अनुरूपता आंकलन, मानव संसाधन विकास और सूचना प्रणाली। सिफारिशों के आधार पर भा मा ब्यूरो ने भारत में होने वाली बैठकों की एक अस्थायी योजना बनाई थी और विदेश मंत्रालय से उसके लिए निधि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

हिंद महासागर रिम–क्षेत्र प्रादेशिक सहयोग (आईओआर–ए आर सी)

हिंद महासागर रिम–क्षेत्र में मानकों के बारे में सहयोग के लिए देश में शीर्षस्थ वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों से उन विशिष्ट मदों की पहचान करने के लिए कहा गया है जहाँ भारतीय व्यापार और उद्योग राष्ट्रीय मानकों में अंतर के कारण तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा है। उन मदों पर मानकों को सुसंगत बनाने के लिए विचार करने का प्रस्ताव है ताकि प्रदेश में व्यापार में सुविधा हो।

द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम

ब्यूरो ने उन देशों के साथ घनिष्ठ सहयोग स्थापित करने की कोशिश की जिनके साथ उसके विभिन्न सहयोग कार्यक्रम चल रहे हैं। बांगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, यूक्रेन और उरुगुवाय आदि देशों के साथ संभावित द्विपक्षीय समझौतों की दिशा में कार्रवाई की गई।

विदेशी शिष्टमंडलों का आगमन

भूटान, फ्रांस, सउदी अरब, जर्मनी तथा सेनेगल से विदेशी शिष्टमंडल भा मा ब्यूरो में आए और यहाँ के उच्च अधिकारियों से बातचीत की।

मानव संसाधन विकास

दिनांक 31 मार्च 2003 को कुल 1 990 व्यक्ति भा मा ब्यूरो में कार्यरत थे। वर्ष 2002–2003 के दौरान भा मा ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों में कार्मिकों की तैनाती नीचे दी गई है :

गतिविधि	31 मार्च 2003 को कार्मिकों की स्थिति
निगमित	31
मानक निर्धारण	209
प्रमाणीकरण	1 030
प्रयोगशालाएं	287
तकनीकी सहयोगी सेवाएँ	173
प्रशासन और वित्त	260
योग	1 990

REGIONAL COOPERATION PROGRAMMES

South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC)

Subsequent to the Second Meeting of SAARC Standing Group on Standards, Quality Control and Measurement organized by BIS on behalf of Ministry of External Affairs (MEA) from 4-6 February 2002 in New Delhi, follow-up actions with regard to the areas for cooperation such as harmonization of standards, conformity assessment and accreditation, testing, measurement and calibration, human resource development and information system, etc were taken. Based on the recommendations, a tentative plan of meetings to be held in India was prepared by BIS, for which MEA has been approached for funds.

Indian Ocean Rim–Area Regional Cooperation (IOR-ARC)

For cooperation in the field of standards in Indian Ocean Rim–Area, the apex chamber of commerce and industry in the country have been approached to identify specific items where the Indian trade and industry is facing technical problems due to variations in the National standards. It is proposed to consider harmonization of standards on these items to facilitate trade in the region.

BILATERAL COOPERATION PROGRAMMES

The Bureau strived to forge closer cooperation with countries with which it has various cooperation programmes. Actions were taken towards possible bilateral agreements with countries like Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Ukraine and Uruguay.

VISITS OF FOREIGN DELEGATES

Foreign delegates from Bhutan, France, Saudi Arabia, Germany and Senegal visited BIS and interacted with senior officials of BIS.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

As on 31 March 2003, a total of 1990 persons were on roll in BIS. The deployment of personnel in the various activities of BIS during 2002-03 is given below :

Activity	Deployment of Personnel as on 31 March 2003
Corporate	31
Standards Formulation	209
Certification	1030
Laboratories	287
Technical Support Services	173
Administration and Finance	260
Total	**1990**

अनुसूचित जाति/अनु. ज. जा./ अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

समूह	31 मार्च 2002 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनु. ज. जा./अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या	31 मार्च 2003 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनु. ज. जा./अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या
ए	78	76
बी	89	88
सी	121	121
डी	153	157
कुल	441	442

SC/ST/OBC REPRESENTATION

Group	No. of SC/ST/OBC personnel as on 31 March 2002	No. of SC/ST/OBC personnel as on 31 March 2003
A	78	76
B	89	88
C	121	121
D	153	157
Total	441	442

कर्मचारी कल्याण

भा मा ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों के लिए ग्रुप इन्श्योरेंस योजना और हॉली डे होम जैसे कल्याण कारी उपाय अपनाए हैं। इस वर्ष शिमला स्थित भा मा ब्यूरो हॉली डे होम के संबंध में पट्टा अनुबंध अगले एक और वर्ष के लिए नवीकरण कर दिया गया है; जबकि पुरी और ऊटी में नए हॉली डे होम स्थापित किया गया है।

Staff Welfare

Welfare measures adopted by BIS for its employees such as Group Insurance Scheme and Holiday Homes were continued. This year, lease agreement in respect of BIS holiday home at Shimla was renewed for another one year ; while new Holiday Homes were set up at Puri and Ooty.

भा मा ब्यूरो कार्मिकों का प्रशिक्षण

मानव संसाधन विकास के लिए भा मा ब्यूरो ने अपने प्रयास जारी रखे हैं। मानव संसाधन के विकास के एक भाग के रूप में भा मा ब्यूरो के कार्मिक आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं और उन्हें विभिन्न अभिकरणों (भारत में) द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तैनात भी किया जा रहा है।

Training of BIS Personnel

BIS continued to make its efforts on development of human resource. As a part of the development of human resource, BIS personnel are imparted training through in-house training programmes and also by deputing them to the training programmes being organized by various agencies (within India).

कम्प्यूटरीकरण और कार्यालय स्वचालन

सूचना आज के युग का प्रमुख संसाधन है। तीव्र और विश्वसनीय जानकारी पाने के लिए भा मा ब्यूरो ने मानक निर्धारण और कम्प्यूरीकरण मे प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने प्रयास जारी रखे हैं।

COMPUTERIZATION AND OFFICE AUTOMATION

Information is key resource today. In order to provide quick and reliable information the Bureau continued its effort with help of technology in computerization of core functional areas like standards formulation and certification.

परियोजनाएँ

PROJECTS

भा मा ब्यूरो की गतिविधियों के एकीकृत कम्प्यूटरीकरण पर परियोजना

दिनांक 27 नवंबर 2002 को 10 करोड़ रु. के परिव्यय वाली परियोजना की शुरुआत की गई और तब से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के साथ हस्ताक्षरित किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार परियोजना के विभिन्न चरणों की शुरुआत से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में अपेक्षित अभिकलन अवसंरचना प्राप्त की जा रही

Project on Integrated Computerization of BIS Activities

The Project with an outlay of Rs. 10 crore was launched on 27 November 2002 and since then significant progress has been made with the initiation of different phases of the Project in line with the MoU signed with National Informatics Centre (Ministry of Communication and Information Technology). The regional and branch offices have started getting the required computing infrastructure. Finer

है। बारीक प्रौद्योगिकीय मुद्दों पर चर्चा की गई है, जो एनआईसी में आयोजित अनेक बैठकों में सुलझाए और तय किए गए हैं। जल्दी ही सभी कार्यालयों को आभासी निजी नेटवर्क (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क/वीपीएन) के माध्यम से वाइड एरिया नेटवर्क द्वारा जोड़ा जाएगा, जो भा मा ब्यूरो के प्रत्येक कार्यालय को स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लोकल एरिया नेटवर्क/लैन) से जोड़ेगा। दो प्रमुख गतिविधियों, जो हैं प्रमाणीकरण मुहर और मानक निर्धारण, के लिए सॉफ्टवेयर के विकास का काम अभिकल्पन के उन्नत चरण में है। भा मा ब्यूरो द्वारा इसके मुख्यालय और चार क्षेत्रीय कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को शुरू करने पर बल दिया जा रहा है।

इंटरनेट/ई–मेल

भा मा ब्यूरो केंद्रीय प्रयोगशाला सहित भा मा ब्यूरो के सभी विभाग अब इंटरनेट से जुड़े हैं। सभी विभागों, क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों को भा मा ब्यूरो के डोमेन पर ई–मेल पते दिए हैं ताकि ई–मेल पते में समानता रहे।

भा मा ब्यूरो वेबसाइट

भा मा ब्यूरो के आंतरिक उपयोग के लिए सूचना को प्रसारित करने और बांटने के लिए, महत्त्वपूर्ण आंतरिक जानकारी को रखने के लिए भा मा ब्यूरो की इंट्राबिस नामक वेबसाइट पर एक सीमित क्षेत्र की पहल की गई है। महत्त्वपूर्ण कार्यालय परिपत्र तथा भा मा ब्यूरो की विभिन्न प्रयोगशालाओं का स्थिति प्रतिवेदन इंट्राबिस पर उपलब्ध हैं। क्रेता की मार्गदर्शिका (लाइसेंस धारकों की अखिल भारतीय सूची) का नया संस्करण जनता को अद्यतन सूचना प्रदान करने के लिए रखा गया है।

सॉफ्टवेयर

विभिन्न विभागों के कार्यों की सुविधा प्रदान करने के लिए आंतरिक रूप से कई सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। इसमें वित्त विभाग के लिए वेतन तथा पेंशन बनाने के लिए, मानक निर्धारण विभागों के लिए कार्य का कार्यक्रम, प्रमाणीकरण गतिविधि, प्रयोगशाला के लिए बाहरी प्रयोगशाला का सॉफ्टवेयर और केंद्रीय प्रयोगशाला के लिए नमूनों की निगरानी हेतु सॉफ्टवेयर बनाना शामिल है।

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षण

लगातार चौदहवें वर्ष, अर्थात् 2002–2003 में भा मा ब्यूरो ने भारत सरकार से बिना कोई बजटीय सहायता समर्थन लिए अपने गैर–योजना व्यय को पूरा करने में आत्म–निर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया है।

technological issues have been discussed, resolved and fixed in a number of meetings held with NIC. Very soon, all the offices would be connected through a Wide Area Network possibly through the Virtual Private Network (VPN) technology that will connect all Local Area Networks (LANs) at each BIS office. Software development for two major activities *viz.*, Certification Marks and Standards Formulation are at an advanced stage of designing. BIS is embarking on introduction of video conferencing (VC) system at HQ and its four regional offices.

Internet/E-Mail

All departments in BIS headquarters, regional and branch offices including BIS Central Laboratory are now connected to Internet. E-mail address on BIS domain has been provided to all Departments, Regional and Branch Offices for uniformity in e-mail address.

BIS Web Site

To disseminate and share information for internal use of BIS offices a new restricted area on BIS web site with name INTRABIS has been initiated to host important in-house information. Important office circulars and status report of various BIS Laboratories are available on INTRABIS. The new version of Buyers' Guide (All India List of Licensees) has been hosted to provide updated information to public.

Software

A number of software have been developed in-house to facilitate work of various departments. This includes software for preparation of salary and pension for Finance, Programme of Work for Standards Formulation Departments, Certification activity, software of Out side laboratory database for Laboratory and software for sample monitoring in Central lab.

FINANCE, ACCOUNTS & AUDIT

For the fourteenth consecutive year i.e. 2002-03, BIS achieved the goal of self reliance in meeting its non-plan expenditure without any budgetary support from the Government of India.

राजस्व (गैर–योजना)

वर्ष 2002–03 के दौरान कुल आय पिछले वर्ष के 7776.1 लाख रु. की तुलना में 10188.1 लाख रु. थी, जिससे 31.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आय में सबसे अधिक योगदान प्रमाणीकरण मुहरांकन शुल्क का था, जो पिछले वर्ष के 6789.5 लाख रु. की तुलना में 8979.8 लाख रु. था (*देखें* आकृति 6)।

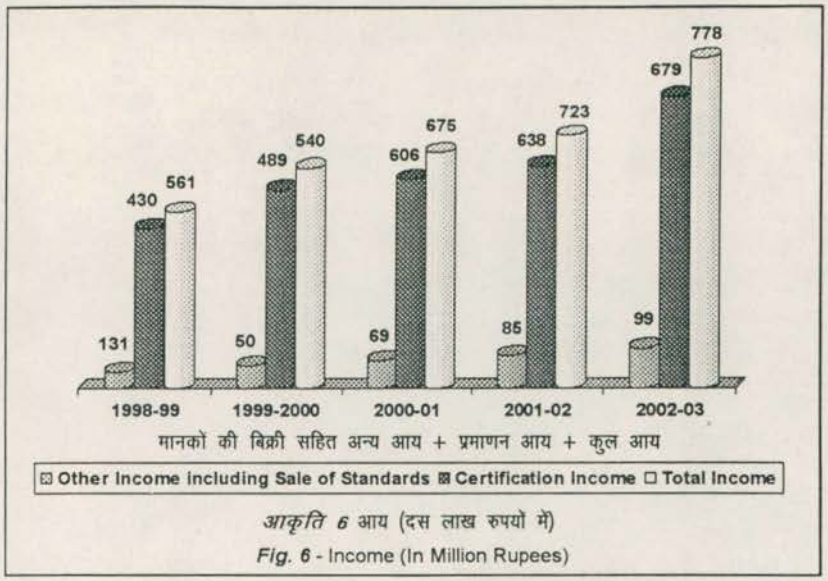

आकृति 6 आय (दस लाख रुपयों में)

Fig. 6 - Income (In Million Rupees)

Revenue (Non-Plan)

Total income during the year 2002-03 was Rs 1 018.81 million against Rs 777.61 million in the previous year resulting in an increase of 31.02 percent. The largest contribution to the income was from certification marking fee which stood at Rs 897.98 million against Rs 678.95 million in the previous year (*See* Fig. 6).

आय और व्यय

वर्ष 2002–03 के दौरान व्यय में 0.75% की वृद्धि के साथ वर्ष 2001–02 के दौरान 6536.4 लाख रु. से बढ़ कर यह 6585.7 लाख रु. हो गया।

वर्ष 2001–03, साथ ही 2001–02 के दौरान आय और व्यय का एक तुलनात्मक ब्यौरा निम्नानुसार है :

Income & Expenditure

Expenditure during the year 2002-03 has risen to Rs 658.57 million from Rs 653.64 million during 2001-02 depicting an increase of 0.75 %.

A comparative statement of Income and Expenditure during 2002-03 *vis-a-vis* 2001-02 is as under :

	रु. दस लाख में (Rupees in million) 2001–02	2002–03	वृद्धि/घटाव (–) Increase/Decrease (-)
आय **Income**			
1. प्रमाणन शुल्क Certification Fee	678.95	897.98	32.26%
2. गुणता प्रणाली प्रमाणीकरण शुल्क QS Certification Fee	22.24	30.41	36.74%
3. मानकों की बिक्री Sale of Standards	47.26	45.32	(-) 4.10%
4. ई एमएस प्रमाणन शुल्क EMS Certification Fee	3.04	2.96	(-) 2.63%
5. सम्मेलन, परामर्श और प्रशिक्षण शुल्क Conferences, Consultation & Training Fee	5.11	7.13	39.53%
6. विविध आय Misc. Income	13.68	14.30	4.53%
7. ब्याज आय Interest Income	7.33	20.71	182.54%
कुल **Total**	777.61	1 018.81	31.02%
व्यय **Expenditure**			
1. वेतन और भत्ते Pay & Allowances	366.22	354.17	(-)3.29%
2. अन्य प्रचालन व्यय Other Operating Expenses	183.08	193.77	5.84%
3. ह्रास Depreciation	24.12	26.28	8.96%
4. पेंशन देयता खाते के लिए प्रावधान Provision for Pension Liability Account	80.22	84.35	5.15%
कुल **Total**	**653.64**	**658.57**	**0.75%**
अधिशेष Surplus	123.97	360.24	
अवसंरचना विकास धनराशि का प्रावधान Provision to infrastructure Development Fund	—	90.00	
पेंशन देयता खाते के प्रावधान में हस्तांतरित बचा हुआ अधिशेष Remaining Surplus Transferred to Provision for Pension Liability Account	123.97	270.24	

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च 2003 के अनुसार तुलन पत्र
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2003

	अनुसूची SCHEDULE		31.3.2003 As on 31.3.2003		31.3.2002 AS ON 31.3.2002
निधि के स्रोत SOURCES OF FUNDS					
मूलधन Capital Fund	एन N		492057535		433645490
आरक्षित और धनराशि Reserves & Funds	ओ O		2265320604		1771311654
ऋण Loans	पी P		14400000		19600000
	कुल TOTAL		2771778139		2224557144
धनराशि पूँजी APPLICATION OF FUNDS					
स्थायी परिसम्पत्तियाँ Fixed Assets	क्यू Q		271779845		263255404
निवेश Investments	आर R		2094521847		1609313720
कार्यशील पूँजी WORKING CAPITAL					
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ ऋण और अग्रिम Current Assets, Loans & Advances	एस S	439970768		383973226	
घटाएं : वर्तमान देयता Less : Current Liabilites	टी T	34494321	31985206		351988020
	योग TOTAL		2771778139		2224557144

लेखाकरण नीतियाँ/लेखाओं टिप्पणीयां परिशिष्ट-I
निवेशों के ब्यौरे परिशिष्ट-II
Accounting Policies/Notes on Accounts Appendix-I.
Details of Investments Appendix-II.
उपरोक्त को संदर्भित अनुसूचियां लेखाओं का भाग बनाती है।
The Schedules referred to above form part of Accounts.

हस्ता./Sd/-	हस्ता./Sd/-	हस्ता./Sd/-	हस्ता./Sd/-
(निर्मल सिंह)	(बी.जी. शंकर राव)	(एस.के.दत्ता)	(एच.आर. आहुजा)
(Nirmal Singh)	(B.G. Sankara Rao)	(S.K. Datta)	(H.R. Ahuja)
महानिदेशक	उपमहानिदेशक (वित्त)	निदेशक (लेखा)	निदेशक (वित्त)
Director General	Dy. Director General (Finance)	Director (Accounts)	Director (Finance)

31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिए आय व्यय का लेखा
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2003

		अनुसूची SCHEDULE	चालू वर्ष CURRENT YEAR 2002-2003	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 2001-2002
	आय **INCOME**			
1	प्रमाणन शुल्क Certification Fees		897980548	678950143
2	गुणता पद्धति प्रमाणन शुल्क Quality System Certification Fees		30407025	22239778
3	मानकों की बिक्री Sales of Standards	ए A	45322010	47258170
4	ईएमएस प्रमाणन शुल्क EMS Certification Fees		2960660	3040385
5	अन्य आय Other Income	बी B	42135947	26121448
6	सरकारी अनुदान (राजस्व) Govt. Grant (Revenue		0	0
	योग **TOTAL**		**1018806190**	**777609924**
	व्यय **EXPENDITURE**			
1	वेतन और भत्ते Pay and Allowances	सी C	354168950	366219047
2	सेवानिवृत्ति के लाभ Retirement Benefits	डी D	84773950	80991587
3	कर्मचारियों के अन्य लाभ Other Staff Benefits	ई E	18430931	15085410
4	यात्रा व्यय Travelling Expenses	एफ F	24599064	26030973
5	अंतर्राष्ट्रीय संगठन को योगदान Subscription to International Organizations	जी G	14237638	12239659
6	उत्पादन Production	एच H	7939376	6603726
7	परीक्षण Testing	आई I	34939015	36476987
8	प्रचार Publicity	जे J	6706119	6543703
9	कार्यालय व्यय Office Expenses	के K	53539723	47858304
10	मरम्मत और रख–रखाव Repairs & Maintenance	एल L	18486827	17990830
11	अन्य व्यय Other Expenses	एम M	14465736	13473975
12	ह्रास Depreciation	क्यू Q	26282570	24121494
	योग **TOTAL**		**658569899**	**653635695**
	देयता लेखा के प्रवधान को हस्तांरित अधिशेष		360236291	123974229
	अवसंरचना विकास धनराशि के लिए प्रवाधान Surplus transferred to General Reserve Fund		90000000	0
	पेंशन Surplus transferred to Pension Fund		270236291	123974229

अनुसूची ए — मानकों की बिक्री SCHEDULE A — SALE OF STANDARDS

		वर्तमान वर्ष CURRENT YEAR 2002-2003	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 2001-2002
1.	भारतीय मानक Indian Standards	41646604	43977728
2.	विदेशी प्रकाशन (कमीशन) आयोग Overseas Publications (Commission)	3675406	3280442
	कुल TOTAL	**45322010**	**47258170**

अनुसूची बी — अन्य आय SCHEDULE B — OTHER INCOME

1.	निवेश पर अर्जित ब्याज Interest Earned on Investment		
	कुल अर्जित ब्याज Gross Interest Earned	163737515	138249478
	घटाएं : उद्दिष्ट धनराशियों हस्तारिकी		
	Less: Interest Transferred to Earmarked Funds	143027000	130923000
	निवल ब्याज Net Interest	20710515	7326478
2.	सम्मेलन, परामर्श और प्रशिक्षण शुल्क		
	Conferences, Consultancy & Training Fees	7127243	5114051
3.	विविध Miscellaneous	14298189	13680919
	कुल TOTAL	**42135947**	**26121448**

अनुसूची सी — वेतन और भत्ते SCHEDULE C — PAY AND ALLOWANCES

1.	वेतन PAY		
	महानिदेशक Director General	288152	160475
	अधिकारी Officers	89679769	92821552
	कर्मचारी Staff	110852113	129096526
2.	भत्ते ALLOWANCES		
	महानिदेशक Director General	195056	74412
	अधिकारी Officers	69105010	64589910
	कर्मचारी Staff	84048850	79476172
	कुल TOTAL	**354168950**	**366219047**

अनुसूची डी — सेवानिवृत्ति लाभ SCHEDULE D — RETIREMENT BENEFITS

	चालू वर्ष CURRENT YEAR 2002-2003	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 2001-2002
अंशदान Contributions to:		
1. भविष्य निधि Provident Fund	24430	74075
2. पेंशन उत्तरदायित्व खाते के लिए प्रावधान Annual Provision to Pension Fund	84349520	80217512
3. उपदान धनराशि Gratuity Fund	400000	700000
कुल TOTAL	**84773950**	**80991587**

अनुसूची ई — अन्य कर्मचारी लाभ SCHEDULE E — OTHER STAFF BENEFITS

1. सीजीएचएस और अन्य चिकित्सा लाभ		
CGHS and other Medical Benefits–कर्मचारी Staff	13566861	10258106
–पेंशनर Pensioners	2269592	1113581
2. कर्मचारी कल्याण Staff Welfare	2440033	2800995
3. रियायती यात्रा अवकाश (एलटीसी) Leave Travel Concession	154445	912728
कुल TOTAL	**18430931**	**15085410**

अनुसूची एफ — यात्रा व्यय SCHEDULE F — TRAVELLING EXPENSES

1. विदेश Overseas	439236	1165350
2. अधिकारी और कर्मचारी Officers and Staff	23716145	24575490
3. समिति सदस्य Committee Members	443683	290133
कुल TOTAL	**24599064**	**26030973**

अनुसूची जी — अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान SCHEDULE G — SUBSCRIPTION TO INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

1. अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन International Standards Organization	8311644	6967152
2. अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग International Electrotechnical Commission	5925994	5272507
कुल TOTAL	**14237638**	**12239659**

अनुसूची एच — उत्पादन SCHEDULE H — PRODUCTION

1. मानक Standards	5553793	4406646
2. बुलेटिन Bulletin	607078	672730
3. अन्य प्रकाशन Other Publications	1778505	1524350
कुल TOTAL	**7939376**	**6603726**

अनुसूची आई — परीक्षण SCHEDULE I — TESTING

	चालू वर्ष CURRENT YEAR 2002-2003	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 2001-2002
1. बाहरी प्रयोगशालाओं को किया गया परीक्षण शुल्क Testing Fees Paid to Outside Labs	28115467	28670124
2. प्रयोगशाला उपभोज्य तथा प्रयोगशाला उपकरणों की मरम्मत और रख-रखाव Laboratory Consumables and Repair & Maintenance of Lab Equipment	5755488	6327832
3. बाजार से खरीदे गए नमूने Market Samples	1068060	1479031
कुल TOTAL	34939015	36476987

अनुसूची जे — प्रचार SCHEDULE J — PUBLICITY

1. प्रदर्शनी Exhibition	149547	508047
2. विज्ञापन Advertising	4963313	3967663
3. दृश्य श्रव्य और अन्य Audio-Visuals and Others	1593259	2067993
कुल TOTAL	6706119	6543703

अनुसूची के — कार्यालय व्यय SCHEDULE K — OFFICE EXPENSES

1. स्टेशनरी Stationery	6388597	6047290
2. डाक व्यय Postage	5805637	5009245
3. टेलीफोन और टेलेक्स Telephone and Telex	7838954	7463033
4. भर्ती Recruitment	-	100971
5. स्वलपाहार और मनोरंजन Refreshment and Entertainment	1088308	1030698
6. आईवरीज Liveries	417042	476488
7. भाडा और कारटेज Freight and Cartage	624951	610457
8. बीमा और बैंक प्रभार Insurance and Bank Charges	1456328	1266315
9. विविध Miscellaneous	2152685	1854993
10. किराया और कर Rent and Taxes	11915704	8618240
11. बिजली और पानी Electricity and Water	15851517	15380574
कुल TOTAL	53539723	47858304

अनुसूची एल — मरम्मत और रख-रखाव SCHEDULE L — REPAIRS AND MAINTENANCE

	चालू वर्ष CURRENT YEAR 2002-2003	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 2001-2002
1. फर्नीचर और उपकरण Furniture and Equipment	2214924	2568947
2. भवन Building	13524369	13576821
3. वाहन Vehicles	2747534	1845062
कुल TOTAL	**18486827**	**17990830**

अनुसूची एम — अन्य व्यय SCHEDULE M — OTHER EXPENSES

1. सम्मेलन, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम Conferences, Consultancy and Training Programme	4383317	3740958
2. इलैक्ट्रॉनिकी आँकड़ा प्रसंसाधन Electronic Data Processing	3082068	2219823
3. पुस्तकालय चंदा और अन्य व्यय Library Subscription and Other Expenses	288869	454894
4. लेखा परीक्षा शुल्क और वैज्ञानिक प्रभार Audit Fees and Legal Charges	1375276	1336494
5. कर्मचारी प्रशिक्षण Staff Training	186700	397423
6. ब्याज / गृह निर्माण ऋण पर ब्याज आर्थिक सहायता (सबसिडी) Interest/Interest Subsidy on House Building Loan	1659654	2682512
7. अन्य ऋणों पर ब्याज Interest on Other Loans from :		
ए) केन्द्रीय सरकार a) Central Government		
बी) अन्य स्रोत — विश्व बैंक ऋण b) Other Sources—World Bank Loan	160448	209705
8. पुरानी देनदारी बट्टे खाते में Bad Debts Written Off	39416	40107
9. गुवता पद्धति प्रभार Quality System Charges	289956	2129108
10. हिन्दी प्रोत्साहन गतिविधियाँ Hindi Promotional Activities	390732	253861
कुल TOTAL	**14465736**	**13473975**

अनुसूची एन — मूलधन SCHEDULE N — CAPITAL FUND

	चालू वर्ष CURRENT YEAR 2002-2003	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 2001-2002
तुलन पत्र के अनुसार As per Last Balance Sheet	433645490	358716545
जोड़े : **Add:**		
i) योजना अनुदानों से पूँजीकृत परिसम्पत्तियों की लागत (अनुसूची 'ओ' की क्रम सं. 1 देखे) Cost of assets capitalized from Plan Grants (Refer Schedule 'O' Sl No.1)	4476986	37894431
ii) विश्व बैंक ऋण से हस्तांरित मोचन धनराशि खाता Transfer from World Bank Loan Redemption Fund Account	23599000	5200000
iii) वर्ष के दौरान भा.मा. ब्यूरो की अपनी राशि में मूलधन व्यय (अवसंरचना विकास निधि से मूलधन को हस्तांरित राशि) Capital Expenditure from BIS own funds during the year (Amount Transferred from Infrastructure Development Fund to Capital Fund)	30386848	31771834
iv) यू.एन.डी.पी. धनराशि में से पूँजीकृत परिसम्पतियों की लागत Cost of Assets Capitalized from UNDP Funds	0	277503
कुल **TOTAL**	**492108324**	**433860313**
नामे : **Less:**		
i) पूँजी निवेश बट्टे खाते में Capital Investment Written Off	50789	214823
कुल **TOTAL**	**492057535**	**433645490**

अनुसूची ओ — रिजर्व और निधियाँ SCHEDULE O — RESERVES AND FUNDS

क्र. सं. / Sl No.	विवरण / Particulars	अप्रैल 02 को राशि / Fund Balance as on Apr 2002	वर्ष 2002-03 के दौरान प्राप्त अनुदान / Grant Received during 2002-03	अन्य प्राप्तियाँ/ पुर्नविनियोजन / Other Receipts/ Appropriations	वर्ष के दौरान उपयोग Utilization during the Year 2002-03			31 मार्च 2003 के अनुसार / As on 31 March 2003
					पूँजी / Capital	राजस्व / Revenue	कुल / Total	
1	पूंजीकरण की प्रक्रिया में धनराशि (परियोजना का नाम) **FUNDS IN THE PROCESS OF CAPITALIZATION** (Name of the Projects)							
	भारत सरकार से प्राप्त योजनागत धनराशि PLAN FUND FROM GOI							
	क) प्रयोगशाला उपकरण, कंप्यूटर सबद्ध उपकरण धनराशि a) Laboratory Equipment, Computer and Associated Equipment Fund	3865778	0	318224 (Interest) (ब्याज)	1476986	0	1476986	2707016
	ख) कोलकाता प्रयोगशाला-सह-कार्यालय भवन निधि b) Kolkata Lab-cum-Office Building Fund	458933	0	0	—	—	0	170701
	ग) विज्ञान व प्रौद्यो. परियोजना धनराशि c) S&T Project Fund	385	0	0	—	—	0	458933
	घ) गैट परियोजना धनराशि d) GATT Project Fund	153006	0	0	—	—	0	385
	ङ) प्रशिक्षण संस्थान धनराशि e) Training Institute Fund	0	3000000	0	3000000	—	0	153006
	च) वर्तमान भवन में वृद्धि f) Additions to Existing Building — HQ Fund	192879	0	-192879 (Refund)		—	3000000	0
	छ) उपभोक्ता कल्याण धनराशि g) Consumer Welfare fund	0	150000000	0	0	0	0	15000000
	कुल TOTAL	**4670981**	**18000000**	**125345**	**4476986**	**0**	**4476986**	**183193401**
2	कर्मचारी धनराशि **EMPLOYEES FUND**							
	क) ग्रेच्युटी धनराशि Gratuity Fund	529825	0	400000	0	793995	793995	135830
	ख) परोपकारी धनराशि Benevolent Fund	449929	0	149220	0	208000	208000	508709
	ग) जी.पी. धनराशि G.P. Fund	491116959	0	113251096	0	78643011	78643011	525725044
	घ) सी.पी. धनराशि C.P. Fund	3597772	0	272062	0	3344223	3344223	525611
	कुल TOTAL	**494794627**	**0**	**114072378**	**0**	**82989229**	**82989229**	525877776

अनुसूची ओ — रिजर्व और निधियाँ SCHEDULE O — RESERVES AND FUNDS

क्र. सं. / Sl No.	विवरण / Particulars	अप्रैल 2002 को राशि / Fund Balance as on Apr 2002	वर्ष 2002-03 के दौरान प्राप्त अनुदान / Grant Received during 2002-03	अन्य प्राप्तियाँ/ पुर्नविनियोजन / Other Receipts/ Appropriations	वर्ष के दौरान उपयोग Utilization during the Year 2001-02 पूँजी / Capital	राजस्व / Revenue	योग / Total	31 मार्च 2003 के अनुसार / As on 31 March 2003
3	उद्दिष्ट घनराशि EARMARKED FUNDS							
	ए) विश्व बैंक ऋण मोचन घनराशि World Bank Loan Redemption Fund	35017000	0	2982000	0	23599000	23599000	14400000
	बी) अवसंरचना विकास घनराशि Infrastructure Development Fund	287541677	0	122558000	30386848	0	30386848	379712829**
	सी) पेंशन देयता खाते के लिए प्रावधान Pension Fund	949287369	0	462072810	0	84349520	84349520	1327010659***
	कुल TOTAL	1271846046	0	587612810	30386848	107948520	138335368	1721123488
	कुल GRAND TOTAL	1771311654	18000000	701810533	34863834	190937749	225801583	2265320604

*18319340.00 रु. में से 2083124.00 रु. का उपयोग कर लिया गया और अनुसूची एस के मद 3 सी (ii) में अग्रिम के रुप में दर्शाया गया है, इसलिए दिनांक 31.3.2003 को अनुदान की बिना खर्च हुई शेष (ब्याज सहित) 16236216 रु. थी।

* Out of Rs. 18319340 a sum of Rs. 2083124 has been utilized and shown as advance under Schedule S Item 3c(ii), therefore, the unspent balance of grant (including interests) as on 31.3.2003 amounts to Rs. 16236216.

** कृपया लेखा टिप्पणी संख्या 2.1 को देखें।

** Please refer to Accounting Note No. 2.1

*** कृपया लेखा टिप्पणी संख्या 2.2 को देखें।

*** Please refer to Accounting Note No. 2.2

अनुसूची पी — ऋण SCHEDULE P — LOANS

ऋण का प्रकार	31 मार्च 2002 के अनुसार As on 31 March 2002	वर्ष 2002-03 के दौरान During 2002-03		31 मार्च 03 को शेष Balance on 31 March 2003
		प्राप्तियाँ Receipts	पुन भुगतान Repayment	
Nature of Loan				
i) भारत सरकार से ऋण Loans from Govt. of India	—	—	—	—
कुल **Total**	—	—	—	—
ii) अन्य स्रोतों से ऋण Loans from other sources				
1. विश्व बैंक World Bank	19600000	—	5200000	14400000
कुल **Total**	**19600000**	—	**5200000**	**14400000**
महा योग **Grand Total**	**19600000**	—	**5200000**	**14400000**

अनुसूची क्यू — अचल परिसंपत्तियाँ SCHEDULE Q — FIXED ASSETS

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	सकल ब्लाक मूल्य के अनुसार Gross Block at Cost				मूल्यह्रास Depreciation				नेट ब्लाक Net Block	
		31 मार्च 2002 को स्थिति As at 31 March 2002	जमा Addition	घटा बिक्री/ बट्टे-खाते Deduction Sale/ Written Off	31 मार्च 2003 को स्थिति As at 31 March 2003	31 मार्च 2002 तक Up to 31 Mar 2003	जमा Addition	घटा बिक्री/ बट्टे-खाते Deduction Sale/ Written Off	31 मार्च 2003 तक Up to 31 Mar 2003	31 मार्च 2003 को स्थिति As at 31 Mar 2003	31 मार्च 2002 को स्थिति As at 31 Mar 2002
1.	भवन मुख्यालय (मानक भवन/मानकालय) Building-Headquarters(Manak Bhavan/Mankalaya)	16692101	0	0	16692101	7783859	879127	—	8662986	8029115	8908242
2.	भवन-I चेन्नई Building - I Chennai	1133556	0	0	1133556	772464	17546	—	790010	343546	361092
3.	भवन-II चेन्नई Building - II Chennai	9262130	0	0	9262130	3981717	278198	—	4259915	5002215	5280413
4.	भवन - साहिबाबाद में केन्द्रीय प्रयोगशाला Building - Central Laboratory at Sahibabad	14365960	0	0	14365960	8370941	322038	—	8693079	5672881	5995019
5.	भवन - मुम्बई Building - Mumbai	5274900	0	0	5274900	3424051	86440	—	3510491	1764409	1850849
6.	भवन-I कोलकाता Building - I Kolkata	3112635	0	0	3112635	2061481	50518	—	2111999	1000636	1051154
7.	भवन-II कोलकाता Building - II Kolkata	8698466	0	0	8698466	3319649	266678	—	3586327	5112139	5378817
8.	रिहायशी फ्लैट Residential Flats	60565910	1730400	—	62296310	17939907	2217820	—	20157727	42138583	42626003
9.	जीरॉक्स कापी उपस्कर Additional Fire Safety Measures (Capital-WIP)	0	6800	—	6800	0	0	—	0	6800	131
10.	प्रयोगशाला उपस्कर योजना Laboratory Equipment - Plan	141920581	1476986	—	143397567	128339537	3530141	—	131869678	11527889	13581044
11.	फर्नीचर, कार्यालय उपस्कर और कम्प्यूटर Furniture, Office Equipment and Computers	80901186	5622776	697500	85826462	57619996	8245931	660495	65205432	20621030	23281190
12.	वाहन Vehicles	2814859	898667	40979	3672547	2280519	286309	40736	2526092	1146455	534340
13.	रिप्रोग्राफी उपस्कर Reprographic and zerox Equipment	1190470	—	437199	753271	1177321	2173	432700	746794	6477	13018
14.	पुस्तकालय की पुस्तकें Library Books	14832268	947621	6034	15773855	0	0	—	0	15773855	14832268

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	सकल ब्लाक मूल्य के अनुसार Gross Block at Cost				मूल्यह्रास Depreciation				नेट ब्लाक Net Block	
		31 मार्च 2002 को स्थिति As at 31 March 2002	जमा Addition	घटा बिक्री/ बट्टे-खाते Deduction Sale/ Written Off	31 मार्च 2002 को स्थिति As at 31 March 2002	31 मार्च 2002 तक Up to 31 Mar 2002	जमा Addition	घटा बिक्री/ बट्टे-खाते Deduction Sale/ Written Off	31 मार्च 2003 तक Up to 31 Mar 2003	31 मार्च 2003 को स्थिति As at 31 Mar 2003	31 मार्च 2003 को स्थिति As at 31 Mar 2003
15.	मुख्यालय भवन का विस्तार-मानक भवन में सभागार Ext.of HQ Building—Auditorium in Manak Bhawan	1442902	—	—	1442902	1039311	26144	—	1065455	377447	403591
16.	मुख्यालय भवन का विस्तार-अग्नि शमन परियोजना Ext.of HQ Building—Fire Fighting Project	2937333	—	—	2937333	2111311	131200	—	2242511	694822	826022
17.	विश्व बैंक परियोजना उपस्कर World Bank Project Ecupment	21002420	—	72418	20930002	11760858	3088129	63376	14785611	6144391	9241562
18.	भूमि-जम्मू Land—Jammu	49467	—	—	49467	0	0	—	0	49467	49467
19.	नोएडा में प्रशिक्षण संस्थान — भूमि लागत Training Institute at NOIDA—Land	47750000	—	—	47750000	0	0	—	0	47750000	47750000
20.	प्रशिक्षण संस्थान निर्माण लागत—पूंजी डब्ल्यू.आई.पी. Training Institute at Noida - Building	41339689	16940377	—	58280066	0	3532831	—	3532831	54747235	41339689
21.	भवन - भोपाल कार्यालय Building—Bhopal Office	14335000	—	—	14335000	2659053	583797	—	3242850	11092150	11675947
22.	प्रयोगशाला उपस्कर — गैर-योजना Laboratory Equipment—BIS Fund	3675618	4727793	—	8403411	1117109	1824273	—	2941382	5462029	2558509
23.	भूमि-जयपुर Land—Jaipur	15485877	—	—	15485877	0	0	—	0	15485877	15485877
24.	भवन फरीदाबाद कार्यालय (रू. 660439 की पूंजी डब्ल्यू.आई.पी. सहित) Building Faridabad Office (including Furnishing WIP Rs. 660439)	10734882	2358574	—	13093456	503722	913177	—	1416899	11676557	10231160
25.	भवन जयपुर (पूंजी–डब्ल्यू आई पी) Building Jaipur (Capital WIP)	0	153840	—	153840	—	0	—	0	153840	—
	योग TOTAL	**519518210**	**34863834**	**1254130**	**553127914**	**256262806**	**26282570**	**1197307**	**281348069**	**271779845**	**263255404**

अनुसूची आर — निवेश (लागत पर) SCHEDULE R — INVESTMENTS (AT COST)

क्रम सं. / Sl No.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2002 को स्थिति As on 31 March 2002	जमा Additions	कटौतियाँ (बिक्री/परिपक्वता) Deductions (Sale/Maturity)	31 मार्च 2003 को स्थिति As on 31 March 2003
1.	विशिष्ट निधियों का निवेश **Investment of Specified Funds**				
	बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं में जमा: Deposits with Banks and Financial Institutions Under:	0 —	0 642500000	182806620 459693380	— —
	1.1 आधारभूत संरचना विकास निधि निवेश लेखा Infrastructure Devlopment Fund Investment Account	257379297	95786206*	—	353165503
	1.2 पेंशन निधि निवेश लेखा Pe nsion Fund Investment Account	849709573	384524174*	—	1234233747
	1.3 विश्व बैंक ऋण प्रतिदान निधि निवेश लेखा World Bank Loan Redemption Fund Investment Account	35017000	2982000	23599000*	14400000
	योग **TOTAL**	**1142105870**	**1125792380**	**483292380**	**1601799250**
2.	कर्मचारी निधियों का निवेश **Investment of Employees Funds**				
	2.1 सामान्य भविष्य निधि G.P. Fund	454991085	31243088	2000250	484233923
	2.2 अंशदायी भविष्य निधि C.P. Fund	6587663	601011	0	7188674
3.	निवेश (अन्य) **Investment (others)**				
	3.1 योजनागत परियोजनाओं के बाहर Out of Plan Projects	4329102	0	4329102	0
	3.2 अहमदाबाद शाखा कार्यालय भवन परियोजना ABO Building Project	1300000	0	0	1300000
	कुल योग **GRAND TOTAL**	**1609313720**	**1157636479**	**489621732**	**2094521847**

'विभिन्न धनराशि निवेश खातों, अर्थात अवसंरचना विकास धनराशि निवेश खाते, पेंशन धनराशि निवेश खाते में हस्तान्तरित, ताकि अवसंरचना विकास धनराशि निवेश खाते और पेंशन धनराशि निवेश खाते के अंतिम शेष अपनी–अपनी बची हुई धनराशि के अनुपात में हो और विश्व बैंक ऋण मोचन धनराशि खाते के बराबर रहे (957886206+384524174+2982000–23599000–459693380)

निवेश के ब्यौरे परिशिष्ट II में दिए गए हैं।

धनराशि के निवेश पर टिप्पणियां परिशिष्ट I की टिप्पणी सं. 2.5 में दी गई हैं।

*Transferd to various Fund Investment Accounts, that is Infrastructure Development Fund Investment Account, Pension Fund Investment Account and as World Bank Loan 'Redemption Fund Investment Account so that the closing balances of infrastructure Development Fund Investment Account and Pension Fund Investment Account, are in proportion to their respective fund balances and World Bank Loan Redemption Fund Investment Account is at par with World Bank Loan Redemption Fund Account, (957886206+384524174+2982000-23599000-459693380)

The details of investment are given in Appendix II.

Notes on Investment of Funds are given at Note No. 2.5 of Appendix I.

अनुसूची एस — चालू परिसम्पत्तियों, ऋण और अग्रिम
SCHEDULE S — CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

क्रम सं. विवरण SL. PARTICULARS NO.	चालू वर्ष As on 31.3.2003	पिछला वर्ष As on 31.3.2002
1. भण्डार (लागत पर) **Stock (at Cost)**		
ए) छपाई का कागज		
a) Printing Paper	2137606	2058522
बी) प्रयोगशाला में उपकरण और स्टोर का सामान		
b) Laboratory Apparatus and Stores	1672820	1638058
सी) स्टेशनरी तथा कंप्यूटर की खपत योग्य सामग्री		
c) Stationery Computer Consumables and Canteen	1362766	1176525
डी) मरम्मत और रख-रखाव की खपत योग्य सामग्री		
d) Repair & Maintenance Consumables	404866	436945
ई) स्वर्ण आभूषणो का स्टॉक		
e) Stock of Gold Jewellery	762080	—
2. फुटकर लेनदारियाँ **Sundry Debtors**		
ए) प्रकाशनों की बिक्री		
a) Sale of Publications	2875788	2761713
बी) प्रमाणन		
b) Certification	6199484	7125861
सी) प्रमाणन - आवेदन शुल्क की संशोधित बकाया राशि, नवीकरण शुल्क और वार्षिक लाइसेंस शुल्क, संदिग्ध ऋण और अन्य		
c) Certification—Revision arrears of application fee renewal fee and annual licence fee— doubtful debts	4375684	4396351
— others	86345	92145
3. ऋण, अग्रिम और जमा **Loans, Advances and Deposits**		
ए) कर्मचारियों को निम्नलिखित के लिए ऋण :		
a) Loans to employees for:		
i) वाहन की खरीद के लिए Purchase of Conveyance	12573066	14130466
ii) आवास निर्माण के लिए House Construction	35574689	30375021
III) कंप्यूटर के लिए Computer	2345442	3000065
बी) कर्मचारियों को निम्नलिखित के लिए अग्रिम		
b) Advances to employees for:		
i) त्यौहार Festival	680715	757275
ii) प्राकृतिक आपदाएँ Natural Calamities	1562	3962
iii) यात्रा व्यय Travelling Expenses	1677601	2910307
iv) छुट्टी यात्रा Leave Travel	34378	207693

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
		2002-2003	2001-2002
SL NO.	PARTICULARS	CURRENT YEAR 2002-2003	PREVIOUS YEAR 2001-2002
	v) पंखा अग्रिम Fan Advance	2299	6159
	सी) समायोजनीय अग्रिम c) Adjustable Advances		
	i) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र National Information Centre	22216000	0
	ii) अन्य Other	5303003	7626130
	iii) योजनागत परियोजना योजनाएँ Plan Project Scheme	2083124	1994263
	iv) विश्व बैंक परियोजना योजना World Bank Project Schemes	7012037	7012037
	डी) वसूली योग्य लेखे d) Accounts Recoverable		
	i) लेखे वसूली योग्य (कर्मचारियों से) Accounts Recoverable (Employees)	135363	159401
	ii) सरकारी पार्टियों से वसूली योग्य (आईपीटी के संदर्भ में वित्त मंत्रालय व विदेश मंत्रालय से) Recoverables form Govt. Parties: (From MOF and MEA towards ITPs)	4967004	5060423
	iii) लेखे वसूली योग्य (अन्य) Accounts Recoverable (Other)	5776376	5434288
4.	अं.भ.नि./सा.भ.नि. से अग्रिम **Advances from CPF/GPF**		
	i) सा.भ.नि. GPF	19748397	19929823
	ii) अ.भ.नि. CPF	0	224340
5.	प्रतिभूति जमा **Security Deposits**	2178802	1941637
6.	पूर्वप्रदत्त व्यय **Prepaid Expenses**	4497074	4486624
7.	स्रोत पर काटा गया कर **Tax Deducted at Sources**	8079572	8432155
8.	ब्याज प्राप्ति तथा बकाया **Interest Accrued & Due**		
	— गैर-योजनागत-Non Plan BIS Fund	182210387	148258198
	— सा.भ.नि./अ.भ.नि. GPF/CPF	19693198	17570939
	— योजनागत परियोजनाएँ Plan Projects	0	1415694
9.	रोकड़ तथा बैंक शेष **Cash and Bank Balances**		
	ए) बैंक में a) With Banks	79204112	77698927
	बी) हाथ में (इम्प्रेस्ट सहित) b) In hand (including imprest)	577855	603040
	सी) फ्रेंकिंग मशीन c) Franking Machine	119626	226439
	डी) पारवहन में चैक d) Cheques in Transit - Plan Funds	3401709	4815000
	योग TOTAL	439970768	383973226

अनुसूची टी — चालू देयताएँ SCHEDULE T — CURRENT LIABILITIES

क्रम सं. SL NO.	विवरण PARTICULARS	चालू वर्ष As on 31.3.2003	पिछला वर्ष As on 31.3.2002
1.	फुटकर देनदारियाँ Sundry Creditors		
	ए) देश में a) Inland	6613407	9188916
	बी) विदेश में b) Abroad	7128913	5779000
	सी) बयाना राशि c) Earnest Money Deposits	10350521	8171358
2.	ग्राहक बकाया Customer Balances		
	ए) बिक्री a) Sales	2869756	2558490
	बी) प्रमाणन b) Certification	5174070	4087558
3.	भुगतान योग्य लेखे (कर्मचारियों के) Accounts Payable (Employees)	435640	383042
4.	अप्रदत्त वेतन Unpaid Salaries	21898	25153
5.	बिहार सरकार (प्रयोगशाला उपस्कर खाता) Govt. of Bihar (A/c Lab. Equipment)	395526	395526
6.	गुजरात सरकार (अ.शा.का.भवन खाता) Govt. of Gujarat (ABO Building A/c)	1395209	1312335
8.	यूएनडीपी सहायता — अव्यचित शेष UNDP Assistance — Unspent Balance	109381	83828
	योग TOTAL	3494321	31985206

परिशिष्ट–I

लेखाकरण नीतियाँ / लेखा टिप्पणियाँ

1. लेखाकरण नीतियाँ

i) आय एवं व्यय स्वीकशति

क. आय का लेखाकरण सामान्यतः नकद आधार पर किया जाता है, सिवाए ब्याज आय के, जिसका लेखाकरण संभूति आधार पर किया जाता है।

ख. व्यय का लेखाकरण सामान्यतः तिजारती प्रणाली के अनुसार किया जाता है!

ii) निवेश

निवेशों का कथन लागत आधार पर किया जाता है।

iii) वस्तु सूचियाँ

भारतीय मानकों तथा अन्य प्रकाशनों के स्टॉक का लेखा में मूल्यनिर्धारण एवं लेखाकरण नहीं किया जाता क्योंकि उनका कोई तैयार विपणन योग्य मूल्य नहीं होता। तथापि, कागज, प्रयोगशाला उपभोज्य वस्तुओं, लेखासामग्री तथा स्वर्ण का मूल्य निर्धारण लागत पर किया जाता है।

iv) अचल परिसंपत्तियाँ

अचल परिसंपत्तियों का कथन बट्टे खाते डाले गए मूल्य की विधि के अनुसार लागत में से उपबंधित संचित मूल्यह्रास को घटाकर किया जाता है।

2. लेखा टिप्पणियाँ

2.1 अवसंरचना विकास निधि [अनुसूची ओ – मद 3 (ख)]

2.1.1.1 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार आरंभिक अधिशेष की राशि 2 875.42 लाख रूपए थी। परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर वर्ष 2002–2003 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो की स्वयं की निधियों में से 303.87 लाख रूपए का व्यय उपगत किया गया/अग्रिम राशि को समायोजित किया गया जैसा कि नीचे दिया गया है :-

		(लाख रूपए)
i)	भवन–प्रशिक्षण संस्थान नोएडा	
	वर्ष 2002–2003 क दौरान व्यय की गई कुल राशि	169.40
	घटाए : सरकार के आयोजना अनुदान में से व्यय की गई राशि	30.00
		139.40
ii)	भवन–फरीदाबाद कार्यालय साज सज्जा	23.58
iii)	कम्प्यूटरों सहित कार्यालय उपस्कर तथा फर्नीचर	56.23
iv)	प्रयोगशाला उपस्कर	47.28
v)	वाहन	8.99
vi)	रिहायशी फ्लैट–कौशम्बी, गाजियाबाद	17.30
vii)	पुस्तकालय की पुस्तकें	9.48
viii)	भवन जयपुर (कैपिटल डब्ल्यू आई पी)	1.54
ix)	अतिरिक्त अग्नि सुरक्षा उपाय (कैपिटल डब्ल्यू आई पी)	0.07
		303.87

APPENDIX-I

ACCOUNTING POLICIES/NOTES ON ACCOUNTS

1. ACCOUNTING POLICIES

i) **Income & Expenditure Recognition**

a) Income is generally accounted on cash basis except interest income which is accounted on accrual basis.

b) Expenditure is generally accounted as per mercantile system.

ii) **Investments**

Investments are stated at cost.

iii) **Inventories**

Stock of Indian Standards and other publications are not valued and accounted for in the Accounts as they have no ready marketable value. However, the stock of paper, laboratory Consumables, stationery and gold are valued at cost.

iv) **Fixed Assets**

Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation provided on written down value method.

2. NOTES ON ACCOUNTS

2.1 Infrastructure Development Fund (Schedule O — Item 3 (b) :-

2.1.1 The opening balance in the fund as on 1 April 2002 amounted to Rs. 2 875.42 lakh. An expenditure of Rs. 303.87 lakh was incurred/advance adjusted out of BIS own funds during 2002-03 on acquisition of Assets as under :

		(Rs. In lakh)
i)	Building—Training Institute NOIDA	
	Total amount spent during 2002-03	169.40
	Less : Spent out of Govt. plan grant	30.00
		139.40
ii)	Building—Faridabad Office—Furnishing	23.58
iii)	Furniture & Office Equipments including computers	56.23
iv)	Laboratory Equipments	47.28
v)	Vehicles	8.99
vi)	Residential Flats—Kaushambhi, Ghaziabad	17.30
vii)	Library Books	9.48
viii)	Building Jaipur (Capital WIP)	1.54
ix)	Additional Fire Safety Measures (Capital WIP	0.07
		303.87

2.1.2. अतः 303.87 लाख रूपए की इस राशि को अवसंरचना विकास निधि में से पूंजी निधि में अंतरित कर दिया गया।

2.1.3. वर्ष 2002–2003 के दौरान निधि के प्रति निवेश में से 325.58 लाख रूपए की ब्याज आय को अवसंरचना विकास निधि लेखे में जमा कर दिया गया है।

2.1.4. वर्ष 2002–2003 के अनुमोदित संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार अवसंरचना विकास निधि लेखे में 900.00 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार, इस निधि खाते में अधिशेष राशि 3797.13 लाख रूपए है जैसाकि अनुसूची 'ओ'–मद 3(ख) में दर्शाया गया है।

2.2 पेंशन देयता लेखे के लिए प्रावधान [अनुसूची ओ – मद 3 (ग)]

2.2.1. कार्यकारिणी समिति ने 27.3.2002 को आयोजित अपनी 50वीं बैठक में निर्णय लिया था कि पेंशन देयता लेखे के लिए वार्षिक प्रावधान संगत वर्षों के सेवानिवृत्ति लाभों तथा पेंशन के भुगतान के कारण वास्तविक देयता की सीमा तक किया जाएगा। कार्यकारिणी समिति ने यह निर्णय भी किया कि सृजित अतिशेष, यदि कोई हो, आवश्यक सीमा तक अवसंरचना विकास निधि को अंतरित कर दिया जाएगा तथा शेष अतिशेष, यदि कोई हो, भविष्य में पेंशन की भारी देयता के दृष्टिगत पेंशन देयता लेखे के लिए प्रावधान की ओर अंतरित कर दिया जाएगा।

2.2.2. कार्यकारिणी समिति के निर्णय के समनुरूप, 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार पेंशन देयता लेखे के लिए प्रावधान में निम्नलिखित जमा/नामे किए गए हैं:-

2.2.2.1 वर्ष 2002–2003 के दौरान पेंशन उपदान तथा रांशीकरण के भुगतानों की कुल राशि 843.50 लाख रूपए थी। इसे आय एवं व्यय लेखे में प्रभारित किया गया है तथा वार्षिक प्रावधान के रूप में पेंशन देयता लेखे के लिए प्रावधान में जमा कर दिया गया है। 843.50 लाख रूपए के भुगतानों को पेंशन देयता लेखे के लिए प्रावधान के नामे डाला गया है।

2.2.2.2 वर्ष 2002–2003 के दौरान निधि के प्रति निवेश में से 1 074.81 लाख रूपए की ब्याज आय को पेंशन देयता लेखे के लिए प्रावधान में जमा कर दिया गया है।

2.2.2.3 अवसंरचना विकास निधि के लिए प्रावधान करने के पश्चात, सृजित किए गए शेष अधिशेष की 2 702.36 लाख रूपए की राशि को पेंशन देयता लेखे के लिए प्रावधान में अंतरित कर दिया गया है।

2.2.2.4 उक्त लेन–देनों के परिणामस्वरूप, पेंशन देयता लेखे के लिए प्रावधान इस प्रकार 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार 13 270.11 लाख

2.1.2 This amount of Rs. 303.87 lakh was therefore, transferred to Capital Fund, out of Infrastructure Development Fund.

2.1.3 The interest income of Rs. 325.58 lakh out of investment against the fund during 2002-03 has been credited to Infrastructure Development Fund Account.

2.1.4 A provision of Rs. 900.00 lakh has been made to Infrastructure Development Fund Account as per the approved Revised Budget Estimates of 2002-03. The balance in this Fund Account as on 31.3.2003 thus amounts at Rs. 3 797.13 lakh as shown in Schedule 'O'—Item 3(b).

2.2 Provision for Pension Liability Account (Schedule O - Item 3(C) —

2.2.1 EC in its 50th meeting held on 27.3.2002 had decided that the annual provision for Pension Liability Account may be made to the extent of actual liability on account of payment of pension and retirement benefits of the relevant years. EC also decided that the surplus generated, if any, may be transferred to Infrastruture Development Fund to the extent necessary and the remaining surplus, if any, may be transferred towards the Provision for Pension Liability Account in view of the huge liability of pension in future.

2.2.2 In consonance with above EC decision, the following credits/debits have been made to the Provision for Pension Liability Account as on 31.3.2003:

2.2.2.1 The total payments of pension, gratuity and commutation during 2002-03 amounted to Rs. 843.50 lakh. This has been charged to Income & Expenditure Account and credited to Provision for Pension Liability Account being annual provision. The payments of Rs. 843.50 lakh have been debited to Provision for Pension Liability Account.

2.2.2.2 The interest income of Rs. 1 074.87 lakh out of investment against the fund during 2002-03 has been credited to Provision for Pension Liability Account.

2.2.2.3 After making provision for Infrastructure Development Fund, the remaining surplus generated amounting to Rs. 2 702.36 lakh has been transferred to Provision for Pension Liability Account.

2.2.2.4 As a result of above trasactions, the Provision for Pension Liability Account thus amounts to Rs. 13 270.11

रूपए बैठता है (अर्थात पेंशन देयता खाते के लिए प्रावधान का अधिभेष 9492.87 लाख रूपए + वार्षिक आवंटन 843.50 लाख रुपए – पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय 843.50 लाख रुपए + निवेश पर अर्जित ब्याज 1 074.87 लाख रुपए + पेंशन देयता खाते के लिए प्रावधान में अंतरित अतिशेष 2 707.17 लाख रुपए = 13 270.11 लाख रुपए)।

2.2.3 पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता का निर्धारण :– यह सूचित किया गया है कि जीवन बीमा निगम ने अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 7 जून, 2003 तथा पत्र संख्या पी एवं जी एस दिनांक 10 जून, 2003 के तहत अपनी बीमांकित ज्रांच/कोटेशन प्रस्तुत की थी तथा इसके अनुसार 1.6.2003 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा निगम की वर्तमान वार्षिकी खरीद दरों पर आधारित पेंशन तथा पेंशन के संराशीकृत मूल्य के लिए देयता निम्न प्रकार है:–

i)	83.09 करोड़ रुपए	मौजूदा पेंशनभोगियों / परिवार पेंशनभोगियों के लिए ;
ii)	152.97 करोड रुपए	मौजूदा कर्मचारियों के लिए पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों तथा उनके परिवारो के लिए परिवार पेंशन हेतु। भविष्य में मंहगाई भत्ते में वृद्धि के कारण अतिरिक्त देयता होगी।
iii)	16.90 करोड रुपए	मौजूदा कर्मचारियों के लिए उपदान हेतु।
	252.96 करोड़ रुपए अर्थात 253.00 करोड़ रुपए	

यथोक्त 253.00 करोड़ रुपए के अतिरिक्त, पेंशन तथा पेंशन के संराशीकृत मूल्य के लिए वार्षिक मजदूरी बेल (ए डब्ल्यू बी) के 21 प्रतिशत की दर पर वार्षिक अंशदान तथा उपदान के लिए 34.61 लाख रुपए की राशि जीवन बीमा निगम को संदेय है।

253.00 करोड रुपए की कुल देयता के प्रति 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार, पेंशन देयता लेखा के लिए प्रावधान में 132.70 करोड रुपए की राशि उपलब्ध है। इस प्रकार पेंशन देयता खाते के लिए प्रावधान में 120.30 करोड़ रुपए (253.00 करोड़ रुपए – 132.70 करोड़ रुपए) की कमी है। उक्त मामला विचाराधीन है।

2.3 नोएडा में प्रशिक्षण संस्थान भवन–अनुसूची–ओ मद 1(च) तथा अनुसूची क्यू (मद 19 एवं 20)

2.3.1 सरकार से वर्ष 2002–2003 के दौरान प्रशिक्षण संस्थान भवन की संरचना के लिए 30.00 लाख रुपए का कुल अनुदान प्राप्त हुआ था। वर्ष 2002–2003 तक प्रशिक्षण संस्थान भवन के लिए सरकार से प्राप्त किए जा चुके कुल संचयी योजना अनुदान की राशि 803.57 लाख रुपए है।

lakh as on 31.3.2003. (that is 9492.87 lakh opening balance of Provision for Pension Liability Account+843.50 lakh being annual Allocation - Rs. 843.50 lakh expenditure on Pension & Retirement Benefits + 1 074.87 lakh Interest earned on Investment + 2 702.37 lakh surplus transferred to Provision for Pension Liability Account = Rs. 13 270.11 lakh).

2.2.3 Assessment of liability for Pension/Retirement Benefits: It is reported that Life Insurance Corporation (LIC) vide their letter No. Nil dated 7 June 2003 and letter No. P&GS dated 10 June 2003 submitted their actuarial investigation/quotation and according to this, the liability for pension and commuted value of pension based on the current LIC by-out annuity rates and gratutiy as on 1.06.2003 are as under:

i)	Rs. 83.09 crores	for existing pensioner / family pensioners.
ii)	Rs. 152.97 crores	for pension and retirement benefits for existing employees and family pension for their families There will be an additional liability with the increase of DA in future.
iii)	Rs. 16.90 crores	for gratuity for existing employees.
	Rs. 252.96 crores (say Rs. 253.00 crores	

In addition to Rs. 253.00 crores as mentioned above, annual contribution @ 21% of the Annual Wage Bill (AWB) towards pension and commuted value of pension and Rs. 34.61 lakhs towards gratuity is payable to LIC.

Against the total liability of Rs. 253.00 crores, a sum of Rs. 132.70 crores is available in the provision for Pension liability Account as on 31 March 2003. Therefore, there is short fall of Rs. 120.30 crores (Rs. 253.00 crores – Rs. 132.70 crores) in the Provision for Pension Liability Account. The above matter is under consideration.

2.3 Training Institute Building at Noida: Schedule O Item 1 (f) and Schedule Q (Item 19 & 20):

2.3.1 Grant amounting to Rs. 30.00 lakh was received from Government during 2002.03 towards construction of Training Institute Building. Total Plan Grant received from Govt. for Training Institute Building upto 2002-03 amounted to Rs. 803.57 lakh.

2.3.2 वर्ष 2002–2003 के दौरान कुल भुगतानों की राशि 169.40 लाख रुपए थी जिसमें से 30.00 लाख रुपए की राशि सरकार की आयोजना निधियों में से तथा 139.40 लाख रुपए की शेष राशि भारतीय मानक ब्यूरो की स्वयं की अपनी निधियों में से व्यय की गई थी।

2.3.3 प्रशिक्षण संस्थान भवन पर 2002–2003 तक किया गया कुल संचयी व्यय निम्न विवरणानुसार 1060.30 लाख रुपए है (देखें अनुसूची क्यू मद 19 एवं 20) : –

(लाख रुपए)

	सरकार की आयोजना निधि	भारतीय मानक ब्यूरो योग की अपनी निधियां	
भूमि की लागत	400.00	77.50	477.50
सरचना लागत	403.57	179.23	582.80
	803.57	256.73	1 060.30

2.4 नोएडा में प्रशिक्षण संस्थान भवन के लिए अवसंरचना सुविधाओं हेतु सरकार की उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता [अनुसूची ओ– मद 1(ज)]

उपभोक्ता मामला विभाग, भारत सरकार ने पत्र संख्या 011011/24/2003–सीडब्ल्यूएफ दिनांक 20.1.2003 के तहत 400.00 लाख रुपए के अनुदान को अनुमोदित किया था जिसका वितरण चरणबद्ध तरीके से 3 वर्षों की अवधि में किया जाना था (वर्ष 2002–2003 में 150.00 लाख रुपए, वर्ष 2003–2004 में 150.00 लाख रुपए तथा वर्ष 2004–2005 में 100.00 लाख रुपए)। पहले वर्ष में निधियों का व्यय अवसंरचना सुविधाओं के सृजन पर किया जाएगा तथा अनुवर्ती 2 वर्षों के लिए निधियों का व्यय प्रशिक्षण खर्चों के लिए किया जाएगा। वर्ष 2002–2003 के लिए 150.00 लाख रुपए की पहली किस्त भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2003 के चैक के तहत प्राप्त की गई थी तथा वर्ष 2002–2003 के दौरान कोई उपयोग नहीं किया गया।

2.5 निधियों का निवेश

2.5.1 **कुल निवेश** – 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार कुल निवेशों की राशि 16017.99 लाख रुपए थी जो नागनिर्दिष्ट निधियों अर्थात पेंशन निधि, अवसंरचना विकास निधि तथा विश्व बैंक ऋण मोचन निधि की द्योतक है। वर्ष 2002–2003 के दौरान लेन–देन निम्न प्रकार थे :

(करोड़ रुपए)

1.4.2002 की स्थिति के अनुसार निवेश	11 421.06
जोड़े : वर्ष 2002–2003 के दौरान वर्धन	6 425.00
घटाएं : निवेश की परिपक्वता	1 828.07
31.3.2003 की स्थिति के अनुसार निवेश	16 017.99

2.5.2 **निवेश पर अर्जित ब्याज (अनुसूची–बी मद 1)**: भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा वर्ष 2002–2003 के दौरान संमूति आधार पर अर्जित सकल ब्याज की राशि 1 637.38 लाख रुपए थी। इसमें से 1430.27 लाख

2.3.2 The total payments during 2002-03 amounted to Rs. 169.40 lakh out of which Rs. 30.00 lakh was spent out of Govt. plan funds and the balance amount of Rs. 139.40 lakh was spent out of BIS own funds.

2.3.3 The cumulative expenditure upto 2002-03 upon Training Institute Building amounted to Rs. 1060.30 lakh as under: (Refer Schedule Q Item 19 and 20):

(Rs. in lakh)

	Govt. Plan Fund	BIS own funds	Total
Land Cost	400.00	77.50	477.50
Construction	403.57	179.23	582.80
Cost	803.57	256.73	1 060.30

2.4 Financial Assistance from consumer Welfare Fund of Govt. for the Infrastructure Facilities for the Training Institute Building at Noida [Schedule O — Item 1(h)]

Department of Consumer Affairs, Govt. of India vide letter No. 011011/34/2003-CWF dated 20.1.2003 had approved a grant of Rs. 400.00 lakh to be disbursed in a phased manner over a period of 3 years (Rs. 150.00 lakh in 2002-03, Rs. 150.00 lakh in 2003-04 and Rs. 100.00 lakh in 2004-05). Funds for the first year shall be spent on creating infrastructure faciulities and funds for succeeding 2 years shall be spent on training expenses. The first instalment of Rs. 150.00 lakh for the year 2002-03 was received by BIS vide cheque dated 30 March 2003 and there was no utilization during 2002-03.

2.5 Investment of Funds

2.5.1 **Total Investments** — The total investments as on 31.3.03 amounted to Rs. 16 017.99 representing the earmarked funds viz. Pension Fund, Infrastructure Development Fund and World Bank Laon Redemption Fund. The net of transactions during 2002-03 was as under:

(Rs. in lakh)

Investment as on 1.4.02	11421.06
Add: Additions during 2002-03	6425.00
Less: Maturity of Ivestment	1828.07
Investment as on 31.3.2003	16017.99

2.5.2 **Interest earned on investment (Schedule B-Item 1):-** The gross interest earned by BIS during 2002-03 on accrual basis amounted to Rs. 1 637.38 lakh. Out of this Rs. 1 430.27

रुपए नामनिर्दिष्ट निधियों में निम्न प्रकार अंतरित कर दिए गए हैं :

	(लाख रुपए)
अवसंरचना विकास निधि लेखा	325.58
पेंशन निधि लेखा	1074.87
विश्व बैंक ऋण मोचन निधि लेखा	29.82
	1430.27

lakh has been transferred to earmarked funds as under:

	(Rs. in lakh)
Infrastructure Development Fund Account	Rs. 235.58
Pension Fund Account	Rs. 1074.87
Worl Bank Loan Redemption Fund Account	Rs. 29.82
	Rs. 1430.27

2.5.3 30.3.2003 की स्थिति के अनुसार निम्न लिखित निवेशों के संबंध में संभूत तथा देय ब्याज में चूक हुई है :–

2.5.3 The interest accrued and due have defaulted in respect of following investments : as on 31.3.2003.

संस्था Institution	निवेश की राशि (लाख रुपए) Amount of Investment (Amt. In lakh)	संभूत ब्याज तथा चूक Interest Accrued & Default (Rs. lacs)	देय ब्याज की अवधि Period of Interest Due	की गई कार्रवाई Action Taken
यू पी सी एस एम एफ एल UPCSMFL	200.00	93.33	1.5.2001 से 31.3.2003 1.5.2001 to 31.3.2003	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एन सी आर डी बी) के समक्ष दायर मामले के एकीकरण हेतु 19.12.02 की तिथि नियत की गई तथा एन सी डी आर सी द्वारा प्रतिवादी को नोटिस तामील किया गया तथा मामला 8.9.2003 के लिए आस्थगित कर दिया गया। The case filed before national Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) was fixed for admission on 19.12.02 and Notice was issued by NCDRC to respon–dent and adjourned to 8.9.2003
एम पी ई बी MPEB	100.00	26.25	1.1.2002 से 31.3.2003 1.1.2002 to 31.3.2003	ब्याज तथा मूलधन की वसूली के लिए एम पी ई बी को 11.6.2003 को आपराधिक दंड संहिता की धारा 80 के तहत कानूनी नोटिस जारी किया गया है। इसके प्राप्त न होने की स्थिति में भारतीय मानक ब्यूरो समुचित न्यायालय/ मंच के समक्ष कानूनी निवारण की मांग करेगा। Legal Notice under Section 80 to CPC has been issued to MPEB on 11.6.2003 for recovery of interest as well as principal BIS shall seek legal redressal before the appropriate court/forum in case it is not received
एम पी एस आई डी सी MPSIDC	300.00	61.20	1.5.2002 से, 31.3.2003 1.5.2002 to 31.3.2003	भारतीय मानक ब्यूरो के वकील द्वारा दूसरा कानूनी नोटिस 29.4.2003 को जारी किया गया। चूंकि एम पी एस आई डी सी ने ब्याज की अदायगी नहीं की है, मामला भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग के समक्ष दायर किया जा रहा है। Second legal notice was issued by BIS advocate to MPSIDC on 29.4.03 Since MPSIDC has not paid the interest, the case has been filed before the M.P. State Cons-umer Redressal commission in Bhopal.
पी आई सी यू पी PICUP	200.00	22.17	15.12.02 से 31.3.03 15.12.2002 to 31.3.2003	मूलधन सहित संभूत तथा देय ब्याज 10.6.2003 को पी आई सी यू पी से प्राप्त हो चुका है। The interest accrued and due along with the principal has since been received from PICUP on 10.6.2003.

2.5.4 कार्यकारिणी समिति ने दिनांक 13.6.2003 को आयोजित अपनी बैठक में यूएस 64 यूनिटों के 6.75 प्रतिशत कर–मुक्त बांडों में रूपांतरण के परिणामस्वरूप हुए 441 250 रुपए के बट्टे खाते को अनुमोदित कर दिया था।

2.5.4 EC in its meeting dated 13.6.2003 had approved write-off of Rs. 441250 caused consequent upon conversion of US 64 units into 6.75% Tax Free Bonds.

2.6 विविध आय (अनुसूची बी–मद 3) : वर्ष 2002–2003 के दौरान 142.98 लाख रुपए की विविध आय का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(लाख रुपए)

i)	सामान्य भविष्य निधि खातों में अधिशेष	40.15
ii)	अंशदायी भविष्य निधि खातों में अधिशेष	4.59
iii)	पुस्तकालय सदस्यता शुल्क	33.40
iv)	स्टैंडर्ड्स इंडिया अभिदान	12.94
v)	वाहन ऋण से ब्याज	6.00
vi)	गृह निर्माण ऋणों से ब्याज	1.52
vii)	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना अंशदान	4.66
viii)	राष्ट्रीय गुणता अवार्ड (निवल)	5.26
ix)	लाइसेंस शुल्क स्टॉफ क्वार्टर	4.28
x)	स्रोत पर कर कटौती के निलम्बित प्रतिदायों के लिए आयकर विभाग से ब्याज	2.15
xi)	प्रशिक्षण संस्थान भवन के संविदाकारों से वसूल किए गए संग्रहण अग्रिम पर ब्याज	1.20
xii)	विविध प्राप्तियाँ– केन्द्रीय प्रयोगशाला	11.45
xiii)	अन्य विविध प्राप्तियाँ मुख्यालय	10.73
xiv)	आरओएस/बीओएस में प्राप्तियाँ	4.65
		142.98

2.6 **Miscellaneous Income (Schedule B — Item 3):—** The detail of Miscellaneous Income of Rs. 142.98 lakh during the year 2002-03 is as under:

(Rs. In lakh)

i)	Surplus in GPF Accounts	40.15
ii)	Surplus in CPF Accounts	4.59
iii)	Library Membership Fee	33.40
iv)	Standards India Subscription	12.94
v)	Interest from Conveyance Loan	6.00
vi)	Interest from House Building Loans	1.52
vii)	CGHS contribution	4.66
viii)	National Quality Award (net)	5.26
ix)	Licence Fee Staff Quarters	4.28
x)	Interest from Income-tax Department for late Refunds of TDS	2.15
xi)	Interest on Mobilization Advance recovered from Contractors of Training Institute Building	1.20
xii)	Miscellaneous Receipts-Central Laboratory	11.45
xiii)	Other Miscellaneous Receipts HQ	10.73
xiv)	Miscellaneous Receipts at ROs/BOs	4.65
		142.98

2.7 उपदान निधि [अनुसूची–ओ मद 2(क)]- 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार उपदान निधि में 5.30 लाख रुपए का आदिशेष था। अनुमोदित बजट के अनुसार उपदान निधि खाते में सादृश राशि जमा करते हुए उपदान निधि मे अंशदान हेतु आय एवं व्यय लेखे में 400 लाख रुपए की राशि प्रभारित की गई है। अंशदायी भविष्य निधि के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 7.94 लाख रुपए की राशि अदा की गई थी। 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार उपदान निधि में अंत अधिशेष की राशि 1.36 लाख रुपए थी।

2.7 Gratuity Fund [Schedule O—Item 2 (a)] :— There was an opening balance of Rs. 5.30 lakh in the Gratutity Fund as on 1.4.2002. An amount of Rs. 4.00 lakh has been charged to Income & Expenditure Account towards contribution to Gratuity Fund with corresponding credit to Graduity Fund Account as per the approved budget. A sum of Rs. 7.94 lakh was paid to retired employees under CPF. The closing balance in Gratuity Fund as on 31.3.2003 amounted to Rs. 1.36 lakh.

2.8 परोपकारी निधि [अनुसूची–ओ मद 2(ख)]— 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार परोपकारी निधि में 4.50 लाख रुपए का नामे अधिशेष था। वर्ष 2002–2003 के दौरान 1.49 लाख रुपए का अंशदान प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान मृतक कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को निधि में से किए गए भुगतानों की कुल राशि 2.08 लाख रुपए थी। अतः 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार परोपकारी निधि में 5.09 लाख रुपए का नामे अधिशेष था। नामे अधिशेष भारतीय मानक ब्यूरो के लेखे से परोपकारी निधि में राशि के अस्थायी अंतरण (31.3.2003 की स्थिति के अनुसार 8.13 लाख रुपए निवल) के कारण है जिसे परोपकारी निधि में भावी जमाओं के प्रति समायोजित किया जाएगा।

2.8 Benvolent Fund [(Schedule O—Item 2 (b)] :— The Benevolent Fund as on 1.4.2002 was showing a debit balance of Rs. 4.50 lakh. The contribution received in 2002-03 amounted to Rs. 1.49 lakh. The payments out of the fund to legal heirs of deceased employees during the year amounted to Rs. 2.08 lakh. Thetefore, the Benevolent Fund as on 31.3.2003 shows debit balance of Rs. 5.09 lakh. The debit balance is due to the temporary transfer of amount to the Benevolent Fund from BIS Account (Rs. 8.13 Lakh net as on 31.3.2003) which will be adjusted against the future credit to the Benevolent Fund).

2.9 6.5.1999 को आग के कारण हुई हानि — मई, 1999 में मानकालय के बेसमेंट में आग लग गई तथा इससे इलेक्टल मदों, कागजों इत्यादि को 2 225 985 रुपए की हानि हुई। कार्यकारिणी समिति ने 13.6.2003 को आयोजित अपनी 56वीं बैठक में इसे बट्टे खाते डालने हेतु अनुमोदित कर दिया।

2.9 Loss Due to Fire on 6.5.1999 :– A Fire broke out in the basement of Mankalya in May 1999 and caused a loss of Rs. 2 225,985 to Electrical items, papers etc. EC in its 56th meeting held on 13.6.2003 approved the same for write-off.

2.10 मानकों की बिक्री पर रायल्टी — बिक्री भारतीय मानक [अनुसूची–ए मद 1] शीर्ष के तहत आय में सी डी आर ओ एम संबंधी मानकों की बिक्री के लिए मैसर्स बुक सप्लाई ब्यूरो से प्राप्त 87.05 लाख रुपए की रायल्टी शामिल है।

2.10 Royalty on Sale of Standards :–The income under the head Sales Indian Standard (Schedule A–Item 1) includes Royalty of Rs. 87.05 lakh received from M/s. Book Supply Bureau for sale of standards on CD–ROM.

2.11 आयकर छूट : भारतीय मानक ब्यूरो को अधिसूचना संख्या 344/2001 दिनांक 31 अक्तूबर, 2001 के तहत आयकर अधिनियम की धारा 10(23ग)(iv) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 2001–2002 से 2003–2004 के लिए अधिसूचित किया गया था। तदनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की आय को कर से छूट प्राप्त है। निर्धारण वर्षों 2006–07 के लिए समान छूट हेतु आयकर विभाग के पास आवेदन भेजा गया है।

2.11 Income-tax Exemption :– BIS was notified under Section 10 (23C) (iv) of the Income-tax Act 1961, vide Notification No. 344/2001 dated 31 October 2001 for the Assessment Years 2001-02 to 2003-04 and its income is exempted of Income-tax.

2.12 अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान — अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अशोध्य ऋणों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा बट्टे खाते डाले जाने के पश्चात आय एवं व्यय खाते में प्रभारित किया जाता है।

2.12 Provision for Bad and Doubtful Debts : No provision is made for Bad and Doubtful Debts. The Bad Debts are charged to Income & Expenditure Account after the same are written off by the competent authority.

2.13 अनुसूची एस – चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम के तहत वसूलनीय खाते (अन्य) : में स्वर्गीय श्री डी. के. चढ्ढा, उच्च श्रेणी लिपिक, के बी ओ द्वारा गबन किए गए 517 450 रुपए शामिल हैं। ब्यूरो ने मृत्यु उपदान, अवकाश, नकदीकरण तथा परोपकारी निधि के भुगतान को रोक दिया है।

2.13 The Accounts recoverable (Others) under schedule S - 'Current assets, Loans & Advances' includes Rs. 517 450 misappropriated by Late Shri D.K. Chadha, UDC, KBO. Bureau has withheld payment of death gratuity and leave encashment.

परिशिष्ट–II

APPENDIX–I

31.3.2003 की स्थिति के अनुसार निवेश के ब्यौर

Details of Investments as on 31.3.2003

(लाख रुपए)

1. विनिर्दिष्ट निधियों का निवेश

1.1 बैंकों को छोड़कर वित्तीय संस्था तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बांडों तथा जमा राशियों में निवेश

1.1 Investment with PSUs & Financial Institutions Other than Banks

क्र. सं. Sl. No.	संस्था का नाम Name of Institution	लागत पर निवेश का (लाख रुपए) Investment at cost (Rs. In lacs)	निवेश का निर्दिष्टात्मक बाजार मूल्य* Indicative Market Value of Investment*
(i)	आन्ध्र प्रदेश अवसंरचना विकास निगम Andhra Pradesh infrastructure Dev. Corp.	50.00	52.90
(ii)	आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड Andhra Pradesh State Elec. Board	100.00	103.89
(iii)	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड Hindustan Copper Ltd.	50.00	50.31
(iv)	हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम (एच पी एस एफ सी) Himachal Pradesh State Forest Corp. (HPSFC)	140.00	140.00
(v)	गोदावरी मराठवाड़ा सिंचाई विकास निगम Godavari Marathwara Irrigation Dev. Corp.	250.00	262.98
(vi)	हुडको HUDCO	252.93	280.37
(vii)	आई सी आई सी आई ICICI	620.00	736.30
(viii)	आई डी बी आई IDBI	1100.00	1167.08
(ix)	आई एफ सी आई IFCI	1180.00	1180.00
(x)	कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड Krishna Bhagya Jal Nigam Ltd.	440.00	470.20
(xi)	कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड Kokan Railway Corpn. Ltd.	100.00	108.55
(xii)	केरल राज्य विद्युत बोर्ड Kerala State Elec. Board	100.00	107.31
(xiii)	महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम लि० (एम के वी डी सी एल) Maharashtra Krishna Valley Dev. Corpn. Ltd. (MKVDCL)	50.00	50.00
(xiv)	मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड Madhya Pradesh Electricity Board	100.00	108.72
(xv)	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एम पी एस आई डी सी) M.P. State Indl. Dev. Corpn. (MPSIDC)	300.00	300.00
(xvi)	उत्तर प्रदेश का प्रदेशीय औद्योगिक निगम लि० (पी आई सी यू पी) Pradeshiya Indl. Corpn. of U.P. Ltd. (PICUP)	200.00	200.00
(xvii)	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड Punjab State Electricity Board	300.00	313.28
(xviii)	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड Rajasthan State Elec. Board	130.10	136.22
(xix)	राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं निवेश कारपोरेशन लि. (आर आई सी सी ओ) Rajasthan State Indl. & Investment Corp. Ltd. (RICCO)	300.00	300.00
(xx)	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) SAIL	50.00	50.00
(xxi)	भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि. (टी एफ सी आई) Tourism Finance Corp. of India Ltd. (TFCI)	160.00	160.00
(xxii)	तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लि. Tamil Nadu Indl. Dev. Corp. Ltd.	200.00	205.32
(xxiii)	उत्तर प्रदेश स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन लि. (यू पी सी एस एम एफ एल) U.P. Spg. Mills Fed. Ltd. (UPCSMFL)	200.00	200.00
(xxiv)	पश्चिम बंगाल अवसंरचना विकास वित्त कारपोरेशन लि. West Bengal Infrastructure Dev. Fin. Corpn. Ltd.	20.00	20.76
(xxv)	भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूएस–64) UTI (US-64)	14.96	10.55
	योग Total	6407.99	6712.74

1.2	बैंकों में निवेश (सावधि जमाराशियां) Investment with Banks (FDs)	9610.01	9610.01
	योग (1) Total (1)	16018.00	16322.75
2	कर्मचारी निधियों का निवेश INVESTMENT OF EMPLOYEES FUNDS		
2.1	अंशदायी भविष्य निधि Contributory Provident Fund		
(i)	विशेष जमाराशियों में निवेश (भा. रि. बै.) i) Investment in special Deposit (RBI)	71.89	71.89
2.2	सामान्य भविष्य निधि General Provident Fund		
(i)	विशेष जमाराशियों में निवेश (भा. रि. बै.) Investment in special deposit (RBI)	3055.20	3055.20
(ii)	भारत सरकार की प्रतिभूतियां Govt. of India Securities	26.27	31.81
(iii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां State Govt. Securities	4.85	4.85
(iv)	बैंकों को छोड़कर वित्तीय संस्था तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में एवं जमाराशियों में निवेश INVESTMENT WITH PSUs & FINANCIAL INSTITUTION OTHER THAN BANKS IN BONDS & DEPOSITS		
	क) आई डी बी आई a) IDBI	421.25	467.45
	ख) आई एफ सी आई b) IFCI	285.00	285.00
	ग) कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड c) Karnataka State Electricity Board	80.00	83.21
	घ) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पी एस ई बी) d) Punjab State Electricity Board (PSEB	80.00	80.00
	ङ) आन्ध्र प्रदेश अवसंरचना विकास निगम लि० e) Andhra Pradesh Infrastructure Dev. Corp. Ltd.	100.00	104.67
	च) पश्चिम बंगाल अवसंरचना विकास निधि f) West Bengal Infrastructure Dev. Fund	105.00	106.75
	छ) मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० (एम पी एम आई डी सी) g) M.P. State Indl. Devp. Corp. Ltd. (MPSIDC)	45.00	45.00
	ज) कृष्णा भाग्य जल निगम लि० h) Krishna Bhagya Jal Nigam Ltd.	175.00	186.19
	झ) विदर्भ सिंचाई विकास निगम लि० (वी आई डी सी एल) i) Vidharba Irrigation Dev. Corp. Ltd. (VIDCL)	42.00	42.00
	ञ) भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि० (टी एफ सी आई) j) Tourism Finance Corp. of India Ltd. (TFCI)	45.00	45.00
	ट) बैंकों में सावधि जमाराशियां Fixed Deposits with Banks	377.76	377.76
	योग (2) Total (2)	4914.22	4986.78
3	निवेश (अन्य) INVESTMENT (OTHERS)		
3.1	एबीओ भवन परियोजना–सावधि जमा सिंडिकेट बैंक ABO Building Project—Fixed Deposit Syndicate Bank	13.00	13.00
	कुल योग (1+2 +3) GRAND TOTAL (1 + 2 + 3)	20945.22	21322.53

टिप्पणी : 1) निवेशों का बाजार मूल्य भारतीय मानक ब्यूरो के निधि प्रबंधक मेसर्स आई डी बी आई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि०, मुंबई (आई सी एम एस) द्वारा अपने पत्र सं. आई सी/बी आई एस/आर v दिनांक 19.5.2003 के तहत उपलब्ध कराया गया है। आई सी एम एस ने कहा कि बाजार परम्पराओं के अनुसार, प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बाजार मूल्य पर किया गया है जहां बाजार उद्धरण उपलब्ध थे अथवा अंकित/क्रय मूल्य पर किया गया है जहां बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है। बाजार उद्धरण एस पी एस एफ सी, आई एफ सी आई, एम के वी डी सी एल, एम पी एस आई डी सी, एम पी ई बी, पी आई सी यू पी, पी एम ई बी, आर आई आई सी ओ, सेल, टी एफ सी आई, यू पी सी एस एम एफ एल, वी ई डी सी एल के संबंध में उपलब्ध नहीं है। ब्यौरे निम्नानुसार है :–

Note 1) **Market Value of investments have made available by BIS Fund Manager M/s. IDBI Capital Market Service Ltd., Mumbai (ICMS) vide their letter No. IC/BIS/RV dated 19.5.2003. ICMS has stated that as per the market conventions, the secuirties have been valued at market price where market quotes were avaliable or at face value/purchase price if the market quotes are not available. The market quotes were not available in respect of HPSFC, IFCI, MKVDCL, MPSIDC, MPEB PICUP, PSEB, RIICO, SAIL, TFCI, UPCSMFL, VIDCL The break-up is as follows:**

समुच्चय उद्धृत निवेश	=	4735.51 लाख रुपए(बाजार मूल्य 5112.82 लाख रुपए)
समुच्चय अनुद्धृत निवेश	=	16209.71 लाख रुपए
कुल निवेश	=	20945.22 लाख रुपए
The aggregate quoted investment	=	Rs. 4735.51 lakh (Market value 5112.82 lakh.
The aggregate unquoted investment	=	Rs. 16209.71 lakh
Total Investment	=	Rs. 20945.22 lakh

(2) सभी निवेश दीर्घावधिक निवेश है।

(2) All the investments are long term investments.

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय
ए.जी.सी.आर.भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली – 110002

लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

मैंने भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के आय और व्यय लेखा तथा दिनांक 31 मार्च, 2003 के तुलनपत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं और संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अध्याधीन अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप, मैं यह प्रमाणित करती हूँ कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण और संगठन की बहियों में दिए गए उल्लेख के अनुसार ये लेखे और तुलनपत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं, और भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

हस्ता./–
(शुभा कुमार)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 मार्च, 2004

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
ECONOMIC AND SERVICE MINISTRIES, NEW DELHI-110002

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the Income and Expenditure Account for the year 31st March 2003 and the Balance Sheet as on 31st March 2003 of the Bureau of Indian Standards, New Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify as a result of my audit, that in my opinion these Accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bureau of Indian Standards, New Delhi according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organization.

Sd/-
(SHUBHA KUMAR)
Principal Director of Audit
Economic & Service Ministries

Place : New Delhi
Date : 31 March 2004

वर्ष 2002–2003 के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के लेखों के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. परिचय

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अधिनियमन के साथ, भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा.ब्यूरो) की स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में 1 अप्रैल, 1987 से की गई थी। इसने भूतपूर्व भारतीय मानक संस्थान की सभी गतिविधियां करनी शुरू कर दी अर्थात गुणवत्ता आश्वासन संबंधी उत्पाद प्रमाणन, परामर्शी सेवाओं का परीक्षण इत्यादि।

ब्यूरो की गतिविधियों का वित्तपोषण प्रमाणन चिह्न के लिए शुल्क, लाइसेंस शुल्क, प्रकाशनों की बिक्री तथा केन्द्रीय सरकार से अनुदान की प्राप्ति से किया जाता है। वर्ष 2002–2003 के दौरान, ब्यूरो को केन्द्रीय सरकार से 1.80 करोड रुपए का अनावर्ती अनुदान प्राप्त हुआ है।

ब्यूरो के लेखों की लेखा परीक्षा *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम,* 1986 की धारा 32(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के तहत संचालित की गई थी।

2. लेखों संबंधी अभ्युक्तियाँ

तुलनपत्र

2.1 चालू परिसंपत्तियाँ का अतिकथन (अत्युक्ति)

6.5.1999 को मानकालय भावन के बेसमेंट में लगी आग के कारण 22.51 लाख रुपए के मूल्य के स्टॉक पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए थे जिसके लिए बीमा कंपनी ने अंतिम निपटान में 3.61 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की अदायगी की थी। तथापि, ब्यूरो अभी भी अपनी चालू परिसंपत्तियों मे 22.51 लाख रुपए के क्षतिग्रस्त स्टॉक प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार इस सीमा तक परिसंपत्तियों की अत्युक्ति की गई है। यद्यपि पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान इसे इंगित किया गया था, तथापि इस वर्ष के लेखों में भी आवश्यक समायोजन करने के लिए ब्यूरो द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

2.2 कर्जदारों से पुष्टि प्राप्त किए बिना अनुसूची एस–चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम में शामिल 1997–98 से पूर्व की अवधि (5 वर्ष से अधिक) से संबंधित 32.71 लाख रुपए की राशि (10.80 लाख रुपए प्रकाशन की बिक्री से संबंधित तथा 21.91 लाख रुपए प्रमाणन से संबंधित) के विविध बकाया हैं। विविध कर्जदारों की यथार्थता का लेखा परीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सकता।

2.3 चालू परिसंपत्तियों की न्यूनोक्ति

2.3.1 वर्ष के दौरान वसूलनीय 116570 रुपए की राशि (मैसर्स बसरा सीमेंट लि., श्री माधोपुर, राजस्थान से 11000 रुपए, संशोधित चिह्नांकन शुल्क, जयपुर शाखा के लिए लाइसेंस धारकों से 73 489 रुपए, तथा चेन्नई में लाइसेंसधारकों से 32 089 रुपए की न तो वसूली की गई, न ही उसे भारतीय मानक ब्यूरो के लेखों में दर्शाया गया। इस प्रकार आय तथा विविध कर्जदारों की इस सीमा तक न्यूनोक्ति की गई।

AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF BUREAU OF INDIAN STANDARDS FOR THE YEAR 2002-03

1. INTRODUCTION

The *Bureau of Indian Standards (BIS)* was established as a statutory body with effect from 1st April, 1987 with the enactment of Bureau of Indian Standards Act, 1986. It took over all activities, viz. product certification on quality assurance, consultancy services testing etc of the erstwhile Indian Standards Institution.

The activities of Bureau are financed from receipt of fees for Certification Mark, Licence Fees, Sale of publications and grant from Central Government. During 2002-03, non-revurring grant of Rs. 1.80 crore has been received by the Bureau from the Central Government.

The audit of the accounts of the Bureau was conducted under section 19(2) of Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and conditions of Service) Act, 1971 read with Section 22(2) of Bureau of Indian Standards Act, 1986.

2. Comments on Accounts

Balance Sheet

2.1 Overstatement of Current Assets

Stock worth Rupees 22.51 lakh were damaged completely due to fire in the basement of Manakalaya Building on 6.5.1999 for which Insurance Company had paid compensation of Rs. 3.61 lakh in final settlement. However, Bureau has still been reflecting damaged stock of Rs. 22.51 lakh in their Current Assets. Thus the assets are overstated to that extent though it was pointed out during the last year's audit but no action has been taken by the Bureau to make necessary adjustment even in this year's accounts

2.2 Sundry Debtors amounting to Rs. 32.71 lakh (Rs. 10.80 lakh of sale of Publication and Rs. 21.91 lakh of Certification) included in Schedule 'S'– Current Assets, Loans and Advances relating to the period prior to 1997-98 (more than 5 years) are outstanding without obtanining confirmation form the debtors. The correctness of sundry debtors are unverifiable in audit.

2.3 Understatment of Current Assets

2.3.1 An amount of Rs. 116 570 recoverable during the year (Rs. 11000 from M/s Basara Cement Ltd., Sri Madhopur, Rajasthan, Rs. 73489/- from licensees for revised marking fee, Jaipur branch and Rs. 32 081 from licensees in Chennai on account of Quality System Certification) was neither recovered nor shown in the Accounts of BIS. Thus, income and Sundry Debtors to that extent were understated.

2.4 अचल परिसंपत्तियों की न्यूनोक्ति

2.4.1 अनुसूची एस – चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम (3) (ग) में दर्शाए गए 366.14 लाख रुपए के कुल समंजनीय अग्रिम में से 69.25 लाख रुपए की राशि (विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत 67.36 लाख रुपए तथा आयोजना परियोजनाओं के तहत 1.89 लाख रुपए) की अदायगी प्रयोगशाला उपस्करों की खरीद के लिए की गई। यद्यपि 69.25 लाख रुपए के मूल्य के प्रयोगशाला उपस्कर ब्यूरो में प्राप्त हो चुके हैं, अचल परिसंपत्तियों की अनुसूचियों में उनका लेखाकरण नहीं किया गया है, इस प्रकार अचल परिसंपत्तियों में 69.25 लाख रुपए की न्यूनोक्ति की गई है। उन पर मूल्यह्रास भी प्रभारित नहीं किया गया है। पिछली लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किए जाने के बावजूद, ब्यूरो द्वारा कोई उपचारी उपाय नहीं किया गया है।

3. आय एवं व्यय लेखा

शाखा कार्यालय (जयपुर) में मार्च, 2003 के माह के लिए किराए के रूप में 0.77 लाख रुपए की राशि संदेय थी जिसमें से 0.29 लाख रुपए की राशि की अदायगी वर्ष के दौरान कर दी गई थी जिससे 0.48 लाख रुपए का बकाया अधिशेष बचा, जिसका लेखाकरण नहीं किया गया, इस प्रकार उस सीमा तक आय का स्फीतिकरण किया गया।

4. सामान्य

4.1 1997–98 से पूर्व की अवधि के लिए 1.12 लाख रुपए की राशि के बैंक डेबिट 31.3.2003 तक भारतीय मानक ब्यूरो की बहियों में असमायोजित रहे।

5. भारतीय मानक ब्यूरो/क्षेत्रीय शाखा कार्यालयों के लेखों पर अभ्युक्तियाँ

5.1 कोलकाता (ई आर ओ)

(i) प्रयोगशाला की वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार 1 135.94 रुपए के मूल्य की उपभोज्य वस्तुए तिद्यमान थीं, जबकि परीक्षण अधिशेष में इसकी राशि 84 579 रुपए दर्शाई गई। 29 015 रुपए के आधिक्य का मिलान किया जाना आवश्यक है।

(ii) अगस्त, 2003 में दुर्गापुर निरीक्षण कार्यालय से लेन–देनों के ब्यौरों की प्राप्ति के कारण भारतीय मानक ब्यूरो (ई आर ओ) के लेखे तैयार करते समय इस्को (सीएम) के संबंध में जनवरी, 2003 से मार्च 2003 की अवधि से संबंधित 202 741 रुपए की राशि का प्रमाणन शुल्क हिसाब में नहीं लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप इस सीमा तक व्यय की तुलना में आय की अधिकता में कमी की अभियुक्ति हुई।

2.4 Understatment of Fixed Assets

2.4.1 Out of total adjustable advance of Rs. 366.14 lakh shown in Schedule 'S'–Current Assets, Loans and Advances (3), a sum of Rs. 69.25 lakh (Rs. 67.36 lakh under World Bank Project and Rs. 1.89 lakh under Plan Projects) were paid towards purchase of Lab Equipments. Although Lab Equipment worth Rs. 69.25 lakh have already been received by the Bureau, these were not accounted for in the schedule of fixed assets, thus unerstating the fixed assets by Rs. 69.25 lakh. Depreciation was also not charged on them. Despite been pointed out during the last audit, no remedial action had been taken by the Bureau.

3. Income & Expenditure Account

An amount of Rs. 0.77 lakh was payable as rent for the month of March 2003 at Branch Office (Jaipur) out of which an amount of Rs. 0.29 lakh was paid during the year leaving outstanding balance of Rs. 0.48 lakh which was not accounted for, thus inflating the income to that extent.

4. GENRAL

4.1 Bank Debits amounting to Rs. 1.12 lakh for the period proor to 1997-98 remained unadjusted in the books of BIS till 31.3.2003.

5. Comments on Accounts of BIS/Regional Branch Offices.

5. KOLKATA (ERO)

(I) As per physical verification Report of Laboratory consumables worth Rs. 113594 were in hand as on 31.3.2003 whereas it was shown as Rs. 84 579 as per Trial Balance. The excess of Rs. 29 015 needs to be reconciled.

(ii) Certification fee amounting to Rs. 202 741 relating to the period January 2003 to March 2003 in respect of IISCO (CM) was not taken into account while preparing the accounts of BIS (ERO) due to receipt of details of transaction from Durgapur Inspection office in August 2003, which resulted in under statement of excess of Income over expenditure to that extent.

6. तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय लेखा पर लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों का प्रभाव

पूर्ववर्ती पैराओं में दी गई अभ्युक्तियों का निवल प्रभाव यह है कि 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों में 19.31 लाख रुपए की अत्युक्ति की गई, देयताओं में 0.48 लाख रुपए की न्यूनोक्ति की गई तथा व्यय पर आय का आधिक्य में 19.79 लाख रुपए की अत्युक्ति की गई।

दिनांक : 31 मार्च, 2004 ह./–
स्थान : नई दिल्ली प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक

6. Effect of audit comments on balance Sheet and income and expenditure account.

The net impact of the comments given in preceding paras is that as on 31.3.2003 assets are overstated by Rs. 19.31 lakh, liabilities understated by Rs. 0.48 lakh and "Excess of Income over Expenditure" overstated by Rs. 19.79 lakh.

Dated : 31 March 2004 Sd/-
Place : New Delhi Pr. Director of Audit

लेखों पर प्रभाव की संगणना

परिसंपत्तियाँ	देयताएं
22.51 लाख रुपए की अत्युक्ति (पैरा 2.1)	0.48 लाख रुपए की न्यूनोक्ति (पैरा 3)
1.17 लाख रुपए की न्यूनोक्ति (पैरा 2.3.1)	
2.03 लाख रुपए की न्यूनोक्ति (पैरा 5.1)(ii)	
योग 19.31 लाख रुपए की अत्युक्ति	0.48 लाख रुपए की न्यूनोक्ति

Calculation of Impact on accounts

Assets	Liabilities
Overstated Rs.22.51 lakh (Para 2.1)	Understated Rs. 0.48 lakh. (Para 3)
Understated Rs. 1.17 lakh (Para 2.3.1)	
Understated Rs. 2.03 lakh [Para 5 (ii)]	
Total Overstated 19.31	Understated 0.48

व्यय पर आय का आधिक्य (अधिशेष)

(लाख रुपए)

अत्युक्ति	न्यूनोक्ति
22.51	1.17
22.99	3.20
योग 25.02	1.17

निवल अत्युक्ति 23.85 लाख रुपए (25.02–1.17)

Excess of Income over Expenditure (Surplus)

(Rs. in lakh)

	Over stated	Under Stated
	22.51	1.17
	0.48	2.03
Total	22.99	3.20

Nett Overstated by Rs. 19.79 (22.99–3.20)

ERRATA TO ANNUAL REPORT 2002-03

Subject: EC Agenda Item 2.10.3

EC may consider Annual Report 2002 – 2003 with the following corrections and formulate its recommendation for consideration by the Bureau:

Reference	Correction
Page 11, Product Certification, Para 2	Read '**Rs.897.98 million**' in place of '**Rs.8979.8 million**'
Page 16, Fig.5, Last Bar	Insert '**42.67**'
Page 22, Technical clarification on DGFT Notification No.44	Add the following text before the last line: '**by BIS, and such a clarification issued by BIS shall be binding on all concerned. BIS issued**'
Page 32, Balance Sheet, Current Liabilities	Read '**405476447**' in place of '**31985206**' as on 31 03 2003. Insert the following in the fourth column below '383973226': '**31985206**'
Page 33, Income and Expenditure Account, below the total of expenditure	The following headings may be read in place of the existing for the three figures indicated: '**Surplus**' '**Provision for Infrastructure Development Fund**' '**Surplus Transferred to Provision for Pension Liability Fund**'
Page 39, Schedule O – Reserves and Funds	
Item 1b), last col.	Read '**458933**' in place of '**170701**'
Item 1c), last col.	Read '**385**' in place of '**458933**'
Item 1d), last col.	Read '**153006**' in place of '**385**'
Item 1 e). second last col.	Read '**3000000**' in place of '**0**'
Item 1 e), last col.	Read '**0**' in place of '**153006**'
Item 1f), second last col.	Read '**0**' in place of '**3000000**'
Item 1g), Second col.	Read '**15000000**' in place of '**150000000**'
Item 2b), first and last col.	Insert the '**(–)**' at both places before the figures
Page 40, Schedule O – Reserves and Funds Item 3c)	Read '**Provision for Pension Liability Account**' in place of '**Pension Fund**'
Page 42, Schedule Q – Fixed Assets, Sl.No.4, Col.6	Read '**322138**' in place of '**322038**'
Page 44, Schedule R Investments (At Cost), Sl.No.1, Col.3, Deductions	Insert the following below the figure: '**(Net Additions)***'
Page 45, Schedule S – Current Assets, Loans & Advances , Sl.No.1 e)	Read '**762018**' in place of '**762080**'
Page 47, Schedule T – Current Liabilities, Total of first column	Read '**34494321**' in place of '**3494321**'
Page 52, third line, Infrastructure Development Fund Account	Read '**325.58**' in place of '**235.58**'
Page 55, Heading	Read '**Appendix II**' in place of '**Appendix I**'
Page 59, Clause 2.4.1, tenth line	Read '**being**' in place of '**been**'
Page 59, Clause 4.1, second line	Read '**prior**' in place of '**proor**'
Page 60, Last Table, Hindi version	The figures may be read as given in English version